अभिलेख महानिदेशक
की लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में ग्यारहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2008

ELEVENTH REPORT OF THE DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES ON THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC RECORDS ACT, 1993 FOR THE YEAR 2008

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली-110001

Government of India
National Archives of India
New Delhi-110001

2010

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में ग्यारहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2008

ELEVENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR 2008

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2010

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विषय–सूची

1.	प्राथमिकताएं	1-2
2.	सिंहावलोकन	3-4
3.	आंकड़ों का विश्लेषण : सामान्य निष्कर्ष	5
4.	विभागीय अभिलेख कक्ष	6-7
5.	मुख्य अभिलेख अधिकारियों का नामांकन	8
6.	विभागीय अभिलेख अधिकारी	9-10
7.	स्थान की भागीदारी	11-12
8.	अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	13-14
9.	अभिलेखों का सूचीकरण	15-16
10.	अभिलेखों की प्रतिधारण सारणी का संकलन	17-18
11.	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	19-20
12.	निष्क्रिय/आयोग समितियां	21-22
13.	अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	23-24
14.	संगठनात्मक इतिहास	25
15.	"क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	26
16.	अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	27
17.	संदर्भ माध्यम	28-30
18.	अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	31-33
19.	अभिलेख प्रतिधारण समय–सूची की पुनरीक्षा	34
20.	परामर्शी कार्य	35-36
21.	प्रशिक्षण	37-38
22.	अभिलेख जागरुकता	39-46

CONTENTS

1.	Priorities	1-2
2.	Introductory	3-4
3.	Analysis of the Data : General Observations	5
4.	Departmental Records Rooms	6-7
5.	Nomination of Chief Records Officers	8
6.	Departmental Records Officers	9-10
7.	Sharing of Space	11-12
8.	Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records	13-14
9.	Indexing of Records	15-16
10.	Compilation of Retention Schedules for Records	17-18
11.	De-Classification of Classified Records	19-20
12.	Defunct Commissions/Committees	21-22
13.	Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	23-24
14.	Organizational History	25
15.	Microfilming of 'A' Category Records	26
16.	Appraisal of Non-Current Records	27
17.	Reference Media	28-30
18.	Accessions/ Acquisitions of Records	31-33
19.	Vetting of Retention Schedules for Records	34
20.	Advisory Work	35-36
21.	Training	37-38
22.	Archival Awareness	39-40

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची	47-49
अनुलग्नक– 2 अर्ध–प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा विनष्टीकरण के संबंध में की गई प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची	50-51
अनुलग्नक– 3 वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां भेजने वाले संगठनों की सूची	52-54
अनुलग्नक– 4 अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2008 में आयोजित पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम	55-57
अनुलग्नक– 5 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा नामित मुख्य अभिलेख अधिकारियों की सूची	58-64

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURES

ANNEXURE – I 47-49

List of Organizations who have furnished information on the Implementation of the Public Records Act, 1993.

ANNEXURE – II 50-51

List of Organizations who have furnished Half-yearly returns on Recording, Indexing, Reviewing, and Weeding of Semi-current Records.

ANNEXURE – III 52-54

List of Organizations who have furnished half-yearly returns on De-classification of Classified Records.

ANNEXURE – IV 55-57

Names of the Departmental Records Officers who have attended Orientation Courses on Records Management during 2008.

ANNEXURE –V 58-64

Names of the Chief Records Officers, nominated by the Different Ministries/Departments during 2008.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–1

प्राथमिकताएं

वर्ष 2008, लोक अभिलेख नियमावली 1997 की अधिसूचना के 11वें वर्ष को चिह्नित करता है। यह वर्ष भारत सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के ग्यारह महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिह्नित करता है। लोक अभिलेख अधिनियम और लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलकदमियां असम, दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्य सरकारों के समान विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन नीतिगत रूपरेखाओं और अच्छी अभिलेख प्रबंधन क्रियाओं के महत्व के प्रति बढ़ती जागरुकता के बावजूद हम सरकारी कार्यालयों की तस्वीर में कोई प्रशंसनीय सुधार नहीं देखते हैं।

पिछले वर्षों की रिपोर्टों में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के बाद के समय में सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अभिलेख प्रबंधन ने किस तरह एक नाजुक आयाम ग्रहण कर लिया है, और साथ ही यह भी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह लोक अभिलेखों के महत्व पर बल दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना और अधिकार देने की मांग को पूरा करने के एकमात्र उपाय के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत पर मैं पुनः जोर देना चाहूंगा।

मुझे यह जानकर कष्ट होता है कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पूरा सहयोग और समर्थन देने के बावजूद इन एजेंसियों ने उपर्युक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में ढीला–ढाला रवैया अपनाया है। यहाँ तक कि अनिवार्य प्रावधानों जैसे अधिकारियों में से किसी एक को विभागीय अभिलेख अधिकारी के तौर पर नामांकित करना {धारा 5(1)} और विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना {धारा 5(2)}, को भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों अर्थात् मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू नहीं किया गया है। यह स्थिति हर हाल में बदलनी चाहिए। तथापि, मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्रिमंडल सचिव द्वारा जारी पत्र के बाद 61 मंत्रालयों/विभागों ने मुख्य अभिलेख अधिकारियों के रूप में अपर/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित किया है। प्राथमिकता बिंदुओं को रखने से पहले मैं कुछ तथ्य आपके सम्मुख रखना चाहूँगा।

1.1 वर्ष 2008 के दौरान विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने संबंधित संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया से पिछले वर्ष (2007) की तुलना में हुए सुधार का कोई चिह्न नहीं दिखाई नहीं पड़ा है। वास्तव में, यह 7 प्रतिशत की तुलना में 3.93 प्रतिशत गिरकर 3.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है। भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया 14 से घटकर 6 रह गई है जो पूर्णतया असंतोषजनक है क्योंकि 79 मंत्रालयों/विभागों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी थी और न ही इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए वर्ष 2008 की अपनी रिपोर्ट ही भेजी थी। उसी तरह से, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से प्राप्त प्रतिक्रिया में भी कमी आई है जो 55 से घटकर 20 रह गई है। वास्तविकता यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 221 इकाइयों ने अपनी रिपोर्टें नहीं भेजी थीं। सबसे खराब स्थिति संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों की रही जिनकी प्रतिक्रिया रिपोर्ट की अवधि के दौरान वर्ष 2007 की 42 से गिरकर वर्ष 2007 में 22 पर पहुँच गई।

CHAPTER-1

PRIORITIES

The year 2008 marks the 11th year of the notification of the Public Records Rules. It also marks eleventh eventful years of the implementation of the Public Records Act, 1993 by various Records Creating Agencies of the Government of India and Union Territory Administration. The major initiatives set forth in the Public Records Act and Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by the State Governments of Assam, Delhi, Manipur, Maharashtra and Uttaranchal. However, in spite of these policy initiatives and increasing awareness about the importance of all-round records management practices, we do not see any remarkable transformation in the picture of a Government office.

In the reports of the previous years, it has been underlined as to how in the post-Right to Information Act days, the management of public records in the Government offices has assumed a critical dimension, and also as to how the second Administrative Reforms Commission (ARC) has stressed the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. I would again lay emphasis upon the need to adopt some drastic measures to streamline the records management practices in the Offices of Government of India as the only way to cope with the demands of an informed and empowered citizenry under the Right to Information Act.

It pains me to note that despite the full cooperation and support of National Archives of India to various Records Creating Agencies in the implementation of the Public Records Act, 1993, these agencies have, by and large, shown a total lackadaisical approach towards implanting the said Act. So much so that even the mandatory requirements such as the nomination of one of their officers as the Departmental Records Officer, (Section 5(1)) and establishment of functional Departmental Records Room (Section 5(2)) have not been complied with by majority of Records Creating Agencies i.e. Ministries/ Departments. This situation has to change. However, I am glad to record that 61 Ministries/ Departments have nominated officers of Additional/ Joint Secretary level as Chief Records Officers after the issue of letter by the Cabinet Secretary. Before I lay down the priority points, let me place some facts before you.

1.1 The overall response received from various record creating agencies about the state of implementation of the Public Records Act in their respective organizations during 2008 has not shown any sign of improvement as compared to the last year (2007). In fact, it has gone down by 3.93 percent to 3.07 percent as compared to 7 percent. Response from the main Ministries/ Departments of the Government of India, has decreased from 14 to 6, which is totally unsatisfactory as 79 Ministries/ Departments did not respond at all and did not send their reports for the year 2008 for inclusion in this Report. Similarly, there is also decrease in the responses received from the Public Sector Units from 55 to 20. The fact remains that 221 Public Sector Units did not submit their reports. The worst was the situation regarding the attached/ subordinate offices, where the response has gone down from 42 in 2007 to only 22 during the period under report.

1.2 Training of the Departmental Record Officers designated under the Public Records Act is a vital building block to establish a sound records management system as they serve as a link between the National Archives of India – the nodal agency for the implementation of the Public Records Act – and their own Department. The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular

1.2 लोक अभिलेख अधिनियम के अंतर्गत नामांकित किए गए विभागीय अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद जरूरी पहलू है क्योंकि वे अपने विभाग और राष्ट्रीय अभिलेखागार – जो लोक अभिलेख अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है – के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से विभागीय अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आया है। फिर भी, वर्ष 2007 में इस पाठ्यक्रम में 96 अधिकारियों ने भाग लिया था, वहीं वर्ष 2008 में केवल 82 अधिकारियों ने डीआरओ प्रशिक्षण में भाग लिया था।

1.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के उन सभी लोक अभिलेखों के अंतिम निदान के रूप में कार्य करता है जो मूल्यांकन के बाद स्थायी परिरक्षण के योग्य पाए जाते हैं। फिर भी, कई वर्षों में स्थायी महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं, और इस विभाग द्वारा पहल करने के बावजूद ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, जहाँ वर्ष 2007 के दौरान 5,416 फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थायी परिरक्षण हेतु स्थानांतरित की गई थीं, वहीं वर्ष 2008 के दौरान यह संख्या गिरकर 4,123 पहुँच गई है। ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख, जिनका मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, उन्हें लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5(3) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित करने की महती आवयकता है, जिससे कि हम उनसे सदा के लिए वंचित न हो जाएं।

1.4 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव द्वारा अनुमोदित कार्य–योजना पर पहले ही पहल शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालयों/विभागों की स्वतंत्रता के बाद की अवधि के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और स्थानांतरण करना शामिल है। तदनुसार, विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में अभिलेखीय सहायकों की नियुक्ति की गई है और जून 2010 तक लगभग 37,879 फाइलें पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की समीक्षा करने के लिए एक पहल भी की गई है ताकि कुछ संशोधन, जो आवश्यक हो गए हैं, किए जा सकें तथा उक्त अधिनियम और नियमों को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

1.5 पूर्व–वर्णित तथ्यों के प्रकाश में, प्राथमिकताओं के बिंदु निम्नलिखित हैं:

- मुख्य अभिलेख अधिकारियों का नामांकन
- विभागीय अभिलेख अधिकारियों का नामांकन
- विभागीय अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण
- विभागीय अभिलेख कक्षों की स्थापना
- अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन, तथा
- स्थायी महत्व के अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरण।

मुझे विश्वास है कि अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ उपरोक्त बिंदुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगी और अगले वर्ष की अपनी रिपोर्ट तत्परता से भेजेंगी।

मुशीरुल हसन

(प्रो0 मुशीरूल हसन)
अभिलेख महानिदेशक,
भारत सरकार

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Orientation Courses in Record Management for the benefit of the said Departmental Records Officers. However, while 96 officers attended the course in 2007, in 2008, only 82 officers attended DRO training.

1.3 The National Archives acts as the final repository of all Public Records of the Government of India that are found worthy of permanent preservation after their appraisal. However, over the years a large number of such records of enduring value have accumulated in various Records Creating Agencies and the initiative taken by this Department, not withstanding, these records still await their transfer to the National Archives of India. Thus, while 5,416 files were transferred to the National Archives of India for their permanent preservation during 2007, this number has dwindled to 4,123 files during 2008. All these non-current records, which have already been appraised by the officers of National Archives of India, need to be deposited with the National Archives of India under the provisions of the Rules 5(3) Public Records Rules, 1997, lest we should lose them irrecoverably.

1.4 This Department has already taken initiative on the approved action plan of the Cabinet Secretary on addressing certain critical area projects concerning National Archives of India which includes, inter-alia, appraisal and transfer of non-current records of Post Independence Period of Ministries/ Departments. Accordingly Archival Assistants have been recruited and deployed in various key Ministries/ Departments and approximately 37,879 files have already been transferred by June 2010.

Besides, an initiative has also been taken to review the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 for bringing out certain amendments which have become necessary and also to make the said Act and Rules more effective.

1.5 In the light of the foregoing facts, the priority points are enumerated below:

- Nomination of the Chief Records Officers
- Nomination of the Departmental Record Officers
- Training of Departmental Record Officers
- Establishment of Departmental Record Rooms
- Appraisal of Non Current Records and
- Transfer of records of enduring value to the National Archives of India

I am sure that all the Records Creating Agencies would initiate action on these points and would promptly submit their reports for the next year.

(Prof. Mushirul Hasan)
Director General of Archives
Government of India

अध्याय – 2

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का भंडार है और लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार, 85 अभिलेख सर्जक एजेंसियों यानी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधिनस्थ कार्यालयों, सावर्जनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि को परिपत्र सं0 16–12/(ए)/2009–आर.एम. दिनांक 21 मई, 2009 को भेजा गया, जिसमें उनसे वर्ष 2008 के दौरान ऊपर उपर्युक्त खण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म–5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 पर अमल के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

2.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2008 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है:–

1. एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
4. मुख्य अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
5. अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी;
6. समय–समय पर अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण;
7. अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन;
8. अभिलेखों के प्रतिधारण समय–सूची का संकलन/संशोधन;
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण;
10. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन;
11. संगठनात्मक इतिहास का संकलन; और
12. निष्क्रिय आयोग/समितियों, आदि के रिकार्ड का राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।

2.2 इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिंदुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-2

AN OVERVIEW

National Archives of India is an Attached Office of the Ministry of Culture. It is the repository of the documentary heritage of the nation and also serves as the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in compliance of the provisions of Clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, a Circular letter No. 16-12(A)/2009-RM, dated 21 May 2009, was issued to 85 Records Creating Agencies i.e. Ministries/ Departments to furnish their report in Form 5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2008 and also requested them to issue necessary directives to all the Attached and Subordinate Offices of the Government of India including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2008 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act, 1993.

2.1 The present report has been prepared on the basis of the data received from the records creating agencies on the action taken by them during the year 2008 on the following aspects:-

1. Setting up of an organized Departmental Records Room;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of Records Officers and Staff;
4. Nomination of Chief Records Officers;
5. Sharing of space for housing semi-current records;
6. Periodical recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
7. Appraisal of non-current records;
8. Compilation/ revision of Retention Schedules of Records;
9. Downgrading of classified records;
10. Compilation of Annual indices to records;
11. Compilation of Organizational history, and
12. Transfer of Records of Defunct Bodies/ Committees etc. to National Archives of India.

2.2 Details of information on the aforesaid aspects have been delineated in the chapters of the report.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

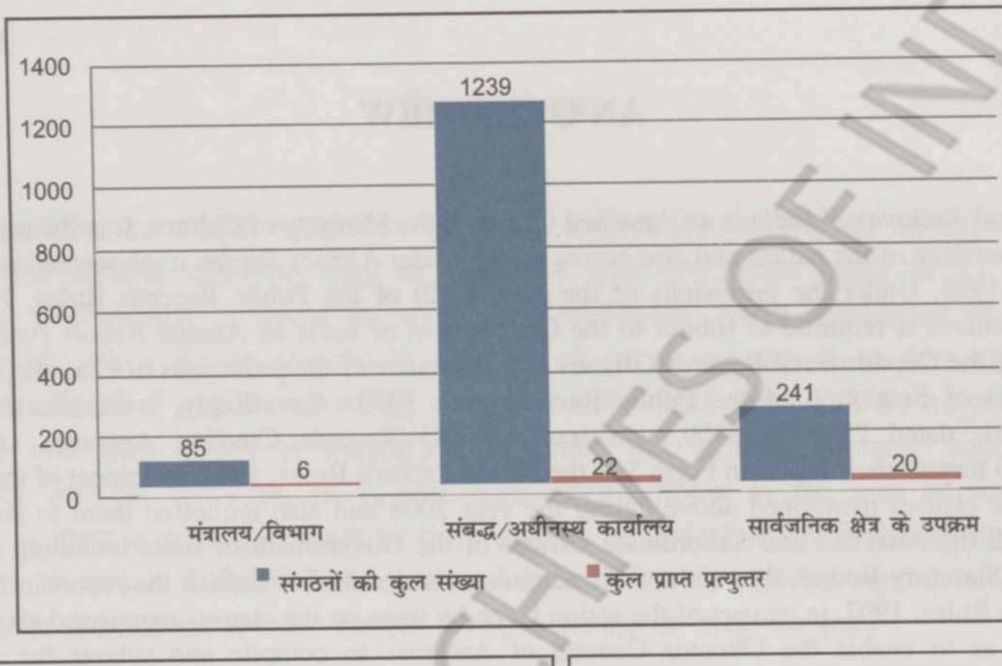

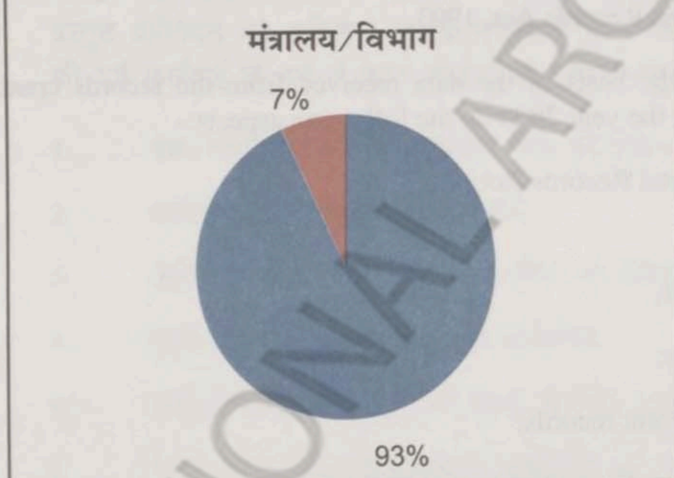

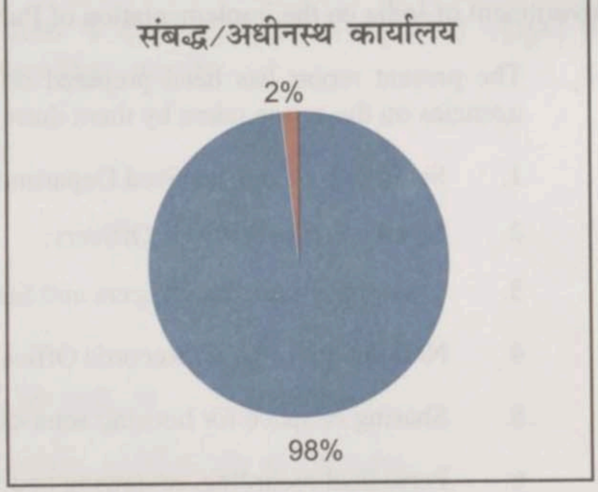

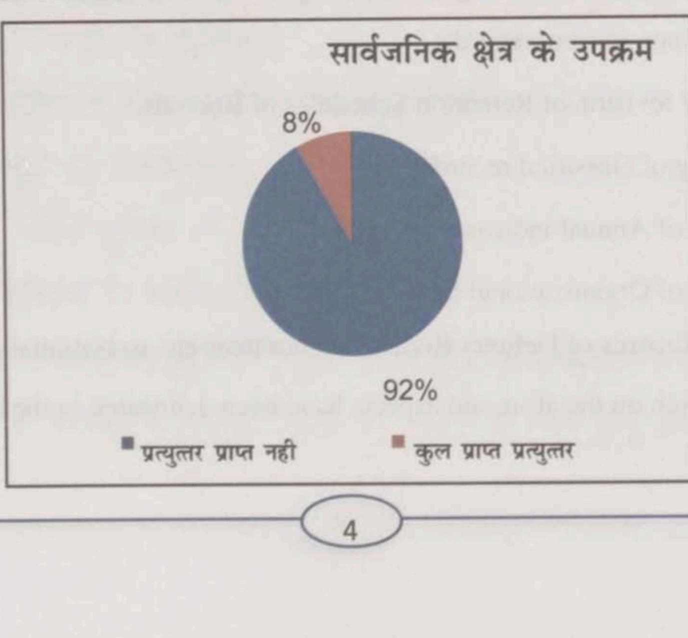

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

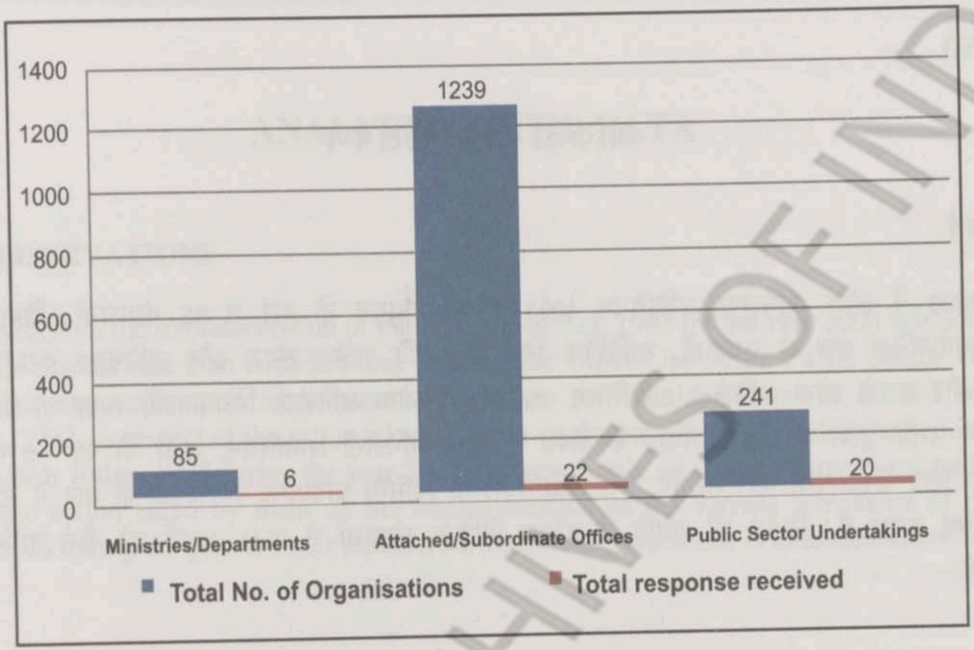

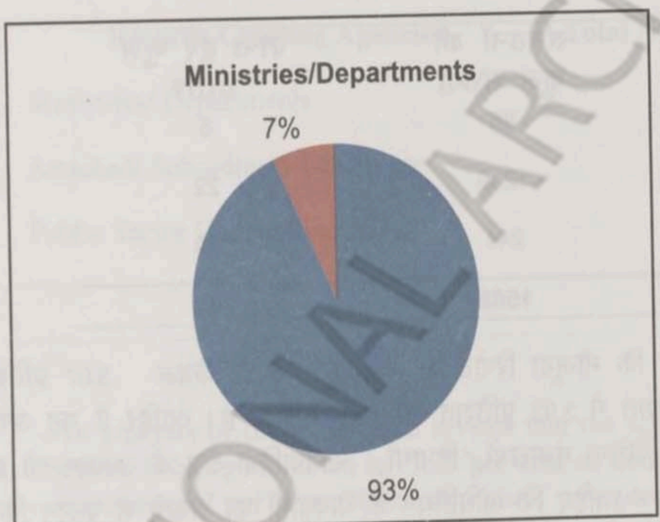

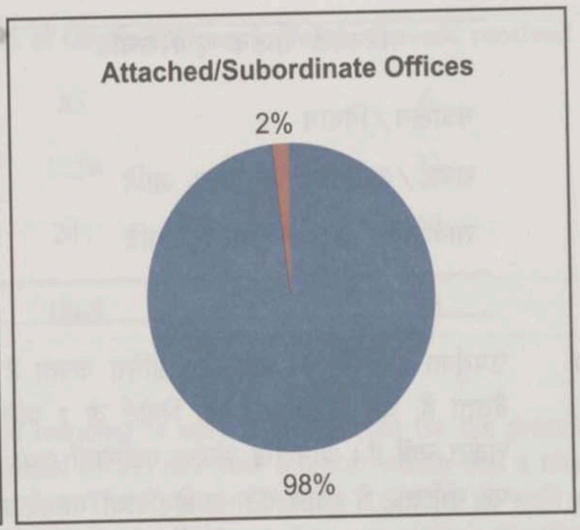

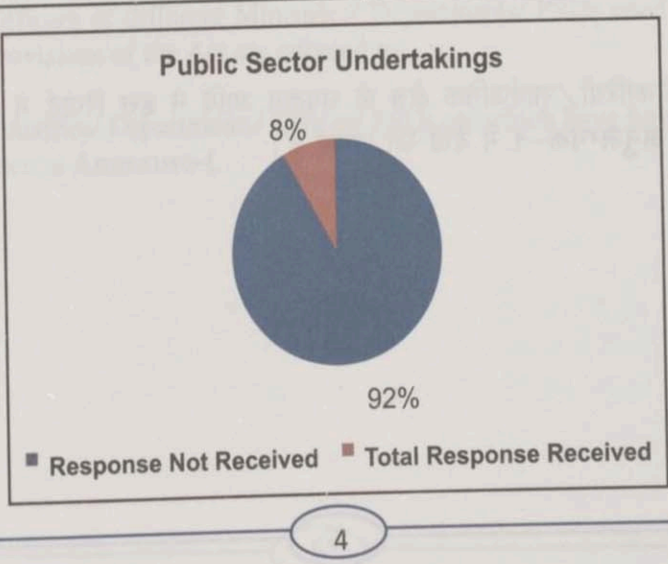

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–3

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2008 में लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन के बारे में 85 मंत्रालयों/विभागों और उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित संबद्ध और अधिनस्थ कार्यालयों से सूचना मांगी गई थी और उनसे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के प्रावधानों पर वर्ष 2008 के दौरान उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख अधिनियम, 1997 के फार्म–5 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अमल के बारे में मात्र 48 संगठनों ने सूचना उपलब्ध कराई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:–

रिकार्ड सर्जक एजेंसियाँ	संगठनों की कुल संख्या	प्राप्त हुए कुल उत्तर
मंत्रालय/विभाग	85	6
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, आदि	1239	22
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि	241	20
योग	**1565**	**48**

3.1 उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि मौजूदा रिपोर्ट के लिए कुल उत्तर केवल 3.07 प्रतिशत बैठता है; यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट के 7 प्रतिशत में 3.93 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। ज़ाहिर है यह अच्छा संकेत नहीं है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।

3.2 जिन मंत्रालयों/अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम **अनुलग्नक–1** में देखे जा सकते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-3

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2008 was sought from 85 Ministries/ Departments and then Attached and Subordinate Offices including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish their report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the provisions of the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 during the year 2008. However, only 48 Organizations furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from various Organizations is indicated below in a tabulated form:-

Records Creating Agencies	Total No. of Organizations	Total response received
Ministries/ Departments	85	6
Attached/ Subordinate Offices etc.	1239	22
Public Sector Undertakings etc.	241	20
Total	**1565**	**48**

3.1 An analysis of the above data reveals that the total response is only 3.07 per cent for the present report; it has gone down by 3.93 per cent as compared to the last year's report which had a total response of 7 per cent. Obviously, this is very poor sign. The Records Creating Agencies as well as all Chief Records Officers of different Ministries/ Departments/ PSUs need to pay serious attention and to see that the provisions of the Act are adhered to.

3.2 The names of the Ministries/ Departments/ Offices/ PSUs etc which have furnished information for this report may be seen at **Annexure-I**.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–4

विभागीय अभिलेख कक्ष

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष अभिलेखों की बेहतर प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप–धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष, अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से रूप से संरक्षण करना तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिका बनाने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने–अपने मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस संबंध में अभिलेख सर्जक एजेंसियों की ओर से और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

4.1 कुल 48 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना भेजी है। इनमें से 28 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय है और 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय आदि हैं। इस संबंध में प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है।

4.2 निम्न मंत्रालयों/निकायों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित हैः सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय); वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली; केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय), नागपुर; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), कोचीन; योजना आयोग, नई दिल्ली; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, जयपुर; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली और प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

4.3 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हैं और उन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है। इनके नाम हैं: मुख्य अभियंता (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय); क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चण्ड़ीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुंबई; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, कोलकाता; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, लखनऊ; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, बैंगलोर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चेन्नई और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भोपाल।

4.4 निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने सूचित किया है कि उनके विभागीय अभिलेख

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-4

DEPARTMENTAL RECORDS ROOMS

A well-organized Departmental Records Room is one of the pre-requisites of sound Records Management System. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their Records Rooms at suitable locations and also place each Records Room under the charge of a Records Officer. The objective of setting up of the Departmental Records Room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required to be retained. Drawing the attention of the Records Creating Agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Records Rooms in their respective Ministry/ Department/ Office/ Public Sector Undertakings etc. However, response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organize and set up their Departmental Records Rooms in a scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect. More efforts are required to be made by the Records Creating Agencies in this regard.

4.1 In all, 48 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have sent information. Out of which 28 are Ministries/ Departments/ Offices and 20 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. Detailed analysis of information received in this regard is given below.

4.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that their Records Rooms are well organized: Armed Forces HQs/IS Organisations, (Ministry of Defence); Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Department of Information Technology (Ministry of Communication & Information Technology), New Delhi; Central Agmark Laboratory, Department of Agriculture and Co-operation (Ministry of Agriculture), Nagpur; Ministry of Water Resources, New Delhi; Department of Shipping (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin; Planning Commission, New Delhi; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur; Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi and Prime Minister's Office, New Delhi.

4.3 The following organizations have informed that their Records Rooms are not fully organized and furnished 'NIL' information. These are: Office of Chief Engineer, (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Office of Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare); Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chandigarh; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bangalore; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai and Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal.

4.4 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have reported that they have well

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

कक्ष सुव्यवस्थित हैं। इनके नाम हैं: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद; डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), विशाखापट्टनम, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय); राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय); भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता और डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड, नई दिल्ली।

4.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूरी तरह व्यवस्थित हैं। इनके नाम हैं: ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय); सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (जल संसाधन मंत्रालय), वड़ोदरा; मज़ागांव डोक लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय), मुम्बई; सरदार सरोवर निर्माण सहायता समिति (जल संसाधन मंत्रालय), बडोदरा; उन्नत संगणना विकास केंद्र (संचार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा फरक्का बैराज़ परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय)।

4.6 बंगाल केमिकल्स एड फार्मस्यूटिकल लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कोलकाता; और केंद्रीय भूजल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), फरीदाबाद ने सूचित किया है कि उनके पास अभिलेख कक्ष है लेकिन उन्हें अधिक जगह की जरूरत है।

4.7 राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष की अभी स्थापना की जानी है।

4.8 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय), चेन्नई ने सूचित किया है कि उनका कोई केंद्रीयकृत विभागीय अभिलेख कक्ष नहीं है। तथापि, विभागाध्यक्ष उनके विभागीय अभिलेखों की निगरानी करते हैं।

4.9 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता।

4.10 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग ने सूचित किया है कि यह उनसे संबंधित नहीं है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

organized Departmental Records Rooms. These are: National Hydroelectric Power Corporation Limited, (Ministry of Power), Faridabad; WAPCOs Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon; Vishakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Vishakhapatnam; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources); National Water Development Agency (Ministry of Water Resources); Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata and WAPCOs Limited, New Delhi.

4.5 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have informed that their Records Rooms are not fully organized. These are: Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources); Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara; Mazagon Dock Limited, Department of Defence Production (Ministry of Defence), Mumbai; Sardar Sarovar Construction Assistance Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara; Centre for Development of Advanced Computing (Ministry of Communication and information and Technology) and Farakka Barrage Project (Ministry of Water Resources).

4.6 Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited (Ministry of Chemicals and Fertilizers), Kolkata; and Central Ground Water Board (Ministry of Water Resources) Faridabad have informed that they have Records Rooms but require more space.

4.7 National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi has informed that their Records Room is yet to be set up.

4.8 Chennai Petroleum Corporation Limited (Ministry of Petroleum), Chennai has informed that they have no centralized Departmental Records Room. However, Head of Department is looking after their Departmental Records.

4.9 Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhubaneswar has informed that this is not applicable on them.

4.10 Project Evaluation Office, Planning Commission, Patna has informed that it is not relevant to them.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–5

मुख्य अभिलेख अधिकारियों का नामांकन

अभिलेख सलाहकार बोर्ड की 9वीं बैठक श्री अभिजीत सेनगुप्ता, तत्कालीन सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 7 फरवरी, 2008 को हुई थी। अभिलेख सलाहकार बोर्ड के सदस्य–सचिव ने केंद्र सरकार के सभी संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम को लागू करने में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में बोर्ड को अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किया कि केंद्र सरकार की अभिलेखों का सृजन करने वाली 1565 एजेंसियों की तुलना में 85 मंत्रालयों/विभागों से बातचीत करना अधिक व्यावहारिक है। उनका मत था कि प्रत्येक मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव या अपर सचिव स्तर के अधिकारी को उस मंत्रालय/विभाग का मुख्य अभिलेख अधिकारी (सीआरओ) नामित किया जा सकता है और उन्हें उस मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सभी संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में लोक अभिलेख अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।

5.1 अभिलेख सलाहकार बोर्ड की चर्चाओं के आधार पर सचिव (संस्कृति) ने सरकारी कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन से संबंधित मुददों पर 12 जून, 2008 को मंत्रिमंडल सचिव को एक नोट प्रस्तुत किया था और उनसे मुख्य अभिलेख अधिकारियों के रूप में अपर सचिवों/संयुक्त सचिवों को नामित करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को पत्र लिखने का अनुरोध किया था।

सचिव (संस्कृति) के ऊपर उल्लिखित अनुरोध पर मंत्रिमंडल सचिव ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को दिनांक 26 जून, 2008 को एक अर्द्ध–शासकीय पत्र सं0 292/2/1/2008–मंत्रिमंडल–III जारी करते हुए उन्हें अपने मंत्रालय/विभाग में एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी, जिन्हें मुख्य अभिलेख अधिकारी कहा जाएगा, के रूप में नामित करने का निर्देश दिया था, जिसकी सूचना महानिदेशक, अभिलेखागार को दी जाए, ताकि मंत्रालय/विभाग तथा उसके सभी घटक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लोक अभिलेखों के प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण किया जा सके।

5.2 अभी तक मंत्रालय/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 61 मुख्य अभिलेख अधिकारियों को नामित किया गया है। इन मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू के नाम **अनुलग्नक–5** में देखे जा सकते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-5

NOMINATION OF CHIEF RECORDS OFFICERS

The 9th meeting of the Archival Advisory Board was held on 7th February 2008 in New Delhi under the Chairmanship of Shri Abhijit Sengupta, the then Secretary, Ministry of Culture, Government of India. The Member-Secretary of the Archival Advisory Board appraised the board about the problems being faced by the National Archives of India in implementing the Public Records Act in all the organizations of the Union Government. The Chairman viewed that it is more pragmatic to deal with 85 Ministries/ Departments rather over 1565 record creating agencies of the Union Government. He was of the view that in each Ministry a Joint Secretary or Additional Secretary level officer could be nominated as Chief Records Officer (CRO) for that Ministry/ Department and he made responsible to implement the Public records Act in all other attached/ subordinate offices/ PSUs etc. under the administrative control of that Ministry/ Department.

5.1 On the basis of the deliberations of the Archival Advisory Board, Secretary, (Culture) submitted a Note to the Cabinet Secretary on 12th June, 2008 on issues relating to Records Management in government offices and requested him to write to all Secretaries of the Central Government Ministries/ Departments for designating Additional Secretaries/ Joint Secretaries as Chief Records Officers.

On the above mentioned request of the Secretary (Culture), Cabinet Secretary had issued a D/O No. 292/2/1/2008-Cab.III date 26th June, 2008 to all the Secretaries of the Central Government Ministries/ Departments instructing them to designate a Joint Secretary of their Ministry/ Department as a nodal officer, to be called the Chief Records Officers, under intimation to the Director General of Archives, to coordinate and supervise all activities relating to management of public records in the Ministry/ Department as also in all its constituent Offices/ PSUs.

5.2 So far 61 CRO's have been nominated by Ministries/ Departments/ PSUs. The names of these Ministries/ Departments/ PSUs may be seen at **Annexure-V.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–6

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। विभागीय अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह संगठन में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं मार्गदर्शन दे और महत्वपूर्ण कार्यों के अभिलेख प्रतिधारण समय–सारणी के संकलन, गैर–प्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखे। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाले सभी संगठनों से विभागीय अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया है। अभी तक 982 संगठनों ने अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 48 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/पीएसयू ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। प्राप्त किए गए उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है।

6.1 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इनके नाम हैंः– सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन सड़क परिवहन विभाग और राजमार्ग (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) और योजना आयोग, नई दिल्ली।

6.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं है। इनके नाम हैंः– वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय); सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय); कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) की केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), कोचीन; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नागपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, कोलकाता; महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली और प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

6.3 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि वे छोटे संगठन हैं और वे किसी अभिलेख अधिकारी को नामित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। कुछ कार्यालयों ने 'शून्य' उत्तर दिया है। इनके ये हैंः– जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य अभियंता का कार्यालय (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; अपर निदेशक का कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुंबई; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, लखनऊ; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग जयपुर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय; योजना आयोग, भोपाल; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुंबई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, गुवाहाटी और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना, योजना आयोग, चण्डीगढ़।

6.4 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, हैदराबाद ने सूचित किया है कि अभिलेख से संबंधित उनका कार्य समूह 'ग' कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

CHAPTER-6

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to coordinate and guide various Sections/ Divisions of their respective organizations as well as liaisoning with the Director General of Archives regarding the Compilation of Records Retention Schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for scientific and preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India has requested all the organizations falling under the purview of the Act to nominate Departmental Records Officer at their earliest. So far, 982 organizations have nominated one of their officers as Records Officer. During the period under report, 48 Ministries/ Departments/ Offices/ PSUs have furnished the requisite information in this regard. Details of replies received are given below.

6.1 Following Ministries/ Departments/ Offices have trained Departmental Records Officers. These are:- Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; Ministry of Water resources, New Delhi; Department of Shipping Road Transport and Highways (Ministry of Shipping Road Transport and Highways) and Planning Commission, New Delhi.

6.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have Departmental Records Officer but they are not trained. These are:- Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology); Central Agmark Laboratory Department of Agriculture and Co-operation (Ministry of Agriculture), Nagpur; Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, Nagpur; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata; Directorate General, Central Reserve Police Force, (Ministry of Home Affairs), New Delhi and Prime Minister's Office South Block, New Delhi.

6.3 The following Organizations have informed that they are small organizations and they do not feel necessity of nominating a Records Officer. Some offices have given 'NIL' replies. These are:- Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Engineer (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Office of Additional Director, Central Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai; Project Evaluation Office, Planning Commission, Guwahati and Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chandigarh.

6.4 The Regional Evaluation Office, Planning Commission, Hyderabad has intimated that their work relating to record is being done by Group 'C' staff.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6.5 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि विभागीय अभिलेख अधिकारी का नामांकन और प्रशिक्षण उनसे संबंधित नहीं है और उन पर लागू नहीं होता। इनके नाम हैं:– परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, पटना; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, बैंगलोर और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चेन्नई।

6.6 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, तिरुवनंतपुरम ने सूचित किया है कि उनका कार्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली की क्षेत्रीय इकाई है और दस्तावेजों का रखरखाव क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चेन्नई में किया जाता है।

6.7 रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), नई दिल्ली ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

6.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में पूर्णकालिक विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं जो प्रशिक्षित हैं। ये हैं:– नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (विद्युत मंत्रालय); बंगाल केमिकल एंड फार्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), कोलकाता; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), विशाखापट्टनम; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद।

6.9 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है – फरक्का बैराज परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय), मुर्शीदाबाद; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मजगांव डोक लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय), मुंबई और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा (रक्षा मंत्रालय), गोवा।

6.10 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ अभिलेख अधिकारी हैं लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं है। ये हैं – बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी; डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव; केंद्रीय भू–जल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय, फरीदाबाद; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (जल संसाधन मंत्रालय), बडोदरा; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय), चेन्नई; गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता और उन्नत संगणण विकास केंद्र, पुणे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)।

6.5 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that Nomination and Training of Departmental Records Officer is not relevant and not applicable to them. These are:- Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhubaneswar; Project Evaluation Office, Planning Commission, Patna; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bangalore and Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai.

6.6 The Project Evaluation Office, Planning Commission, Thiruvananthapuram, has intimated that it's a field unit of Planning Commission, New Delhi and documents are maintained at Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai.

6.7 Directorate General of Employment and Training (Ministry of Labour and Employment), New Delhi has given vague reply.

6.8 As regards the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies, the following Public Sector Undertakings have fulltime Departmental Records Officers and they are trained. These are:- The National Hydro-Electric Power Corporation Ltd. Faridabad (Ministry of Power); Bengal Chemical and Pharmaceuticals Limited (Ministry of Chemicals and Fertilizers), Kolkata; Vishakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Vishakhapatnam; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad.

6.9 The following Public Sector Undertakings have informed that they have no Records Officer - Farakka Barrage Project (Ministry of Water Resources), Murshidabad; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Mazagon Dock Limited, Department of Defence Production (Ministry of Defence), Mumbai and Goa Shipyard Limited, Vasco-De-Gama (Ministry of Defence), Goa.

6.10 Following Public Sector Undertakings have informed that they have Records Officer but not trained. These are:- Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; WAPCOs Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon; Central Ground Water Board (Ministry of Water Resources), Faridabad; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Chennai Petroleum Corporation Limited (Ministry of Petroleum), Chennai; Garden Reach Ship Builders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata and Centre For Development of Advanced Computing, Pune, Department of Information and Technology (Ministry of Communication and Information Technology).

अध्याय–7

स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्द्ध–प्रचलित चरण में अभिलेखों को उनके अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता। विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ विभागीय अभिलेख कक्ष नहीं बनाए जाते, वहाँ या तो इन अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों के हालात के लिए उपयुक्त नहीं है और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, नष्ट हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी संगठनों से अपने एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में तथा भोपाल के क्षेत्रीय केन्द्र तथा जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर के अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है।

7.1 कुल 48 संगठनों ने सूचना भेजी है, उनमें से 28 सरकारी और 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। ज्यादातर सरकारी संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है और कुछ कार्यालयों ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा दर्शाई है या पहले से ही अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, एनेक्सी भवन, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों, भोपाल, जयपुर, पुड्डुचेरी और भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिए हैं। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार हैं:–

7.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के नाम, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में स्थान की भागीदारी के इच्छुक हैं: पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)।

7.3 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के नाम, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुडुचेरी, भुवनेश्वर में अपने अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए स्थान की भागीदारी के लिए तैयार नहीं हैं और जिन्होंने 'नहीं' में उत्तर दिया है। ये हैं:– सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (एन.आर. क्षेत्र), योजना आयोग, चंडीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), कोलकाता; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), गुवाहाटी; क्षेत्रीय मूलांकन कार्यालय (योजना आयोग), लखनऊ; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य अभियंता का कार्यालय (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम ओर रोजगार मंत्रालय), कोचीन; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर और अपर निदेशक का कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य मंत्रालय), मुंबई।

7.4 मंत्रालय/विभाग कार्यालय, जिन्होंने उत्तर दिया है कि उनके पास अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, के नाम हैं: योजना आयोग, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद (योजना आयोग अपने अर्द्ध–प्रचलन अभिलेखों की देखभाल कर रहा है)।

7.5 महानिदेशालय कार्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीजीओ कॉम्पलैक्स (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ने कहा है कि उन्हें वर्तमान में अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-7

SHARING OF SPACE

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the Records Creating Agencies. Especially in the case where a separate Departmental Records Room has not been organized, either these records are dumped in the corridors or stacked haphazardly in the almirahs. These types of conditions are not conducive to the health of the records and as a result many of these records, containing valuable information, may perish. Keeping all these problems in mind, National Archives of India has been inviting all the Organizations to share space in its Annexe Building, New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.

7.1 In all 48 Organizations have furnished information, out of which 28 are the Government Organizations and 20 are Public Sector Undertakings. Most of the Government Organizations have given negative responses and only few Offices have shown their willingness to share space at National Archives of India, Annexe Building, New Delhi and its Regional Records Centres at Bhopal, Jaipur, Puducherry, and Bhubaneswar. Details of replies received in this regard are as follow:

7.2 The following Ministries/ Departments/ Offices who is willing to Share space at National Archives of India, New Delhi: Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways).

7.3 The following Ministries/ Departments/ Offices who are unwilling to share space at National Archives of India, New Delhi, its Regional Office at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Pondicherry, Bhubaneswar for housing their semi-current records and replied 'No'. These are: Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; D/o Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology); Prime Minister's Office, South Block, New Delhi; Regional Evaluation Office (N. R. Region), Planning Commission, Chandigarh; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Kolkata; Project Evaluation Office (Planning Commission), Guwahati; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Lucknow; Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Engineer (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Port Blair; Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin; Indian Bureau of Mine (Ministry of Mines), Nagpur and Office of Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health), Mumbai.

7.4 The Ministries/ Departments/ Offices who have replied that they have sufficient space for storage of semi-current records are as follows: Planning Commission, Regional Evaluation Office, Hyderabad (Planning Commission is taking care of their semi current records).

7.5 Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi states that they do not require additional space at present.

7.6 मंत्रालय / विभाग / कार्यालय, जिन्होंने यह उत्तर दिया है कि उन पर फार्म 5 लागू नहीं होता और यह उनसे संबंधित नहीं है, के नाम हैं: परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भुवनेश्वर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), मुंबई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), पटना; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), चेन्नई और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), जयपुर।

7.7 मंत्रालय / विभाग / कार्यालय, जिन्होंने यह उत्तर दिया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थान की भागीदारी के संबंध में उनके मुख्यालय से बात की जाए, के नाम हैं: परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), तिरूवनंतपुरम; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), बंगलौर और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना आयोग), भोपाल।

7.8 रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), नई दिल्ली ने रिपोर्ट उचित रूप से नहीं दी है।

7.9 केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर, कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) ने स्थल की भागीदारी के संबंध में 'शून्य' सूचना दी है।

7.10 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों / सांविधिक निकायों आदि, जिन्होंने सौ फाइलों के भण्डारण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय और अभिलेख केंद्र उन्नत संगणन विकास केंद्र, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) में स्थान की भागीदारी के संबंध में इच्छा दर्शाते हुए सूचना दी है।

7.11 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम / सांविधिक निकाय, आदि किसी एक या अन्य कारण से अभिलेख भण्डारण स्थान की भागीदारी के लिए तैयार नहीं है। ये हैं: फरक्का बैराज परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय); ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय), चेन्नई; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड, मिनी–रत्न (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; मजगांव डोक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुंबई; गोवा शिपगार्ड लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), गोवा; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली; सरदार सरोवर निर्माण सहायक समिति बडोदरा (जल संसाधन मंत्रालय); नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद; डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), कोलकाता; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), विशाखापटनम; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय); केंद्रीय भू–जल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), फरीदाबाद; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (जल संसाधन मंत्रालय), बडोदरा; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय) और भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.6 The Ministries/ Departments/ Offices who replied that the form 5 is not applicable and not relevant to them are as follows: Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhubaneswar; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Mumbai; Project Evaluation Office (Planning Commission), Patna; Regional Evaluation Office (Planning Commission), Chennai and Regional Evaluation Office (Planning Commission), Jaipur.

7.7 The Ministries/ Departments/ Offices who replied that the sharing of space at National Archives of India should be dealt with the head quarters are as follows: Project Evaluation Office (Planning Commission), Thiruvananthapuram; Project Evaluation Office (Planning Commission), Bangalore and Project Evaluation Office (Planning Commission), Bhopal.

7.8 Director General of Employment and Training (Ministry of Labour and Employment), New Delhi has not given report properly.

7.9 The Central Agmark laboratory, Nagpur, Department of Agriculture and Co-operative (Ministry of Agriculture) has provided 'nil' information regarding sharing of space.

7.10 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have furnished information showing willingness regarding sharing of space in National Archives of India, Regional Office and Records Centres is the Centre for Development of Advanced Computing, Department of Information and Technology (Ministry of Communication and Information Technology) for storage of hundred files.

7.11 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are unwilling to share records storage space for one reason or the other. They are: Farakka Barrage Project (Ministry of Water Resources); Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources); Chennai Petroleum Corporation Limited (Ministry of Petroleum), Chennai; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Ministry of Defence), Kolkata; WAPCO's Limited, Mini-Ratna (Ministry of Water Resources), New Delhi; Mazagon Dock Limited (Ministry of Defence), Mumbai; Goa Shipyard Limited (Ministry of Defence), Goa; National Water Development Agency, New Delhi; Sardar Sarovar Construction Assistance Committee, Vadodara (Ministry of Water Resources); National Hydro-Electric Power Corporation (Ministry of Power), Faridabad; WAPCO's Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon; Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited (Ministry of Chemicals and Fertilizers), Kolkata; Vishakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Vishakhapatnam; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources); Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources); Central Ground Water Board (Ministry of Water Resources), Faridabad; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources) and Bharat Dynamics Ltd., (Ministry of Defence), Hyderabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–8

अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने दिन–प्रतिदिन के लेन देन में अभिलेखों का सृजन करता है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि के अभिलेखों से पृथक करने के लिए और इनके उचित प्रबंधन/रख–रखाव के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन, समीक्षा और छंटाई आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम (9) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को 21 मई, 2009 को एक परिपत्र सं0 16–4/ 2009–आर.एम. जारी किया गया था और उनसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधिनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था ताकि फार्म 7 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। सूचना भेजने वाले संगठनों की सूची **अनुलग्नक–2** में देखी जा सकती है। सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

8.1 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अभिलेखन, समीक्षा, सूची बनाने और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ये हैं: नगर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय; रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रौद्योगिकी, चंडीगढ़ (रक्षा मंत्रालय); सहायक लवण आयुक्त, तूतिकोरिन; गृह मंत्रालय, प्रशा. VII अनुभाग, नई दिल्ली; रोजगार ओर प्रशिक्षण महानिदेशालय, मेघालय (श्रम मंत्रालय); पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली (पोत परिवहन, सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, ओमएण्डएम अनुभाग, नई दिल्ली (पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन केंद्र, हिसार (श्रम और रोजगार मंत्रालय); आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली (आर.आर. अनुभाग), (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय (हिमाचल प्रदेश मण्डल), शिमला (डाक विभाग); पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (पर्यावरण और वन मंत्रालय); प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली और योजना आयोग।

8.2 निम्न संगठनों ने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं: पशु पालन और दुग्ध विभाग, धमरोड, सूरत (कृषि मंत्रालय); उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग (आईडब्ल्यूटी अनुभाग) (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली; पोत परिवहन मंत्रालय (अनुभाग एमडी/पोत परिवहन–समन्वय), नई दिल्ली; अपर निदेशक का कार्यालय, सी.जी.एच.एस., जबलपुर (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय); अपर निदेशक का कार्यालय, सी.जी.एच.एस., मुंबई (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) और रक्षा मंत्रालय, डी (ओ एण्ड एम), नई दिल्ली।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-8

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every records creating agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those of ephemeral ones and also for their proper management/ maintenance, their timely recording, reviewing and weeding are the essential steps which are required to be taken by all records creating agencies. The Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rule, 1997, stipulate that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997, further stipulates that each record creating agency shall furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. 16-4/2009-RM, dated 21 May 2009 was issued to all Ministries/ Departments/ Offices and also requested them to issue necessary directives to all the Attached and Subordinate Offices of the Government of India including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish the report in Form 7. A list of organizations who have sent information may please be seen in **Annexure-II**. The analysis of information is given below.

8.1 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are attending the job of Recording, Reviewing and Weeding out of semi-current records. These are: Ministry of Civil Aviation and Tourism, New Delhi; Ministry of Commerce and Industry, Deptt. of Commerce (supply div.), New Delhi; Ministry of Communications and Information Technology, New Delhi; Ministry of Defence; Defence Research and Development Organisation Technology, Chandigarh (Ministry of Defence); Office of the Assistant Salt Commissioner, Tuticorin; Ministry of Home Affairs, Ad. VII section, New Delhi; Directorate General of Employment and Training, Meghalaya (Ministry of Labour); Department of Shipping, New Delhi (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways); Department of Road Transport and Highways, O. & M. Sec., New Delhi (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways); Ministry of Water Resources, New Delhi; Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Hissar, (Ministry of Labour & Employment); Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi (Ministry of Commerce & Industry); Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi (R.R.Sec.), (Ministry of Commerce & Industry); Office of the Chief Postmaster General (Himachal Pradesh Circle), Simla (Deptt. of Post); Eastern Regional Office, Bhubaneswar (Ministry of Environment & Forest); Prime Minister's Office, New Delhi and Planning Commission.

8.2 The following organizations have furnished 'NIL' report. These are: Department of Animal Husbandry & Dairying, Dhamrod, Surat (Ministry of Agriculture); Northern Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways), New Delhi; Department of Shipping (IWT Sec.) (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways), New Delhi; Ministry of Shipping (Sec. MD/Ship-Coord.), New Delhi; Office of the Additional Director, C.G.H.S., Jabalpur (Ministry of Health & Family Welfare); Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai (Ministry of Health & Family Welfare) and Ministry of Defence, D.(O. & M.), New Delhi.

8.3 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने सूचना भेजी है कि वे अभिलेखों का अभिलेखन, समीक्षा और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ये हैं – बनसागर नियंत्रण परिषद, रीवा (मध्य प्रदेश) जल संसाधन मंत्रालय); मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय); बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेसियुटिक्ल लि0, नागपुर (खान और खनिज मंत्रालय); नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एण्ड विकास निगम (सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय); एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) (विद्युत मंत्रालय) और भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, दिल्ली (आदिवासी कार्य मंत्रालय)।

8.4 ऐसे संगठन जो कार्य नहीं कर रहे हैं – इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (नागरिक विमानन मंत्रालय), राय बरेली (उ.प्र.); भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, कंचनबाग (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; जवाहरलाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), बंगलौर और एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), एन्नोर।

8.5 न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, पैनाम्बूर ने पत्र के साथ अनुलग्नक नहीं भेजा है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

8.3 Following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have reported that they are attending to the recording, reviewing and weeding out of records. These are The Bansagar Control Council, Rewa (M.P.) (Ministry of Water Resources); Mumbai Port Trust, Mumbai (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways); Chennai Petroleum Corporation Ltd., Chennai (Ministry of Petroleum & Natural Gas); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata (Ministry of Chemicals & Fertilizers); Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur (Ministry of Mines & Minerals); National Safai Karamchari Finance & Dev. Corporation (Ministry of Social Justice & Empowerment); N. H. P. C. Ltd., Faridabad (Haryana) (Ministry of Power) and Tribal Co-Operative Marketing Dev. Federation of India, Ltd., Delhi (Ministry of Tribal Affairs).

8.4 Organisations who are not doing the job are the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi (Ministry of Civil Aviation), Rai bareli (U.P.); Bharat Dynamics Ltd., Kanchanbagh (Ministry of Defence), Hyderabad; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (Ministry of Science & Technology), Bangalore and Ennore Port Ltd., (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways), Ennore.

8.5 The New Mangalore Port Trust, Panambur has not sent the enclosure with letter.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–9

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी संगठन की प्रशासनिक दक्षता निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों को समय पर और आवश्यकतानुसार सूचना प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है, जो तभी संभव है यदि अभिलेखों में से तुरंत सूचना निकाली जा सके। अभिलेखों से आसानी और तेजी से सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ की जरूरत होती है। वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों की श्रेणी 'क' और 'ख' में संकलित करने से इस कार्य में बहुत सहायता मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने परिपत्र सं0 16–12क/2009–आर.एम. दिनांक 21 मई 2009 के जरिए सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया था। इस काम के बारे में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुल 48 संगठनों ने सूचना दी है। इनमें से 28 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय, इत्यादि हैं।

9.1 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन प्रगति पर है।

9.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने विभिन्न उत्तर भेजे हैं, यथा कोई संकलन नहीं किया गया, आवश्यकता नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य रिपोर्ट, आदिः इनके नाम हैंः सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय), नागपुर; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य अभियंता का कार्यालय, पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुम्बई; योजना आयोग, नई दिल्ली; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग (उत्तरी क्षेत्र) चण्डीगढ़; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुम्बई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, पटना; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, कोलकाता; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, गुवाहाटी; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, लखनऊ; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, जयपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चेन्नई; प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, तिरुवनंतपुरम।

9.3 महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण (श्रम और रोजगार मंत्रालय); पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग) तथा महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

9.4 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, बैंगलोर तथा परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भोपाल ने सूचित किया है कि यह कार्य मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-9

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of an organization depends upon the submission of information to the decision-making authorities on time and as per requirement, which can only be done if the information is called out from amongst records quickly. Easy and quick retrieval of information from records requires good reference media, compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records that will go a long way in facilitating this job. National Archives of India requested all the records creating agencies vide its circular No. 16-12A/2009-RM dated 21 May 2009 to furnish the information on the action taken by them in this regard. No appreciative response has been received from the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings on this score.

In all 48 organizations have furnished information. Out of these 28 are Ministries/ Departments/ Offices and 20 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc.

9.1 Ministry of Water Resources, New Delhi has informed that they have compiled indices or compilation of Indices is in progress.

9.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have sent varying responses e.g. not compiling, not necessary, not required, nil reports, etc. These are: Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology); Central Agmark Laboratory, Department of Co-operative (Ministry of Agriculture), Nagpur; Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Engineer, Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Port Blair; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Planning Commission, New Delhi; Regional Evaluation Office, Planning Commission, (NR) Chandigarh; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhubaneswar; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai; Project Evaluation Office, Planning Commission, Patna; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata; Project Evaluation Office, Planning Commission, Guwahati; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai; Prime Minister's Office, South Block, New Delhi and Regional Evaluation Office, Planning Commission, Thiruvananthapuram.

9.3 The Directorate General, Employment and Training (Ministry of Labour and Employment); Department of Shipping (Ministry of Shipping Road Transport and Highways) and Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi have given vague reply.

9.4 Project Evaluation Office, Planning Commission, Bangalore and Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal have intimated that this matter is dealt by head quarter.

9.5 क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), कोचीन ने सूचित किया है कि सूचियाँ तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

9.6 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, हैदराबाद ने सूचित किया है कि ये विषय उनके कार्यालय से संबंधित नहीं हैं।

9.7 कुल 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/कॉर्पोरेशनों आदि ने उत्तर दिया है। इनमें से पांच संगठन सूचियाँ तैयार कर रहे हैं: डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड, गुड़गांव; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम; बेतवा नदी बोर्ड; झांसी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा, गोवा। बेतवा नदी बोर्ड, झांसी ने सूचित किया है कि आगे की कार्रवाई परियोजना संयुक्त बोर्ड द्वारा की जाएगी।

9.8 नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) ने सूचित किया है कि कार्रवाई की जा रही है।

9.9 भारतीय आदिवासी सहकारिता विपणन विकास परिसंघ, दिल्ली ने सूचित किया है कि उन पर अभिलेखों की सूचियाँ बनाना लागू नहीं होता।

9.10 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने सूचित किया है कि वे सूचियाँ तैयार नहीं कर रहे हैं। ये हैं: फरक्का बैराज परियोजना, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल; बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड, कोलकाता; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली; भारत डॉयनामिक लिमिटेड, हैदराबाद; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; मजगांव डोक लिमिटेड, मुम्बई; राष्ट्रीय विकास एजेंसी, नई दिल्ली; सरदार सरोवर निर्माण सहायक समिति, बडोदरा और उन्नत संगणन विकास केन्द्र, पुणे।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.5 Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin has intimated that preparation of indices question does not arise.

9.6 Regional Evaluation Office, Planning Commission, Hyderabad has intimated that their office does not deal with such subjects.

9.7 In all twenty Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. have responded. Out of which five organizations are preparing indices. These are: WAPCOs Limited, Gurgaon; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Betwa River Board, Jhansi; Brahmaputra Board, Guwahati and Goa Shipyard Ltd. Vasco-De-Gama, Goa. Betwa River Board, Jhansi has informed that further action shall be taken by the Project Joint Board.

9.8 National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana) have informed that the action is being taken.

9.9 Tribal Co-operative Marketing Development Federation of Indian Limited, Delhi has informed that indexing of records is not applicable.

9.10 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have informed that they are not preparing indices. These are:- Farakka Barrage Project, Murshidabad, West Bengal; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Upper Yamuna River Board, New Delhi; Central Ground Water Board, Faridabad; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; National Water Development Agency, New Delhi; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata; Mazagon Dock Limited, Mumbai; National Water Development Agency, New Delhi; Sardar Sarovar Construction Assistance Committee, Vadodara and Centre for Development of Advanced Computing, Pune.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–10

अभिलेखों के प्रतिधारण सारणी का संकलन

एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की जरूरत होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ड.) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी के संशोधन से संशोधित प्रतिधारण सारणी में उनकी प्रतिधारण अवधि के साथ नए विषयों का शामिल होना सुनिश्चित हो पाएगा। ऐसी प्रतिधारण सारणियाँ उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलित की जानी चाहिए। कुल मिलाकर 48 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं0 16–12ए/2009–आर.एम. दिनांक 21 मई, 2009 का उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2008 की मौजूदा रिपोर्ट का संकलित करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची बनाने की सूचना माँगी गई थी। इनमें से 28 सरकारी संगठन और 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि है। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

10.1 निम्न कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण समय–सूची का संकलन किया है। ये हैं: सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; खान मंत्रालय, नागपुर; योजना आयोग, नई दिल्ली और प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

10.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जैसे रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), कोचीन ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

10.3 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों संगठनों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण समय–सूची संकलित नहीं की है और 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं: जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य अभियंता का कार्यालय (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग (उत्तरी रेलवे) चण्डीगढ़; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, कोलकाता और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, लखनऊ।

10.4 अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) मुम्बई ने सूचित किया है कि प्रतिधारण समय–सूची तैयार करना उन पर लागू नहीं होता।

10.5 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, हैदराबाद ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में ऐसी फाइलें नहीं होती।

10.6 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, तिरूवनंतपुरम ने सूचित किया है कि यह योजना आयोग, नई दिल्ली की एक क्षेत्रीय इकाई है और दस्तावेज क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चेन्नई में रखे जाते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-10

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

A sound records management system requires a well drawn up Records Retention Schedule laying down retention periods for various records groups being created by different Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions. Further, revision of such Retention Schedule after the expiry of every fifth year, as required under Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997, framed under the said Act, would ensure inclusion of the new subjects along with their retention period within the body of the revised retention schedule. Such Retention Schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all, 48 Records creating agencies have furnished information in response to the circular letter No.16-12A/2009-RM, dated 21 May 2009 seeking information on formulation of Records Retention Schedule in connection with compiling the present report for the year 2008, out of which 28 Government organizations and 20 are Public Sector Undertakings etc. Details of the replies received are indicated below:-

10.1 The following Offices have informed that they have compiled Retention Schedules. These are: Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology); Ministry of Water Resources, New Delhi; Department of Shipping (Ministry of Road Transport and Highways); Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Ministry of Mines, Nagpur; Planning Commission, New Delhi and Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.

10.2 The following Ministries/ Departments/ Offices like Directorate General of Employment and Training (Ministry of Labour and Employment), New Delhi; Central Agmark Laboratory, Department of Agriculture and Co-operative (Ministry of Agriculture) and Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin have given vague reply.

10.3 The following Ministries/ Departments/ Offices organizations have not compiled Retention Schedule of their records and furnished 'Nil' reports. These are: Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Engineer (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Regional Evaluation Office, Planning Commission, (NR) Chandigarh; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata and Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow.

10.4 Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai has intimated that preparation of retention schedule is not applicable on them.

10.5 Regional Evaluation Office, Planning Commission, Hyderabad has intimated that their office do not generate such files.

10.6 The Project Evaluation Office, Planning Commission, Thiruvananthapuram has intimated that it's a field unit of Planning Commission, New Delhi and documents are maintained at Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

10.7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, जयपुर ने सूचित किया है कि वे प्रतिधारण समय–सूची के संकलन से संबंधित नहीं है।

10.8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भोपाल ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं।

10.9 महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे सीआरपीएफ की स्थापना नियमावली के पैरा 5.16 और 5.17 में निहित अनुदेशों के अनुसार पुराने अभिलेखों की छंटाई के लिए प्रतिधारण समय–सूची का अनुपालन कर रहे हैं, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

10.10 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों संगठनों ने सूचित किया है कि यह विषय उन पर लागू नहीं होता और न ही उनसे संबंधित है। ये हैं: – परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुम्बई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, पटना और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, गुवाहाटी।

10.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों, आदि के संबंध में निम्नलिखित संगठनों ने सूचना दी है कि उन्होंने अभिलेखों के लिए प्रतिधारण समय–सूची तैयार कर ली है। इनके नाम हैं: नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद (हरियाणा); बंगाल केमिक्ल्स एण्ड फॉर्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), कोलकाता; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग), विशाखापट्नम; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय), चेन्नई; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा (रक्षा मंत्रालय), गोवा; सरदार सरोवर निर्माण सहायता समिति (जल संसाधन मंत्रालय), बडोदरा; और वेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी।

10.12 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समय–सूचियों को पूरा करने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है और 'शून्य' रिपोर्ट भेजी हैं। इनके नाम हैं:– फरक्का बैराज परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय), मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल); डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; केन्द्रीय भूजल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), फरीदाबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंण्ड इजीनियर्स लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; मजगांव डोक लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय), मुम्बई; उन्नत संगठन विकास केन्द्र, सूचना और प्रोद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), पुणे और भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद।

10.13 राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली ने एनडब्ल्यूडीए के मूल कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची तैयार की है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

10.7 Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur has intimated that they are not concerned with compilation of retention schedule.

10.8 Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal has intimated that their records are of no National Importance.

10.9 Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi has informed that they are following the retention schedule for weeding out the old records in accordance with the instructions contained in Para 5.16 and 5.17 of Estt. Manual of CRPF, which is approved by Ministry of Home Affairs.

10.10 The following Ministries/ Departments/ Offices organizations have intimated that this point is not applicable and not relevant to them. These are:- Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhubaneswar; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai; Project Evaluation Office, Planning Commission, Patna and Project Evaluation Office, Planning Commission, Guwahati.

10.11 As regards Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., following organizations have furnished information in this regard that they have prepared Retention Schedule for records. These are: National Hydro-Electric Power Ltd. (Ministry of Power), Faridabad (Haryana); Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (Ministry of Chemicals and Fertilizers), Kolkata; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Visakhapatnam; Chennai Petroleum Corporation Limited (Ministry of Petroleum), Chennai; Goa Shipyard Limited, Vasco-De-Gama (Ministry of Defence), Goa; Sardar Sarovar Construction Assistance Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara and Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi.

10.12 Following organizations have informed that they have not yet started work on the completion of the Records Retention Schedules and given 'Nil' reports. These are:- Farakka Barrage Project, (Ministry of Water Resources), Murshidabad (West Bengal); WAPCOs Limited (Ministry of Water Resources), Gurgaon; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Ground Water Board (Ministry of Water Resources), Faridabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Department of Defence Production (Ministry of Defence), Kolkata; Mazagon Dock Limited, Department of Defence Production (Ministry of Defence), Mumbai; Centre for Development of Advanced Computing, Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), Pune and Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad.

10.13 National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi has prepared retention schedule for records of Substantive Functions of NWDA.

अध्याय–11

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पाँच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को कम किया जा सके। इन उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए दिनांक 21 मई, 2009 का परिपत्र सं0 16–12ए/2009–आर.एम. सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त उत्तर उत्साहजनक नहीं है क्योंकि केवल 48 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि ने उत्तर दिया है। प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया जाता है।

11.1 निम्न कार्यालय/मंत्रालय जिन्होंने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है, वे हैः– सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय); मुख्य अभियंता का कार्यालय (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), चेन्नई; योजना आयोग, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली और प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

11.2 ऐसे संगठन जो वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं/जिनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं है या जिन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं या यह सूचना उनसे अपेक्षित या संगत नहीं है, ये हैः– मंत्रालय/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय), नागपुर; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग/पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय), नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग (उत्तरी रेलवे), चण्डीगढ़; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भोपाल; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुम्बई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, पटना और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना अयोाग, जयपुर।

11.3 निम्न संगठनों/मंत्रालयों/कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी हैं। ये हैं – परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, गुवाहाटी और जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।

11.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेशनों/सांविधिक निकायों, आदि से प्राप्त सूचना का विश्लेषण। जिन तीन संगठनों ने फाइलों को वर्गीकरण की सूची से विवर्गीकरण करने की सूचना दी है, उनके नाम हैः विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), विशाखापट्नम और केन्द्रीय भू–जल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), फरीदाबाद और बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-11

DECLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

De-classification of classified records is one of the important aspects of records management. Section 6(1) (f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lay down that all records creating agencies falling within the purview of said Act, shall review their all classified files once in five years with a view to downgrading them. In order to implement these provisions, circular letter No. 16-12A/2009-RM, dated 21 May 2009 was issued to all records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 48 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings Statutory Bodies etc. have responded. A detailed analysis of the information received is given below.

11.1 The following Offices/ Ministries who have de-classified their classified records are: Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology); Office of the Chief Engineer (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Chennai; Planning Commission, New Delhi; Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi and Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.

11.2 The organizations who are not doing De-classification of classified records/ do not have classified records or given vague replies or not required or not relevant are: Ministries/ Departments of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Central Agmark Laboratory, Deptt. of Agriculture and Cooperative (Ministry of Agriculture), Nagpur; Ministry of Water Resources, New Delhi; Deptt. of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways); Directorate of Employment and Training (Ministry of Labour and Employment), New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Regional Evaluation Office, Planning Commission, (N.R.) Chandigarh; Project Evaluation Office, Planning Commission, Thiruvanathapuram; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai; Project Evaluation Office, Planning Commission, Patna and Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur.

11.3 The following organizations/ Ministries/ Offices have forwarded 'Nil' reports these are Project Evaluation Office, Planning Commission, Guwahati and Ministry of Water Resources, New Delhi.

11.4 The analysis of information received from Public Sector Undertakings/ Corporations/ Statutory Bodies etc., the three organizations have intimated that they are doing the de-classification of files are: The Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Visakhapatnam; Central Ground Water Board (Ministry of Water Resources), Faridabad and Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

11.5 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न उपक्रमों/कॉर्पोरेशनों/सांविधिक निकायों, आदि ने विभिन्न उत्तर भेजे हैं, उदाहरण के लिए, संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य रिपोर्ट आदि। इनके नाम हैं:– नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉपोरेशन लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद; वैपको लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव; बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), कोलकाता; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय); गार्डन रीच शिल्पबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय); मजगांव डोक लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), मुम्बई; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा (रक्षा मंत्रालय), गोवा; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; सरदार सरोवर निर्माण सहायता समिति (जल संसाधन मंत्रालय), वडोदरा; उन्नत संगणन विकास केन्द्र सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), पुणे और फरक्का बैराज परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय), मुर्शीदाबाद।

11.6 अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुम्बई ने सूचित किया है कि वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना उन पर लागू नहीं होता है।

11.7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद ने सूचित किया है कि इस कार्यालय में कोई वर्गीकृत अभिलेख सृजित नहीं किए जाते।

11.8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, बैंगलोर ने सूचित किया है कि ऐसे मामले मुख्यालय द्वारा निपटाए जाते हैं।

11.9 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चन्नई ने सूचित किया है कि ''इस कार्यालय द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता''।

11.10 भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद ने सूचित किया है कि ''वर्तमान में अभिलेख कक्ष में कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

11.5 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/ Statutory Bodies etc. have sent varying responses e.g. not compiling, not necessary, not required, nil etc. These are National Hydroelectric Power Corporation Ltd. (Ministry of Power), Faridabad; WAPCOs Ltd. (Ministry of Water Resources), Gurgaon; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (Ministry of Chemicals and Fertilizers), Kolkata; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Ltd. (Ministry of Petroleum); Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Deptt. of Defence Production (Ministry of Defence); Mazagon Dock Ltd. (Ministry of Defence), Mumbai; Goa Shipyard Ltd., Vasco-De-Gama (Ministry of Defence), Goa; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi; Sardar Sarovar Construction Assistance Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara; Center for Development of Advanced Computing, Deptt. of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), Pune and Farakka Barrage Project (Ministry of Water Resources), Murshidabad.

11.6 Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai has intimated that declassification of classified records is not applicable on them.

11.7 Regional Evaluation Office, Hyderabad has intimated that 'No classified records generated in this office'.

11.8 Project Evaluation Office, Planning Commission, Bangalore has intimated that such matters dealt by Hqrs.

11.9 Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai has informed that 'No such record held by this office'.

11.10 Bharat Dynamics Ltd. (Ministry of Defence), Hyderabad has informed that 'At present no classified records kept in records room'.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–12

निष्क्रिय आयोग / समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) के साथ पठित धारा 3(2)(ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अंतरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सके और उन्हें शोधकर्ताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाए। कहना न होगा कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने के लिए, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 21 मई, 2009 का एक परिपत्र सं0 16–5/2009–आर.एम. जारी किया। कुल 48 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 28 सरकारी संगठन हैं और 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

12.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने 'शून्य' या ''उन पर लागू नहीं होता'' रिपोर्ट दी है: सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन/(रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय); जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); मुख्य अभियंता का कार्यालय (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), कोचीन; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), मुम्बई; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, हैदराबाद; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुम्बई; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, पटना; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, कोलकाता; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, गुवाहाटी; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, लखनऊ; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भोपाल; महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; प्रधान मंत्री कार्यालय (दस्तावेज अनुभाग), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली; औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (अभिलेख कक्ष) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय (आईडब्ल्यूएसयू), नई दिल्ली और गृह मंत्रालय (निपटान विंग), जैसलमेर हाउस (खान मार्किट) नई दिल्ली।

12.2 गृह मंत्रालय (सामान्य अभिलेख कक्ष) ने गृह मंत्रालय (कार्मिक), न्याय विभाग, राजभाषा विभाग और भारत का महापंजीयक (जनगणना) के सभी प्रभागीय प्रमुखों को निष्क्रिय समितियों और आयोगों का अभिलेख क्रम प्रस्तुत करने के लिए लिखा है लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं भेजा है।

12.3 रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम और रोजगार मंत्रालय) ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-12

DEFUNCT COMMISSIONS/ COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. Needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein will be source material for understanding the circumstances under which these were set up and work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter No. 16-5/2009-RM, dated 21 May 2009, to all records creating agencies. In all 48 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. have furnished information. Out of these 28 are Government organizations and 20 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below.

12.1 The following Ministries/ Departments/ Offices etc. have given 'nil' report or 'not applicable to them': Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Department of Information Technology (Ministry of Communication and Technology); Central Agmark Laboratory, Department of Agriculture and Co-operative (Ministry of Agriculture); Ministry of Water Resources, New Delhi; Department of Shipping (Ministry of Shipping Road Transport and Highways); Office of the Chief Engineer (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare), Mumbai; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Hyderabad; Regional Evaluation Office, Planning Commission, (NR) Chandigarh; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhubaneswar; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Patna; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata; Project Evaluation Office, Planning Commission, Guwahati; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal; Director General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Prime Minister's Office (Documentation Section) South Block, New Delhi; Department of Industrial Policy and Promotion (Record Cell) (Ministry of Commerce and Industry), New Delhi; Ministry of Defence, South Block, New Delhi; Ministry of Water Resources (IWSU), New Delhi and Ministry of Home Affairs (Settlement Wing), Jaisalmer House (Khan Market), New Delhi.

12.2 The Ministry of Home Affairs (Ordinary Record Room) has written to all the Divisional Heads in Ministry of Home Affairs (P), Department of Justice, Department of Official Language and Registrar General of India (Census) regarding submission of record series of Defunct Committees and Commissions, but they did not submitted anything as yet.

12.3 Directorate General of Employment and Training (Ministry of Labour and Employment) has given vague reply.

12.4 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, तिरुवनंतपुरम ने सूचित किया है कि उनका कार्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली की एक क्षेत्रीय इकाई है और दस्तावेज क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई में रखे जाते हैं।

12.5 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, बैंगलौर और क्षेत्रीय मूल्यांकन, कार्यालय योजना आयोग, चेन्नई ने सूचित किया है कि इस मामले को मुख्यालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

12.6 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, जयपुर ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में ऐसे कोई निष्क्रिय आयोग और समितियाँ नहीं हैं।

12.7 इस संबंध में सभी 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियां/सांविधिक निकायों/कार्पोरेशनों, आदि ने उत्तर दिए हैं। इनमें से एक ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है; दो संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता जबकि शेष अठारह ने सूचित किया है कि उनके यहाँ निष्क्रिय निकायों के अभिलेख नहीं है।

12.8 मजगांव डोक लिमिटेड, मुम्बई ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के संबंध में 'शून्य' रिपोर्ट दी है।

12.9 भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, दिल्ली और बेतवा नदी बोर्ड, झांसी ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता।

12.10 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों का कोई अभिलेख नहीं है। ये हैं – फरक्का बैराज परियोजना (मुर्शीदाबाद), पश्चिम बंगाल; नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा); डब्ल्यूएपीसीओ लिमिटेड, गुड़गांव; बंगाल केमिकल्स एण्ड फॉर्मेस्यूटीकल लिमिटेड, कोलकाता; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी; केन्द्रीय भूजल, फरीदाबाद; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली; भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा, गोवा; नेशनल जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली; सरदार सरोवर आयोग सहायता समिति, वडोदरा तथा उन्नत संगणन विकास केन्द्र, पुणे।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

12.4 Project Evaluation Office, Planning Commission, Thiruvananthapuram has intimated that their office is a field unit of Planning Commission, New Delhi and documents are maintained at Regional Evaluation Office, Chennai.

12.5 Project Evaluation Office, Planning Commission, Bangalore and Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai have informed that this matter should be dealt by head quarter.

12.6 Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur has informed that no such defunct Commissions and Committees are under their office.

12.7 In all twenty Public Sector Undertakings/ Committees/ Statutory Bodies/ Corporations etc. responded in this regard. Out of these one has furnished 'Nil' report; two organizations has informed that it is not applicable, while the remaining eighteen have informed that they do not have records of defunct bodies.

12.8 Mazagon Dock Limited, Mumbai has furnished 'Nil' regarding records of defunct bodies.

12.9 Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, Delhi and Betwa River Board, Jhansi have informed that it is not applicable to them.

12.10 The following organizations have intimated that they do not have any records of defunct bodies. These are Farakka Barrage Project, (Murshidabad) West Bengal; National Hydro-Electric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana); WAPCOs Limited, Gurgaon; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Upper Yamuna River Board, New Delhi; Brahmaputra Board, Guwahati; Central Ground Water Board, Faridabad; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; National Water Development Agency, New Delhi; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata; Goa Shipyard Limited, Vasco-De-Gama, Goa; National Water Development Agency, New Delhi; Sardar Sarovara Commission Assistance Committee, Vadodara and Centre for Development of Advanced Computing, Pune.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–13

अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार एक सांविधिक आवश्यकता है क्योंकि इससे अनावश्यक अभिलेखों का नष्ट करके जरूरी शेल्फ स्थान की बचत करने में मदद मिली है। इसके अलावा, इस प्रकार बना शेल्फ स्थान नए अभिलेखों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर स्थायी स्वरूप के अभिलेखों को अभिलेखागार में स्थायी संरक्षण के लिए अंतरित किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परिपत्र सं0 16–12ए/2009–आर.एम. दिनांक 21 मई, 2009 जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 48 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना दे दी है। ब्यौरा निम्नानुसार है:–

13.1 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इनके नाम हैं: सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठन (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली; सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) तथा महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली।

13.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' या 'उनसे संबंधित नहीं है' नामक रिपोर्टें दी है। इनके नाम हैं: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय), नागपुर; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य अभियंता का कार्यालय (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), पोर्ट ब्लेयर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (श्रम और रोजगार मंत्रालय), कोचीन; भारतीय खांन ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, (उत्तरी क्षेत्र), चंडीगढ़; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, तिरुवनंतपुरम; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, पटना; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, कोलकाता; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, गुवाहाटी; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, लखनऊ; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, जयपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, चेन्नई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भोपाल; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, मुम्बई तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

13.3 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न उपक्रमों ने अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में सकारात्मक रिपोर्ट दी है: बेतवा नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), झांसी; राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय), फरीदाबाद; बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), कोलकाता।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-13

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of non-current records of the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in consultation with the National Archives of India, is a statutory requirement as stipulated under Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993 as it helps in saving precious shelf space by destroying records of ephemeral value. Further, on the one hand shelf space thus created can be utilized for storing fresh accrual of records, on the other hand records of permanent nature could be transferred to the Archival repository for permanent preservation. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/2009-RM, dated 21 May 2009 was issued to all records creating agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the above said circular 48 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have furnished information. Details are as under: -

13.1 The following Ministries/ Departments/ Offices who have informed that they are conducting appraisal of non-current records in consultation with National Archives of India. These are: Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence), New Delhi; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Technology); Ministry of Water Resources, New Delhi; Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways) and Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi.

13.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have given 'Nil' reports or, Not relevant to them. These are: Department of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science and Technology); Central Agmark Laboratory, Deptt. of Agriculture and Cooperative (Ministry of Agriculture), Nagpur; Ministry of Water Resources, New Delhi; Office of the Chief Engineer (Ministry of Shipping Road Transport and Highways), Port Blair; Regional Labour Commissioner (Ministry of Labour and Employment), Cochin; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Regional Evaluation Office, Planning Commission, (NR) Chandigarh; Project Evaluation Office, Planning Commission, Thiruvananthapuram; Project Evaluation Office, Planning Commission, Patna; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Kolkata; Project Evaluation Office, Planning Commission, Guwahati; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Lucknow; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Jaipur; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Chennai; Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhopal; Regional Evaluation Office, Planning Commission, Mumbai and Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.

13.3 The following Public Sector Undertakings have furnished positive report about appraisal on non-current records: Betwa River Board (Ministry of Water Resources), Jhansi; National Hydroelectric Power Corporation Ltd. (Ministry of Power), Faridabad; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (Ministry of Chemicals and Fertilizers), Kolkata.

13.4 निम्न संगठन अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। ये हैं: फरक्का बैराज परियोजना (जल संसाधन मंत्रालय), मुर्शीदाबाद; वैपको लिमिटेड (जल संसाधन मंत्रालय), गुड़गांव; विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), विशाखापट्नम; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; ब्रह्मपुत्र बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), गुवाहाटी; केन्द्रीय भूजल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय), फरीदाबाद; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), कोलकाता; मज़गाव डॉक लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय); मुम्बई; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा (रक्षा मंत्रालय), गोवा; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली; सरदार सरोवर निर्माण सहायता समिति (जल संसाधन मंत्रालय), वडोदरा तथा उन्नत संगणन विभाग केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), पुणे।

13.5 रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक (श्रम और रोजगार मंत्रालय), नई दिल्ली ने स्पष्ट उत्तर नही दिया है।

13.6 अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, भुवनेश्वर ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता।

13.7 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, बैंगलोर ने सूचित किया है कि इस मामले पर कार्रवाई मुख्यालय द्वारा की जाती है।

13.8 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, योजना आयोग, हैदराबाद ने सूचित किया है कि "उनके यहाँ स्थायी प्रकृति के कोई अभिलेख नहीं हैं"।

13.9 चेन्नई पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय), चेन्नई ने सूचित किया है कि "उनकी अपनी नीति है"।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

13.4 The following organizations are not appraising the non-current records these are: Farakka Barrage Project (Ministry of Water Resources), Murshidabad; WAPCOs Ltd. (Ministry of Water Resources), Gurgaon; Visakhapatnam Port Trust (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Visakhapatnam; Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resources), New Delhi; Brahmaputra Board (Ministry of Water Resources), Guwahati; Central Ground Water Board (Ministry of Water Resources), Faridabad; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi; Bharat Dynamics Ltd. (Ministry of Defence), Hyderabad; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. (Ministry of Defence), Kolkata; Mazagon Dock Ltd., Deptt. of Defence Production (Ministry of Defence), Mumbai; Goa Shipyard Ltd., Vasco-De-Gama (Ministry of Defence), Goa; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi; Sardar Sarovar Construction Assistance Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara and Centre for Development of Advanced Computing, Deptt. of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), Pune.

13.5 Director General of Employment and Training (Ministry of Labour and Employment), New Delhi has given vague reply.

13.6 Additional Director, Central Government Health Scheme (Ministry of Health and Family Welfare) and Project Evaluation Office, Planning Commission, Bhubaneswar have intimated that they not applicable to them.

13.7 Project Evaluation Office, Planning Commission, Bangalore has intimated that this matter dealt by headquarters.

13.8 Regional Evaluation Office, Planning Commission, Hyderabad has informed that 'there are no records of permanent nature'.

13.9 Chennai Petroleum Corporation Ltd. (Ministry of Petroleum), Chennai has informed that 'There is own policy'.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–14

संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपना संगठनात्मक इतिहास का संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों, प्रभागों, इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/लोक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से परिपत्र सं0 16–2/2009 आर.एम. दिनांक 21 मई, 2009 जारी किया जिसमें उनसे उनके संगठनात्मक इतिहास को संकलित करने के लिए उनके द्वारा 2008 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। 48 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से प्राप्त उत्तर नीचे सार में दिया गया हैः–

14.1 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके संगठनों का इतिहास संकलित किया गया है और उसकी एक प्रति भेजी है। ये हैंः लवण आयुक्त कार्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), जयपुर; पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स; जल संसाधन मंत्रालय; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), पुणे; एच.आर. प्रभाग (गृह मंत्रालय); राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र (जल संसाधन मंत्रालय), न्यायिक विज्ञान निदेशालय (गृह मंत्रालय)।

14.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है, वे हैंः समन्वय अनुभाग (शहरी विकास मंत्रालय); सामान्य अभिलेख कक्ष (गृह मंत्रालय) और प्रशासन प्रभाग (गृह मंत्रालय)।

14.3 सशस्त्र सेना मुख्यालय/आईएस संगठनों (रक्षा मंत्रालय) ने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने पर विचार किया जा रहा है।

14.4 अंतर–राज्यीय सचिवालय परिषद (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली ने 'अंतर–राज्यीय परिषद' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की जानकारी दी है जिसमें आगामी कार्रवाई के लिए उनके सचिवालय के संबंध में अपेक्षित सूचना दी गई है।

14.5 निम्न नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/समितियों/कॉर्पोरेशनों/ आयुक्त ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां भेजी हैं – मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), गोवा; प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), (मजगांव) मुम्बई; समुद्री–यात्रा कल्याण निधि सोसायटी (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट–प्रशासनिक विभाग (पोत परिवहन, सड़क पविहन औश्र राजमार्ग मंत्रालय); एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), चेन्नई; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), विशाखापट्टनम; न्यू मैंगलोर बंदरगाह ट्रस्ट (पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), मैंगलोर; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल संसाधन मंत्रालय), नई दिल्ली और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन मंत्रालय)।

14.6 मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), मुम्बई ने अपना ब्रोशर भेजा है।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (जल संसाधन मंत्रालय), वडोदरा ने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-14

ORGANISTIONAL HISTORY

Section 6 (1)(I) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organizational History, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions etc. National Archives of India accordingly issued circular letter No. 16-2/ 2009 RM dated 21 May 2009 to all Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information in regard to the action taken by them during the year 2008 for compiling their organizational Histories. Response received from 48 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. is summarized below:-

14.1 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have compiled organizational histories and submitted the copy of the same. These are: Office of the Salt Commissioner (Ministry of Commerce and Industry), Jaipur; Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways), Andaman Lakshadweep Harbour Works; Ministry of Water Resources; Central Water & Power Research Station (Ministry of Water Resources), Pune; H. R. Division (Ministry of Home Affairs); National Security Guard (Ministry of Home Affairs); Central Soil and Materials Research Station (Ministry of Water Resources) and Directorate of Forensic Science (Ministry of Home Affairs).

14.2 The following Ministries/ Departments/ Offices, who have not compiled their Organizational Histories are: Coordination Section (Ministry of Urban Development); Ordinary Record Room (Ministry of Home Affairs) and Administration Division (Ministry of Home Affairs).

14.3 Armed Forces HQs/IS Organisations (Ministry of Defence) has informed that the compilation of their organizational history is in under consideration.

14.4 Inter-State Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi has informed a brief note on 'Inter-State Council' containing the requisite information in respect of their Secretariat for further action.

14.5 The following 9 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies/ Committees/ Corporations/ Commissioners have furnished copies of their organizational histories – Mormugao Port Trust (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Goa; Tariff Authority for Major Ports (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), (Mazgaon) Mumbai; Seafarer's Welfare Fund Society (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways); Paradip Port Trust-Administrative Department (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways); Ennore Port Limited (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Chennai; Hindustan Shipyard Ltd. (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Visakhapatnam; New Mangalore Port Trust (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Mangalore; National Water Development Agency (Ministry of Water Resources), New Delhi and Narmada Control Authority (Ministry of Water Resources).

14.6 The Mumbai Port Trust (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Mumbai has sent their brochure.

Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara has informed that there is no change in their organizational history.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–15

"क' श्रेणी अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग

अभिलेख सर्जक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को परिपत्र सं0 16–6/2009–आर.एम. दिनांक 21 मई 2009 जारी किया जिसमें उनसे यह मामला उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया था ताकि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना भेज सकें। संदर्भाधीन अवधि के दौरान कुल 16 संगठनों ने सूचना भेजी है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

15.1 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ने सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों को माइक्रोफिल्मिंग की निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए लिखा है ताकि उसे आगे राष्ट्रीय अभिलेखागार को दिया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने विभाग को सूचित किया है कि उद्योग विंग से संबंधित 146 फाइलें तथा परियोजना विंग की 9 मदें माइक्रोफिल्मिंग के लिए उनके पास पड़ी हैं। सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (जल संसाधन मंत्रालय), वडोदरा के पास माक्रोफिल्मिंग के लिए सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बडोदरा से संबंधित 1979 के चार खण्डों में से एक खण्ड मौजूद है।

15.2 गृह मंत्रालय (सामान्य अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली ने अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर दिया है।

15.3 महाप्रबंधक (डाक लेखा और वित्त) का कार्यालय, कोलकाता ने सूचित किया है कि उनके यहाँ अभिलेखों की ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं है और उन्हें 'शून्य' माना जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बजट–I अनुभाग की सूचना को 'शून्य' माना जाए। गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक और गृह मंत्रालय (प्रशा. VII अनुभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 'राजभाषा प्रभाग' और 'प्रशासनिक प्रभाग' के संबंध में अपेक्षित सूचना को 'शून्य' समझा जाए। पोत परिवहन विभाग (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) नई दिल्ली तथा योजना आयोग, नई दिल्ली ने कहा है कि सूचना को 'शून्य' माना जाए।

15.4 लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, कावारत्ती, लक्षद्वीप ने रिपोर्ट नहीं भेजी है।

15.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/समितियों/कार्पोरेशन; राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली; न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर; एन्नौर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई और नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विभाग निगम, नई दिल्ली ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है जबकि अन्य संगठनों ने विधिवत भरकर वापस नहीं भेजा।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-15

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of Microfilming of 'A' Category records lying in the custody of records creating agencies, the National Archives of India issued a circular letter No. 16-6/2009-RM, dated 21 May 2009 to all Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. During the period under report, in all 16 organizations has furnished information, details of which are as under:-

15.1 Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi has written to all the attached Subordinate Offices/ Organizations for onward transmission to the National Archives of India for arranging microfilming free of cost. Ministry of Water Resources, New Delhi has informed the department that 146 files pertaining to Indus Wing and 9 items of Project Wing is lying with them for microfilming. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (Ministry of Water Resources), Vadodara has one in four volume of 1979 relating to Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara for microfilming.

15.2 Ministry of Home Affairs (Ordinary Record Room), New Delhi has informed to all the Attached/ Subordinate Offices including PSUs etc. working under their administrative control.

15.3 Office of the General Manager (Postal Accounts & Finance), Kolkata has informed that no such category of records is available and they treated as 'Nil'. Ministry of Home Affairs stated that the information of Budget – I Section treated as 'Nil'. Ministry of Home Affairs, North Block & Ministry of Home Affairs (Ad. VII Section), North Block, New Delhi have informed the requisite information in respect of 'Rajbhasha Division' & 'Administrative Division' be treated as 'Nil'. Department of Shipping (Ministry of Shipping Road Transport & Highways), New Delhi and Planning Commission, New Delhi stated that the information treated as 'Nil'.

15.4 Lakshadweep Harbour Works, Kavaratti, Lakshadweep has not submitted the report.

15.5 Of the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies/ Committees/ Corporations: National Water Development Agency, New Delhi; New Mangalore Port Trust, Mangalore; Ennore Port Limited, Chennai and National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, New Delhi have sent 'Nil' report while other organizations did not send back duly filled-in proformas.

अध्याय–16

राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने के लिए और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख और अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे हुए हैं को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के तहत प्रत्येक रिकार्ड ऑफिसर को 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके स्थायी महत्व के अभिलेखों की छंटाई करके राष्ट्रीय अभिलेखागार में वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु अंतरित किया जाना चाहिए।

16.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागर ने 23,983 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 13,874 अभिलेखों को स्थायी तौर पर रखने तथा 10,109 अभिलेखों को नष्ट करने की सिफारिश की गई थी।

16.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा जिन संगठनों के अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया है उनके नाम हैं: केन्द्रीय मत्स्य उद्योग समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण (सीआईएफएनईटी), कोचीन (1983–88); लौह और इस्पात विकास आयुक्त (इस्पात मंत्रालय), कोलकाता (1947–2003); गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (1952–80); विदेश मंत्रालय (1954–1982); पोत विभाग (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली (1922–82); (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली (1971–78); योजना आयोग, नई दिल्ली (1953–83) और आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली (1953–83)।

16.3 इसके अलावा, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुड्डुचेरी, चेन्नई में स्थित श्री चंद्रशेखरन के 1946–1956 की अवधि के संबंधित *'हरिजन'* (अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार–पत्र) के अंकों के निजी संग्रह की जानकारी दी है।

16.4 उपर्युक्त के अलावा, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र) भुवनेश्वर ने 5,767 अभिलेखों की सूचना दी है। इनमें से निम्नलिखित कार्यालयों की 5,104 फाइलें को स्थायी रूप से रखने तथा 663 फाइलें नष्ट करने के लिए थीं: लौह और इस्पात विकास आयुक्त, कोलकाता (1947–2003) तथा पेटेंट एवं डिजाइन, कोलकाता (1965–66)।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-16

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS BY NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, Section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 Departmental Records Officers have been made responsible for appraisal of Public Records, which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

16.1 During the period under report, the National Archives of India appraised 23,983 non-current records. Out of these 13,874 was recommended for permanent retention and 10,109 for destruction.

16.2 The organizations whose records were appraised by the officers of National Archives of India are: Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET), Cochin (1983-88); Development Commissioner of Iron and Steel (Ministry of Steel), Kolkata (1947-2003); Ministry of Home Affairs, New Delhi (1952-80); Ministry of External Affairs (1954-1982); Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), New Delhi (1922-82); Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, New Delhi (1971-78); Planning Commission, New Delhi (1953-83) and Directorate General of Supply & Disposals, New Delhi (1953-83).

16.3 Further, Records Centre (Southern Zone), Puducherry appraised Private Collection of issues of *"Harijan"* (an English weekly newspaper) pertaining to the period 1946-1956 of Shri Chandrasekaran located at Chennai.

16.4 In addition to the above, the Records Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar appraised 5,767 records. Out of these 5,104 files were permanent retention and 663 files for destruction of the following offices: Development Commissioner of Iron & Steel, Kolkata (1947-2003) & Patent and Designs, Kolkata (1965-66).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–17

संदर्भ माध्यम

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है, जिसे प्रत्येक संगठन द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु–सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

17.1 (क) *'अभिलेखों के संदर्भ माध्यम का कंप्यूटरीकरण'* कार्यक्रम के तहत, आउटसोर्सिंग द्वारा लोक अभिलेखों, मानचित्र अभिलेखों, पी.ए. अभिलेखों, ओ.आर. अभिलेखों और रेप्रोग्राफी अभिलेखों की निम्नलिखित अभिलेख श्रृंखला की 1,53,023 फाइलों के आंकड़ों को दर्ज किया गया है।

(ख) लोक अभिलेख–सैन्य/सेना विभाग; राज्य सचिव को और राज्य सचिव तथा सैन्य समुद्री अभिलेखों से प्रेषण।

(ग) मानचित्र–विज्ञान – भारतीय सर्वेक्षण (डीडीएन) खण्ड, संस्मरण और राजस्व मानचित्रों का सूची–पत्र।

(घ) पी.ए. – जनरल के.एम. करियप्पा संग्रह पत्राचार, पी.एस. सिवास्वामी अय्यर कागजात और दादाभाई नारौजी संग्रह।

(ड.) ओ.आर – प्राप्त पाण्डुलिपियों, फोर्ट विलियम कॉलेज कलेक्शन्स और इनायत जंग संग्रहों के सूची–पत्र।

(च) रेप्रोग्राफी – सरदार पटेल से संबंधित कागजात, संसदीय कागजात, विविध माइक्रोफिल्म संग्रह, आदि।

17.2 (क) 2,53,514 मुद्रित प्रविष्टियों के ऑनलाइन डाटा को आवश्यक जांच एवं सुधार के उपरांत मान्यीकृत किया गया। निम्नलिखित अनुभागों की अभिलेख श्रृंखला की जांच की गई थी: लोक अभिलेखों, मानचित्रण, पीए, ओआर तथा आउटसोर्सिंग डॉटा तथा संबंधित अनुभागों का वैधीकरण।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न शाखाओं की 6,976 फाइलों को पहली मंजिल के स्टैक क्षेत्र में आंकड़ों को वैधकर्ताओं द्वारा रखा गया, उनकी जांच की गई और उन्हें सूचीबद्ध किया गया।

17.3 अभिविन्यास अभिलेख (ओ.आर) प्रभाग ने निम्नलिखित संदर्भ माध्यम तैयार किए हैं:

(क) *डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ अक्वायर्ड डाक्यूमेंट्स, खण्ड VI (1830–1850):* पाठ का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) *डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ अक्वायर्ड डाक्यूमेंट्स, खण्ड VII (1851–70):* खंड का प्रारूप प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) *डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कारसपोंडेंस,, खण्ड V (1805):* खंड का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है।

(घ) *डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कारसपोंडेंस, खण्ड VI (1806):* 60 पत्रों की जांच करके उनका संपादन किया गया है।

CHAPTER-17

REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be undertaken by each and every organization. Accordingly, the National Archives of India as stipulated Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogue of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

17.1 (a) Under the programme *'Computerization of Reference Media of Records'*, data entry of 1,53,023 files of the following Records Series of Public Records, Cartography Records, P.A. Records, O.R. Records & Reprography Records were completed through outsourcing.

(b) Public Records – Military/Army Department; Despatch to Secy. of State & From Secy. of State and Military Marine Records.

(c) Cartography – Survey of India (DDN) Vols., Catalogue of Memoirs & Revenue Maps.

(d) P.A. – Genl. K.M. Cariappa Collection Correspondence, P.S. Sivaswamy Aiyer Papers and Dadabhai Naoraoji Collections.

(e) O.R. – Catalogues of acquired manuscripts, Fort William College Collections & Inayat Jang Collections.

(f) Reprography – Sardar Patel Papers, Parliamentary Papers Miscellaneous Microfilm Collections etc.

17.2 (a) The online data validation of 2,53,514 printed entries were carried out for necessary checking and corrections. The record series of the following sections were checked: Public Records, Cartography, P.A., O.R. and Reprography by the outsourced Data Validators and concerned sections.

(b) In addition to the above, during the period under the report 6,976 files of the various branches were located, checked and subject listed by the Data Validators in the 1st floor Stack area.

17.3 The Oriental Records (O.R.) Division has prepared the following reference media:

(a) *Descriptive List of Acquired Documents Vol. VI (1830-1850)*: The draft text has been submitted.

(b) *Descriptive list of Acquired Documents Vol. VII (1851-70)*: The draft of the Vol. has been submitted.

(c) *Descriptive list of Persian Correspondence Vol. V (1805):* The draft of the Vol. has been submitted.

(d) *Descriptive List of Persian Correspondence Vol. VI (1806):* 60 letters has been scrutinized and edited.

अशोब खण्ड–II (हिन्दी प्रकाशन) – 3 पुस्तिकाओं से 23 उर्दू कविताओं का लिप्यंतरण किया गया जिसके 44 पृष्ठों में से 30 पृष्ठ मूल हैं (दो प्रतियां)।

खुतूत–ए–अजाद – 200 पृष्ठ, जिसके 74 पत्रों को प्रूफ रिडिंग के बाद कैमरा द्वारा तैयार 92 पृष्ठों में काम्पोज किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, ओ.आर. प्रभाग ने कंप्यूटर द्वारा आंकड़े दर्ज किए हैं:

(i) पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिचे की कंप्यूटर द्वारा प्रविष्टियां। और पुस्तकों – में 235 प्रविष्टियां की गई, जिनमें ओआर प्रभाग की रेप (आर) में रखी गई 828 माइक्रोफिचे शामिल हैं।

(ii) आंकड़ा प्रविष्टियों – की 2,177 प्रविष्टियों की जांच, तुलना की गई और उनमें आवश्यक सुधार किया गया।

17.4(क) के.एम. मुंशी, कस्तूरभाई लालभाई की 2,540 वस्तुओं और एन संजीवा रेड्डी के कागजातों का निजी अभिलेख अनुभाग में सूचीकण किया गया।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, *संदर्भ माध्यम की तैयारी/निजी कागजातों के संबंधित सूचीकरण* की परियोजना के अंतर्गत 21,713 प्रविष्टियां ऑनलाइन तैयार की गई थीं और बाहरी स्रोतों के माध्यम से निम्नलिखित संग्रहों की हाथ से 13,073 प्रविष्टियां तैयार की गई थीं: कस्तूरभाई लालभाई पेपर्स तथा के.एम. मुंशी कागजात (माइक्रोफिल्म रोल्स)।

17.5(क) मानचित्रण प्रभाग ने भारतीय सर्वेक्षण (एस.जी.ओ.) देहरादून की 3,400 फाइलों की संबंधित सूची की जांच की है, उनमें सुधार करके उन्हें तैयार किया है।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, मानचित्रण प्रभाग ने सामान्य अनुभाग को 250 प्रतियों के मुद्रण के लिए प्रस्तावना और शीर्षक आवरण सहित रेजियोग्राफ के लिए 463 पृष्ठों (3995 प्रविष्टियां) की भारत–पाक राजस्व श्रृंखला के सूची–पत्र की अंतिम जांच की है, और इस सामग्री को टाइप किया है। (सामग्री जिल्दसाजी के लिए भाग–I। के पास लंबित है।

17.6(क) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर में निम्नलिखित संगठन/विभाग की 176 फाइलों की संबधित सूची तैयार की है: बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई (1921–73); मौसम–विज्ञान विभाग, पुणे (1947–71) और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेख, पुणे (1963–1982)।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, मध्य रेलवे, मुंबई के 895 खण्डों (1959–1979) को उचित रूप से व्यवस्थित किया गया है।

17.7 (क) प्रकाशन प्रभाग ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं:

(i) अभिलेख (समाचार पत्रिका), खण्ड II, सं0 3 (अक्तूबर–दिसंबर 2007)

(ii) अभिलेख (समाचार पत्रिका), खण्ड II, सं0 4 (जनवरी–मार्च 2008)

(iii) निजी अभिलेखों का राष्ट्रीय रजिस्टर खण्ड सं0 23

(iv) राष्ट्रीय अभिलेखागार वार्षिक रिपोर्ट, 2006

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ashob Vol. - II (Hindi publication) - Transliterated 23 Urdu Poems from 3 booklets comprising 30 original pages in 44 pages (in duplicate).

Khutut-e-Azad – 200 pages comprising 74 letters have been composed in 92 camera ready pages after proof reading.

In addition to the above the OR Division also made data entries through computer:

(i) Computer entries of Microfiche of Manuscript. And Books – made 235 entries covering 828 microfiche of OR Division housed in Rep (R).

(ii) Data Entries – checked, compared and made necessary correction in 2,177 entries..

17.4 (a) The work of listing of 2,540 items of K.M. Munshi, Kasturbhai Lalbhai and N. Sanjeeva Reddy papers were done in the Private Archives Section.

(b) In addition to the above under the project for *Preparation of Reference Media/Subject Listing of Private Papers*, 21,713 entries were prepared online and 13,073 entries were prepared manually of the following collections through outsourcing: Kasturbhai Lalbhai Papers and K.M. Munshi Papers (Microfilm Rolls).

17.5 (a) Cartographic Division checked, corrected and prepared the subject list of 3,400 files of Survey of India (S.G.O.), Dehradun.

(b) In addition to above, Cartography Division sent the finally checked, typed material of the Catalogue of Indo- Pak Revenue Series of 463 pages (3995 entries) for reziography along with preface and title cover for printing of 250 copies to General Section. The material is pending with Pr.II for binding.

17.6 (a) During the period under the report, the National Archives of India, Records Centre, Jaipur has prepared subject lists of 176 files of the following Organization/ Department: Port Health Organization, Mumbai (1921-73); Department of Meteorology, Pune (1947-71) and National Film Archives, Pune (1963-1982).

(b) In addition to the above, 895 Vols. of Central Railway Mumbai (1959-1979) were properly arranged.

17.7 (a) Publication Division brought out the following publications:

(i) Abhilekh (Newsletter), Vol.II, No.3 (October – December 2007)

(ii) Abhilekh (Newsletter), Vol.II, No.4 (January – March 2008)

(iii) National Register of Private Records Vol. No.23.

(iv) National Archives of India Annual Report, 2006.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ख) उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित प्रकाशनों पर कार्य चल रहा है:

(i) राष्ट्रीय अभिलेखागार, वार्षिक रिपोर्ट 2007

(ii) अभिलेख (समाचार पत्रिका), खण्ड III, सं0 1 (अप्रैल–जून 2008)

(iii) राष्ट्रीय निजी अभिलेख रजिस्टर, खण्ड सं0 24

(iv) अनुसंधान शोध–प्रबंध और बुलेटिन सं0 20.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(b) In addition to the above, the following publications made progress:

(i) National Archives of India, Annual Report 2007.

(ii) Abhilekh (Newsletter), Vol.III, No.1 (April – June 2008)

(iii) National Register of Private Records Volume No.24.

(iv) Bulletin of Research Theses and Dissertations, No.20.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–18

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों से स्थायी स्वरूप के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत करता है। इसी, प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(1) भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्त्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्यता को भी विहित करती है। उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान लोक अभिलेख सीरीज और समस्त निजी पत्र अधिग्रहित किए हैंः–

18.1 संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त लोक अभिलेखों की अवाप्ति–अधिग्रहण का ब्यौरा इस प्रकार हैः भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की 4,133 फाइलें (1961–1980)/निम्नलिखित मंत्रालयों की कुल 8,188 फाइलों की अधिप्राप्ति की गईः गृह मंत्रालय (1972–1980), अखिल भारत आकशवाणी समाचार बुलेटिन (1942–2002), पर्यावरण और वन मंत्रालय (1972–1982) और शाह आयोग, गृह मंत्रालय (1976–1979)।

18.2(क) राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने लोक अभिलेख प्राप्त किए। एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता से 950 मदें (1846–1972); भारतीय मानव–शास्त्र सर्वेक्षण, कोलकाता से 317 फाइलें (1946–1974) तथा लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, कोलकाता की 306 फाइलें (1943–1996) प्राप्त हुईं।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में जाने–माने भारतीयों के निजी कागज़ात भी प्राप्त किए जाते रहे। प्रो0 जी. एन. दास, पूर्व सदस्य ओ.आर.पी. ने जगन्नाथ मंदिर पर ताड़पत्र पाण्डुलिपियों का एक बंडल दान में दिया, डी. एन. दास मोहपात्र, पंचगढ पूर्वी मिदनापोर, पश्चिम बंगाल ने रूद्र अभिषेक पर ताड़पत्र दान में दिया तथा तथा डॉ0 निबेदिता मोहंती द्वारा गोपीनाथ मोहंती संग्रह की 39 ताड़पत्र पांडुलिपियां दान में दी गईं।

(ग) 321 बंडल और 1201 फाइलों को रखने के अलावा, निम्नलिखित अभिलेख सीरीज का भी उनके सम्मिलित वर्षों सहित वास्तविक सत्यापन किया गयाः

(i) मुख्य खान सलाहकार, पूर्वी रेलवे, धनबाद की 283 फाइलें (1846–1976)।

(ii) एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता की 375 फाइलें (1846–1972)।

(iii) मुख्य खान सलाहकार, पूर्वी रेलवे, धनबाद की 391 फाइलें (1897–1978)।

(iv) मनमोहन चौधरी संग्रह के 43 बंडल (1937–98)।

18.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, जयपुर ने गहन जांच करने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई की 22 फाइलों (1957) का अधिग्रहण किया।

18.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, पुड्डुचेरी ने राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, बैंगलोर से 24 फाइलें (1961–1976) प्राप्त कीं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-18

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept Public Records of permanent nature from all the records creating organizations falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of Public Records as well as Private Papers during the period under report.

18.1 Details of accessioning/acquisition of Public Records from Records Creating Agencies to National Archives of India during the period under report are: 4,133 files (1961-1980) of the Office of the Comptroller and Auditor General of India. Total numbers of 8,188 files of following Ministries were accessioned: Ministry of Home Affairs (1972-1980), All India Radio News Bulleting (1942-2002), Ministry of Environment & Forest (1972-1982) and Shah Commission, Ministry of Home Affairs (1976-1979).

18.2 (a) The National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar accessioned Public Records. 950 items (1846-1972) were received from the Andrew Yule & Company Ltd., Kolkata; 317 files (1946-1974) of Anthropological Survey of India, Kolkata and 306 files (1943-1996) of Development Commissioner of Iron and Steel, Kolkata.

(b) In addition to the above, Private Papers of eminent Indians in various fields also continued to be acquired. Prof. G.N. Dash former member O.R.P. donated a bunch of Palm – Leaf manuscripts on Jagannath Temple; D.N. Das Mohapatra, Panchgarh of East Midnapore, West Bengal donated Palm Leaf on Rudra Abhiseka and 39 palm leaf manuscripts of Gopinath Mohanty collections were donated by Dr. Nibedita Mohanty.

(c) Besides arranging 321 bundles and 1,201 files, the following record series were also verified physically along with their inclusive years:

(i) 283 files (1846-1976) of the Chief Mining Advisor, Eastern Railway, Dhanbad.

(ii) 375 files (1846-1972) of the Andrew Yule and Co. Ltd., Kolkata.

(iii) 391 files (1897-1978) of Chief Mining Adviser, Eastern Railway, Dhanbad.

(iv) 43 bundles (1937-98) of Monmohan Choudhary Collections.

18.3 The National Archives of India, Records Centre, Jaipur accessioned 22 files (1957) of Central Board of Film Certification, Mumbai after thorough checking.

18.4 The National Archives of India, Records Centre, Puducherry who accessioned records - 24 files (1961-1976) from the National Tuberculosis Institute Bangalore.

18.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख मूल्यांकन अनुभाग ने निम्नलिखित मंत्रालयों से 4,123 अभिलेखों का स्थानांतरण किया: पर्यावरण और वन मंत्रालय – 532; गृह मंत्रालय – 1,864 तथा विदेश मंत्रालय – 1,727.

18.6 ओ.आर. प्रभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित दस्तावेज/पुस्तकें/राजपत्र आदि प्राप्त किए हैं;

(क) 13 निजी पार्टियों तथा 7 दानदाताओं से क्रमशः खरीद और उपहार द्वारा 353 पाण्डुलिपियां, 160 दस्तावेज, 31 दुर्लभ पुस्तकें, राजपत्रों के 147 अंक प्राप्त किए गए हैं (लगभग 52 विविध मदों तथा अनेक कागजातों को छोड़कर)।

(ख) श्री सी.एम. चंद्रशेखरन, चेन्नई से 1,50,000/–रुपए की राशि से अंग्रेजी साप्ताहिक *हरिजन* के 17 खण्ड (435 अंकों का संग्रह) भी खरीदे हैं।

गुवाहाटी की श्रीमती फातिमा गुलबदन से उपहार स्वरूप 10 दुर्लभ पुस्तकें प्राप्त हुईं; झांसी के श्री राजीव लोचन से उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी में 44 दस्तावेजों का एक संग्रह 5000/–रुपए में प्राप्त किया; पश्चिमी मिदनापुर के श्री शिब नारायण पोरे से बंगाली/संस्कृत में 3 पाण्डुलिपियां 15,000/– रुपए में खरीदी गईं; वाराणसी के श्री यू.एस. दूबे से तारीख–ए–शमशेर खानी नामक पाण्डुलिपि तथा निचली प्रांतों के सरकारी राजपत्र की 29 मदें प्राप्त की; मुर्शीदाबाद के श्री कशुदिराम दास से अंग्रेजी/बंगाली भाषा के कागजात/दस्तावेज/एमएसएस/नक्शे 38,000/–रुपए में खरीदे गए; जम्मू के श्री सुरेश अबरोल से अरबी भाषा में पवित्र कुरान सहित संस्कृत, राजस्थानी, शारदा लिपि में 25 खण्डों में आबद्ध 35 पाण्डुलिपियों का एक संग्रह 3.00 लाख रुपए में खरीदा गया; जम्मू के श्री के.डी. आनंद से देवनागरी, संस्कृत, शारदा लिपि में 80 पाण्डुलिपियों का एक संग्रह 2.00 लाख रुपए में खरीदा गया; जम्मू के पंडित के. डी. ज्योतिष से देवनागरी, संस्कृत, शारदा लिपि में 203 पाण्डुलिपियों का एक संग्रह 5.00 लाख रुपए में खरीदा गया; वाराणसी के प्रो0 प्रदीप चंद्र चौधरी से उपहार स्वरूप डॉ0 भगवानदास के दो हस्तलिखित प्रारूप (हिन्दी में) प्राप्त किए गए, जिसमें 70 और 145 पृष्ठ हैं; वाराणसी के श्री सुबोध कुमार शाह से फारसी, नागरी और मोदी लिपि के 11 दस्तावेजों का संग्रह उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ; वाराणसी के श्री सुबोध कुमार शाह से 9 दस्तावेजों का एक संग्रह तथा फिज़ा–ए–चमनिस्तान नामक एक पुस्तक उपहार स्वरूप प्राप्त हुई; वाराणसी के प्रो0 गिरीश चंद्र चौधरी से डॉ0 भगवान दास, श्री श्रीप्रकाश और पंडित जवाहरलाल नेहरु के 5 पत्रों का एक संग्रह उपहार स्वरूप प्राप्त किया गया; प्रो0 (श्रीमती) शीला बोरा, दिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम से मीर अहमद अली द्वारा रचित तारीख–ए–असम नामक एक प्राचीन पाण्डुलिपि (फारसी में) का माइक्रोफिल्म रोल उपहार स्वरूप प्राप्त हआ।

मुर्शीदाबाद के श्री क्षुदीराम दास से बंगाली भाषा में 17 मदें (15 पाण्डुलिपियां और 2 दुर्लभ पुस्तकें) 75,000/–रुपए में खरीदी गईं; खंबत के डॉ0 डी.एन. भट्ट से 15,000/– रुपए में कपड़ों के 6 दस्तावेज, 6 न्यायिक मोहरें, 38 कोट्स ऑफ आर्म्स तथा 42 पृष्ठों की मुद्रित सामग्री सहित अंग्रेजी/गुजराती में साप्ताहिक कॉम्बे राजपत्र के 118 अंकों, स्टांप पेपर के 32 पन्नों का संग्रह खरीदा गया; मेरठ के श्री जमीर एच. जैदी से 4 दुर्लभ पुस्तकें (3 उर्दू और 1 अंग्रेजी में) मात्र 4,000/– रुपए में खरीदी गईं; लखनऊ के श्री एम.ए. खान से 4 दुर्लभ पुस्तकें 4,000/–रुपए में खरीदी गईं।

18.7 मानचित्रण अनुभाग ने भारतीय सर्वेक्षण (एस.जी.ओ.), देहरादून की 3,400 फाइलें अधिग्रहित कीं (जो 2004 और 2006 में प्राप्त हुई थीं और मानचित्रण अनुभाग में रखी गई थीं)।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

18.5 The National Archives of India, Record Appraisal Section transferred 4,123 records from the following Ministries: Ministry of Environment & Forest – 532; Ministry of Home Affairs – 1,864 and Ministry of External Affairs – 1,727.

18.6 O.R. Division, National Archives of India has acquired following documents/books/ gazettes etc.

(A) 353 manuscripts, 160 documents, 31 rare books, 147 issues of gazettes have been accessioned (excluding approx. 52 miscellaneous items and a bulk of papers) received as gift or purchased from 13 private parties and 7 donors.

(B) 17 Vol. of English Weekly *Harijan* (collection of 435 issues) have also been purchased from Shri C.M. Chandersekaran of Chennai for a sum of Rs. 1,50,000/-.

Accessioned 10 rare books received as gift from Mrs. Fatima Gulbadan of Guwahati; Accessioned a collection of 44 documents in Urdu, Hindi and English purchased from Sh. Rajiv Lochan of Jhansi for a sum of Rs. 5000/-; Accessioned 3 manuscripts in Bengali/ Sanskrit purchased from Shri Shib Narayan Porey of West Midnapur for a sum of Rs. 15,000/; Accessioned manuscript entitled Tarikh-i-Shamsher Khani and 29 issues of Government Gazette Lower Provinces purchased from Shri U.S.Dubey of Varansi; A collection of a bulk of papers/documents/mss./maps in English/Bengali purchase from Shri Kshudiram Das of Murshidabad for a sum of Rs. 38,000/-; A collection of 35 manuscripts bound in 25 volumes in Sanskrit, Rajasthani, Sharda including Holy Quran in Arabic purchased from Shri Suresh Abrol of Jammu for a sum of Rs.3.00 Lakhs; A collection of 80 manuscripts in Devnagari, Sanskrit, Sharda purchased from Shri K.D.Anand of Jammu for a sum of Rs. 2.00 Lakhs; A Collection of 203 manuscripts in Devnagari, Sanskrit, Sharda purchased from Pt. K.D. Jyotish of Jammu for a sum of Rs. 5.00 Lakhs.; Accessioned two hand written drafts of Dr. Bhagwandas (in Hindi) received as a gift from Prof. Pardeep Chandra Choudhary of Varanasi comprising 70 and 145 pages.; Collection of 11 documents in Persian, Nagari and Modi received as a gift from Shri Shyam Kumar Sah of Varansi; A Collection of 9 documents and one book entitled Fiza-i-Chamnistan received as a gift from Shri Subodh Kumar Sah of Varanasi; Accessioned a collection of 5 letters of Dr. Bhagwan Das, Shri Sriprakash and Pt. Jawaharlal Nehru (in Hindi and English) received as a gift from Prof. Girish Chandra Chaudhuri, Varanasi; Accessioned a microfilm roll containing an old manuscript (in Persian) entitled Tarikh-i-Assam by Mir Ahmed Ali received as a gift from Prof.(Mrs.) Shiela Bora, Dibrugarh University, Assam.

Accessioned 17 items (15 manuscripts and 2 rare books) in Bengali purchased from Shri Kshudiram Das of Murshidabad for a sum of Rs. 75,000/- only; Accessioned a collection of approx 118 issues of weekly Cambay Gazette in English/Gujarati, 32 folios on stamp papers including 6 documents on cloth, 6 Judicial Stamps, 38 Coats of Arms and 42 printed pages material in Gujarati purchased from Dr. D.N. Bhatt of Khambhat for a total sum of Rs. 15,000/- only; 4 rare books (3 in Urdu and 1 in English) purchased from Shri Zamir H. Zaidi of Meerut for a sum of Rs. 4,000/- only; Accessioned 4 rare books purchased from Shri M.A.Khan of Lucknow for a sum of Rs.4,000/-.

18.7 Cartography Section accessioned 3,400 files of Survey of India (S.G.O.), Dehradun (received earlier in 2004 and 2006 lying pending in Cartography Section).

18.8 लोक अभिलेखों के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों तथा विदेशों में भारत से संबंधित प्रसिद्ध भारतीयों के निजी दस्तावेज प्राप्त करना जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गतः

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार के निजी दस्तावेज संग्रह में निम्नलिखित जानी–मानी हस्तियों का समृद्ध संग्रह है :–

(क) श्री बलराम झाखड़ के दस्तावेज, जिसमें भाषण, लेख और पुस्तकें शामिल हैं।

(ख) लाहौर षड़यंत्र मामला; बब्बर अकाली षड़यंत्र मामले से संबंधित प्रो0 मालविन्द्रजीत सिंह के कागजात; और शहीद भगत सिंह तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शनी से संबंधित दो सीडी।

(ग) श्री अमर कुमार झिंगन के कागजात, जिसमें पाण्डुलिपि/ताड़पत्र, हिन्दी में सर सुधा – निधि, पत्रिकाएं/मैगजिन/पुस्तिकाएं, आदि शामिल हैं।

(घ) 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की हत्या से संबंधित मूल एफ.आई.आर.।

(ङ.) झारखण्ड आंदोलन से संबंधित श्री एन.के. बोस के कागजात; उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के कार्यकलापों से संबंधित भारतीय मानव–विज्ञान संस्थान की फाइलें; भारतीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता एसोसिएशन, ललवाणी पब्लिशिंग हाउस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, 1946 की प्रत्यक्ष कार्रवाई संबंधी डायरियां और कुछ विविध फाइलें, आदि।

2. विदेशों से भारत से संबंधित माइक्रोफिल्म रोल – ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन, यू.के. से एल/पीजे/7 श्रृंखला की सात सीडी प्राप्त की गईं। ये ब्रिटिश उपनिवेश में रहने वाले भारतीयों की स्थिति जैसे विषयों से संबंधित हैं; गवर्नर जनरल लार्ड लिनलिथगो का श्री गांधी के साथ साक्षात्कार, युद्ध के समय केन्द्रीय विधान सभा की स्थिति और परस्पर बैठक के संबंध में गांधी और लार्ड लिनलिथगो के बीच पत्राचार, आदि।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

18.8 Besides Public Records, National Archives of India continued to acquire Private Papers of Eminent Indians in various fields as well as of Indian interest from abroad. Under this programme:

1. The private paper collection of National Archives of India was enriched with the accession of the following eminent personalities:-

   (a). Sh. Balram Jakhar Papers containing speeches, articles and books.

   (b). Prof. Malwinderjit Singh Papers relating to Lahore Conspiracy Case; Babbar Akali Conspiracy Case; and two CDs relating to exhibition on Shaheed Bhagat Singh and India's struggle for freedom.

   (c). Sh. Amar Kumar Jhingan Papers includes Pandulepi/Tarpatra, Sar Sudha – Nidhi in Hindi, Stray magazines/periodicals/booklets etc.

   (d). Original F.I.R. relating to Gandhiji's murder on 30th January 1948.

   (e). Sh. N.K. Bose Papers relating to Jharkhand Movement; Anthropological Survey of India files relating to activities of Institute of Advanced Studies, Simla; Indian Association of Cultural Freedom, Lalvani Publishing House, Oxford University Press, Indian Council of Historical Research, Direct Action of 1946, personal diaries and some miscellaneous files etc.

2. Microfilm Rolls of Indian interest from abroad:- Seven CDs of L/PJ/7 Series of records were acquired from the British Library, London, U.K. These relate to subjects like position of domiciled Indians in British Colonies; interview with Mr. Gandhi of Governor General Lord Linlithgow; position of Central Legislature in time of war and correspondence between Gandhi and Lord Linlithgow regarding mutual meeting, etc.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–19

अभिलेख प्रतिधारण समय–सूची की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड.) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागर ने 6 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:–

अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने 6 कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण सूची की पुनरीक्षा की है और उन्हें कार्यान्वयन के लिए इन कार्यालयों को भेजा है – केन्द्रीय संदर्भ ग्रंथागार, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कैपेक्सिल, बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन, भारतीय पटसन उद्योग एसोसिएशन; राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन, जो सभी कोलकाता में स्थित हैं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CHAPTER-19

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS

Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Records Officer shall be responsible for compilation of records retention schedules in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted Records Retention Schedules of Substantive Functions of 6 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings during the period under report. Detailed information is given below:-

The Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar vetted the Records Retention Schedule of the 6 Offices, sent them for implementation and these are:- Central Reference Library, Central Food Laboratory, Capexil, Port Health Organization, Indian Jute Industries Association, National Atlas and Thematic Mapping Organization, all in Kolkata.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय–20

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(झ) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्द्ध–प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों विभागों इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे।

20.1 अर्द्ध–प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन के एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए वहीं पर सलाह और मार्गदर्शन दिया गया।

संदर्भाधीन अवधि में, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने ग्यारह संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। ये हैं: सूचना और प्रसारण मंत्रालय; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय); माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विभाग मंत्रालय); संस्कृति मंत्रालय; सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); योजना आयोग; खान मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय; डाक विभाग तथा गृह मंत्रालय; जो सभी नई दिल्ली में स्थित हैं।

20.2 इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उनके अनुरोध प्राप्त होने पर अभिलेख प्रबंधन के मामलों पर परामर्श देना जारी रखा। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी गई: कानून और न्याय मंत्रालय; पर्यावरण और वन मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; मुद्रण निदेशालय; वाणिज्य विभाग और इंडियन एयरलाइन्स, जो सभी दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित अधिकारियों को भी सलाह दी: आयकर अधिकारी, त्रिचि, केरल; आईटीपीओ के अधिकारी, प्रगति मैदान, नई दिल्ली; निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (श्रम मंत्रालय), नई दिल्ली और सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद।

'क' श्रेणी की माइक्रोफिल्मिंग के विभिन्न बिन्दुओं पर आयकर कार्यालय, भुवनेश्वर और मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद, बैंगलोर को भी सलाह दी गई। एयर इंडिया लिमिटेड, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई और आधुनिक शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली को वर्गीकृत अभिलेखों का अभिलेखन, समीक्षा, सूची, छंटाई और विवर्गीकृत करने के संबंध में सलाह दी गई। अभिलेखाध्यक्ष (आर.एम.) ने विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नामांकन तथा मुख्य अभिलेख अधिकारियों के नामांकन के संबंध में नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग, अन्य मंत्रालयों और विभागों को भी सलाह दी।

20.3 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भूतल परिवहन मंत्रालय, भुवनेश्वर को अभिलेख प्रबंधन के तकनीकी/व्यावसायिक मामलों पर सलाह दी है।

20.4 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने स्क्यूरिटी पेपल मिल होशंगाबाद और केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (श्रम मंत्रालय), भोपाल को सलाह और मार्गदर्शन दिया है।

20.5 विभिन्न रेप्रोग्राफी सेवाओं पर तकनीकी सूचना/मार्गदर्शन निम्नलिखित संगठनों/संस्थानों को प्रदान किया गया: निदेशक, वृंदावन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश; उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ; अवर सचिव, लोक

CHAPTER-20

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/ Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various Records Creating Agencies on the matters related to records management activities.

20.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the Records Management, National Archives of India inspected the Departmental Records Rooms of various Ministries/ Departments/ Offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

During the period under report, the Departmental Records Rooms of eleven organizations were inspected by the officers of the National Archives of India. These are: Ministry of Information & Broadcasting; Department of Information Technology, (Ministry of Information and Technology); Department of Secondary and Higher Education (Ministry of Human Resources Development); Ministry of Culture; Department of Road Transport Highways and Department of Shipping, Road Transport & Highways (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways); Planning Commission; Ministry of Mines; Ministry of Water Resources; Department of Post and Ministry of Home Affairs, all in New Delhi.

20.2 Further, National Archives of India continued to tender advice on the matters of Records Management to Records Creating Agencies as and when such requests were received. Accordingly, advice on various aspects of Records Management was tendered by officers of National Archives of India to the following offices: Ministry of Law & Justice; Ministry of Environment & Forest; Social Justice & Empowerment; Directorate of Printing; Department of Commerce and Indian Airlines all located in Delhi.

National Archives of India also rendered advice to the following officers: Income Tax Officer, Tiruchi, Kerala; Officer of ITPO, Pragati Maidan, New Delhi; Director Employment and Training (Ministry of Labour), New Delhi and Central Electronics Ltd., Sahibabad.

Advice was also given on various points of Microfilming of 'A' Category Records to Income Tax Office, Bhubaneswar and Chief Commissioner Office, Central Excise, Bangalore. Air India Limited, Nariman Point, Mumbai and Modern Institute of Urban Affairs, New Delhi were rendered advice on Recording, Reviewing, Indexing, Weeding and Declassification of Classified records. The Archivist (RM) also gave advice regarding nomination of Departmental Records Officers and the nomination of Chief Records Officers to Department of Commerce, other Ministries and Departments in New Delhi.

20.3 The Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar tendered advice on Technical/ Professional matters of Records Management to the Ministry of Surface Transport, Bhubaneswar.

20.4 Regional Office, Bhopal provided advice and guidance to Security Paper Mill Hoshangabad and Central Board for Workers Education (Ministry of Labour), Bhopal.

20.5 The Technical Information/Guidance on the various Reprographic services were supplied to the following Organization/Institute: Director, Vrindavan Research Institute, U.P.; Uttar Pradesh State

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

सभा सचिवालय, नई दिल्ली; मानू सहगल, नई दिल्ली (माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिचे होल्डिंग के संबंध में आरटीआई जांच के अधीन); मानद निदेशक, पूर्वोत्तर पर मीडिया अभिलेखागार–सह–राष्ट्रीय संदर्भ पुस्तकालय, मीडिया ट्रस्ट गुवाहाटी; रेप्रोग्राफी सेवाओं की दरों की अनुसूची के संशोधन के संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार में आर आर (भारतीय और विदेशी अध्येता); उप निदेशक, पुरातत्वीय अभिलेखागार और संग्रहालय, भोपाल; निदेशक, खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना तथा अभिलेख प्रबंधन अनुभाग के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।

20.6 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखों की मरम्मत और परिरक्षण के संबंध में निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों को तकनीकी सूचना प्रदान की हैः निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार (लखनऊ), उत्तर प्रदेश; पुस्तकालाध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, नई दिल्ली तथा महानिदेशक, भारतीय संरक्षण संस्थान परिषद (लखनऊ), उत्तर प्रदेश।

इसके अलावा, दस्तावेजी विरासत के संबंध में संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित को तकनीकी जानकारी दी गई थीः सत्य साईं सनातन संस्कृति (संग्रहालय), आन्ध्र प्रदेश; प्रधान आयुक्त और अभिलेखागार एवं ऐतिहासिक अनुसंधान आयुक्त, तमिलनाडु अभिलेखागार, चेन्नई; भाई गुरदास ग्रंथागार, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर; निदेशक (संरक्षण), राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; संकाय–अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) और अध्यक्ष, संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; निदेशक, अभिलेखागार, अभिलेखागार भवन, चण्डीगढ़ (पंजाब); निदेशक, भारतीय रेलवे यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान (आईएमईई), जमालपुर (बिहार) और पुस्तकालय अध्यक्ष, बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास सोसायटी, मुम्बई।

20.7 अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड की 9वीं बैठक 7 फरवरी 2008 को आयोजित की गई थी और इसको कार्यवृत्त की सिफारिशों के अनुसार कार्य मदें शुरू की गई थीं। इसकी सिफारिशों पर 48 मंत्रालयों/विभागों ने मुख्य अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है।

20.8 रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 41 डीआरओ को नामित किया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 48 मुख्य अभिलेख अधिकारियों (सीआरओ) के नामांकन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट सचिव, संस्कृति को सूचनार्थ प्रस्तुत कर दी गई है।

20.9 उपर्युक्त के अलावा, डॉ0 मीना गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार ने नई दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को ''लोक अभिलेख अधिनियम और नियमावली' पर एक व्याख्यान दिया।

20.10 डॉ0 प्रमोद मेहरा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में समकालीन अभिलेखागार इतिहास पर एक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, उन्होंने नई दिल्ली में भारत में डिजीटल परिरक्षण पर एक कार्यशाला में भी भाग लिया।

20.11 डॉ0 सी.एल. प्रजापति, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने भारतीय खगोल–भौतिकी संस्थान, बैंगलोर में ''हमारी वैज्ञानिक विरासत का परिरक्षण'' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने उपर्युक्त कार्यशाला में ''दस्तावेजी विरासत के परिरक्षण और सुधारात्मक संरक्षण'' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रशिक्षणार्थियों को ''कागज, प्राचल और अनुप्रयोग पर चित्रकलाओं के संरक्षण की सामग्री'' विषय पर एक व्याख्यान भी दिया।

उन्होंने नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली में ''कागज/अभिलेखागार सामग्री/चित्रकला पर संरक्षण'' विषय पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

Archives, Lucknow; Under Secretary, Lok Sabha Secretariat, New Delhi; Manu Seghal, New Delhi (under RTI enquiry regarding Microfilm/Microfiche holding); Honorary Director, Media Archives-Cum-National Reference Library on the North-East, Media Trust Guwahati; RR (Indian and Foreign Scholars) in National Archives of India regarding revision of schedule of rates of Reprography Services; Deputy Director, Archeological Archives and Museum, Bhopal; Director, Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna and Archeological Survey of India through Records Management Section.

20.6 National Archives of India rendered technical information to the following Organizations/Individuals regarding Repair & Preservation of records: Director, Uttar Pradesh State Archives, (Lucknow) U.P.; Librarian, Central Secretariat Library, New Delhi and Director General, Indian Council of Conservation Institute, (Lucknow) U.P.

Further, technical information on various aspects of conservation on documentary heritage was supplied to: Sathya Sai Sanathana Samskruthy (Museum), Andhra Pradesh; The Principal Commissioner and Commissioner of Archives & Historical Research, Tamil Nadu Archives, Chennai; Bhai Gurdas Library, Guru Nanak Dev University, Amritsar; Director (Conservation), National Museum, New Delhi; Dean (Academic Affairs) & Head, Deptt. of Conservation, National Museum Institute, National Museum, New Delhi; The Director of Archives, Archives Bhawan, Chandigarh (Punjab); Director, Indian Railways Institute of Mechanical & Electrical Engineering (IMEE), Jamalpur (Bihar) and Librarian, Bombay Natural History Society, Mumbai.

20.7 9th Meeting of Archival Advisory Board was held on 7th February 2008 and as per recommendations of its Minutes the work items have been taken up. On its recommendations 48 Ministries/Departments have nominated Chief Record Officers.

20.8 During the year under report 41 DROs have been nominated from various Ministries/ Departments/ PSUs. 48 Chief Records Officers (CROs) nominations have been received from different Ministries/Departments of Government of India and the status report in this regard has been submitted to the Secretary Culture for information.

20.9 In addition to the above, Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives delivered a lecture on "Public Records Act and Rules" to the trainees of Institute of Secretariat Training and Management at New Delhi.

20.10 Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives was deputed to attend an Advisory Committee Meeting on the Archives on Contemporary History at Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Further he also attended a workshop on Digital Preservation in India at New Delhi.

20.11 Dr. C.L. Prajapati, Assistant Director of Archives attended a national workshop on "Preservation of Our Scientific Heritage" at Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. He delivered a talk on "Preservative and Curative Conservation of Documentary Heritage" at the above workshop.

He also delivered a lecture on the topic "Materials in Conservation of Paintings on paper, Parameter and Application" to the trainees of National Museum at New Delhi.

He attended a workshop on "Conservation on Paper/Archival Material/Painting" at Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; रिकार्ड प्रबंधन, रिकार्ड प्रशासन, पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों के संरक्षण एवं रिकार्डों की मरम्मत से संबंधित अल्पकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/लोक क्षेत्र के उपक्रम, आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1933 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितम्बर, 1998 में इसकी शुरुआत से अब तक 83 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 1076 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2008 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिमुखी पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–4** में देखी जा सकती है।

21.1 वर्ष 2007–2008 के शैक्षणिक वर्ष के लिए अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 11 छात्रों का बैच था। इनमें से विदेशों तथा भारत से चार उम्मीदवार प्रायोजित थे। इन्हें प्रायोजित करने वाले संगठन थेः निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार श्री लंका, कोलम्बो, श्री लंका; निदेशक, उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, लखनऊ (उ.प्र.); अध्यक्ष, सीमा क्षेत्र विकास, कारगिल (जम्मू व कश्मीर) तथा परियोजना समन्वयक, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, संभलपुर, उड़ीसा। शेष सात छात्र निजी उम्मीदवार थे।

21.2 अभिलेखागार अध्ययन स्कूल ने पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखागारों की देखभाल और संरक्षण में दो अल्पावधि पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिनमें 11 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इनमें से तीन उम्मीदवारों को श्री श्री माँ आनंदमयी अभिलेखागार, दीपशिखा, नई दिल्ली; शांतिमलाई ट्रस्ट, श्री रामनाश्रम; तमिलनाडु तथा विरासत जागरुकता एवं अनुसंधान फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था।

21.3 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 30 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से सत्रह उम्मीदवार प्रायोजित श्रेणी से थे। प्रायोजित संगठनों के नाम हैंः टीकाकरण, आपूर्ति और गुणवत्ता इकाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली; टाटा आधारभूत अनुसंधान अभिलेखागार संस्थान (टीआईएफआर), मुम्बई; महानिदेशक अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; ग्यारह उम्मीदवार केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण, भवन, नई दिल्ली; राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली; प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना भवन, नई दिल्ली और एस.आई.सी. उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली से थे।

21.4 अभिलेखीय विद्यालय अध्ययन ने भी अभिलेखागार प्रबंधन पर 1 पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 7 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से दो उम्मीदवारों को भारतीय योजना आयोग ग्रंथागार, नई दिल्ली और वार्डन, एसआरके हॉस्टल, पुराना जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था। शेष उम्मीदवार प्राइवेट उम्मीदवार थे।

CHAPTER-21

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in various disciplines of Archival Science at both professional and Sub-professional level. These comprised of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management; Short Term Certificate Courses in Records Management, Records Administration, Conservation of Books, Manuscripts and Archives at Professional and Servicing and Repair of records at Sub-professional level. Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started Five Days Orientation Courses in Record Management for designated Departmental Records Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public Records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 83 Courses after its introduction in September 1998 and imparted training to 1,076 Officers. A list of Departmental Records Officers who have attended the Orientation Courses in Records Management during the year 2008 may please be seen in **Annexure-IV** of the report.

21.1 One-Year Diploma Course in Archives and Records Management for the academic year 2007-2008 had a batch of 11 students. Out of these, four candidates were sponsored Candidates from Foreign Countries and within India. These sponsoring organizations were: The Director, National Archives Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka; The Director, U.P. State Archives, Lucknow (U.P.); The President, Border Area Development, Kargil (Jammu & Kashmir) and The Project Co-ordinator, Post Graduate Department of History, Sambhalpur, Orissa. The remaining seven students were private candidates.

21.2 School of Archival Studies also conducted two Short Term Courses in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives which were attended by 11 candidates. Out of these, three candidates were sponsored by the Shree Shree Ma Anandamayee Archive, Deepashika, New Delhi; Shantimalai Trust, Sri Ramanasramam, Tamil Nadu and Foundation for Heritage Awareness and Research, New Delhi.

21.3 Two Short Term Courses in Records Management were conducted which were attended by 30 Candidates. Out of these, seventeen candidates were from sponsored category. The sponsoring organizations are: Vaccine, Supply & Quality Unit, World Health Organization, New Delhi; Tata Institute of Fundamental Research Archives (TIFR), Mumbai; The Director General of Archives, National Archives of India, New Delhi; eleven candidates were from The Central Social Welfare Board, Samaj Kalyan Bhavan, New Delhi; Indian National Science Academy, New Delhi; Press Council of India, Soochna Bhawan, New Delhi and S.I.C. Store Northern Railway, New Delhi.

21.4 School of Archival Studies also conducted 1 Course in Archives Management which was attended by 7 candidates. Out of them, two were sponsored by The Planning Commission of India Library, New Delhi and the Warden, SRK Hostel, Old Jamia Milia Islamia, New Delhi. The rest were private candidates.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

21.5 रेप्रोग्राफी में अल्पकालिक पाठ्यक्रम के दो सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्यारह छात्रों ने भाग लिया था। इनमें से चार उम्मीदवारों को खेल, कला और संस्कृति निदेशालय; अंडमान व निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता, संसदीय पुस्तकालय; लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली और दिल्ली कला दीर्घा प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था।

21.6 अभिलेखों के रखरखाव और मरम्मत में दो अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 16 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इनमें से केवल उम्मीदवार को निदेशक (प्रशा.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था और शेष उम्मीदवार प्राइवेट उम्मीदवार थे।

21.7 वर्ष के दौरान अभिलेखीय विद्यालय अध्ययन द्वारा निम्नलिखित अनेक संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया:–

(i) **'भारत में व्यवसाय अभिलेखागारः दक्षता और संभावनाएं' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठीः** 'भारत में व्यवसाय अभिलेखागारः दक्षता और संभावनाएं' विषय पर संगोष्ठी 28 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थी। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नेहरु स्मारक और पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के अलावा बैंकिंग, व्यवसाय संस्थान के अधिकारियों द्वारा 10 पेपर प्रस्तुत किए गए थे। प्रो0 द्विजेन्द्र त्रिपाठी और प्रो0 आदित्य मुखर्जी (जेएनयू से) द्वारा पैनल चर्चा आयोजित करने के अलावा, दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में लगभग 130 व्यक्तियों ने भाग लिया।

(ii) **अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण और माइक्रोफिल्म बनाने/डिजीटलीकरण में मानव संसाधन विकास पर क्षेत्रीय कार्यशालाः** बिहार राज्य अभिलेखागार के सहयोग से पटना में 21.7.2008 से 25.7.2008 तक अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण और माइक्रोफिल्म बनाने/डिजीटलीकरण में मानव संसाधन विकास विषय पर एक साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(iii) **राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून के सहयोग से अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण और माइक्रोफिल्मिंग/डिजिटल करने विषय पर साप्ताहिक मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजनः** राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून के सहयोग से अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण और माइक्रोफिल्म बनाने/डिजिटल करने विषय पर साप्ताहिक मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का 24 से 28 नवम्बर, 2008 को आयोजन किया गया।

(iv) अभिलेखीय विद्यालय अध्ययन, राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से अभिलेख प्रबंधन और संरक्षण विषय पर पटना में 15 से 16 दिसम्बर 2008 को **बिहार राज्य अभिलेखागार** द्वारा एक **दो–दिवसीय कार्यशला** का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बिहार सरकार सचिवालय तथा अन्य राज्य सरकारी विभागों से लगभग 200 कर्मचारियों ने भाग लिया।

21.8 रिपोर्ट को अवधि के दौरान 7 अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से चार पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में, एक भुवनेश्वर तथा एक पुड्डुचेरी में विभागीय अभिलेख अधिकारियों (डीआरओ) के प्रबंधन विषय पर आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों में 60 विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को जानकारी देने, संवेदनशील बनाने के लिए अहमदाबाद में ''अभिलेख प्रबंधन चुनौतियाँ और उत्कृष्ट पद्धतियाँ'' विषय पर अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 भागीदारों ने भाग लिया; गंगटोक में 45 भागीदारों तथा नागपुर में 22 अधिकारियों ने भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के सहयोग से आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

21.5 Two sessions of Short Term Courses in Reprography were also conducted which were attended by eleven students. Out of these, four were sponsored by Directorate of Sports, Art and Culture, A & N Administration, Port Blair; Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata; Parliament Library, Lok Sabha Secretariat, New Delhi and Delhi Art Gallery Private Limited, New Delhi.

21.6 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records which were attended by 16 candidates. Out of these, only one was sponsored by The Director (Admn.), Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi and the rest were private candidates.

21.7 Series of Seminars and Workshops organized by School of Archival Studies during the year includes:

(i) **National Seminar on 'Business Archives in India: Perfect and Prospects':** National Seminar on 'Business Archives in India: Perfect and Prospects' was conducted on 28th February, 2008. 10 papers were presented by Officers of Banking, Business Institute beside Indira Gandhi National Centre for the Arts, Nehru Memorial and Library and National Archives of India. Two technical sessions were conducted by Prof. Dwijendra Tripathi and Prof. Aditya Mukherjee (from JNU) besides holding the Panel Discussion. Around 130 persons participated in the seminar.

(ii) **Regional Workshop on Human Resources Development in Record Management, Conservation and Microfilming/ Digitization:** A one week workshop on Human Resources Development in Records Management, Conservation and Microfilming/ Digitization has been conducted at Patna in collaboration with Bihar State Archives from 21.7.2008 to 25.7.2008.

(iii) **Organization of one week Human Resources Development Programme Records Management, Conservation and Microfilming/ Digitization in collaboration with State Archives, Uttrakhand, Dehradun:** One week training programme on Human Resources Development in Records Management, Conservation and Microfilming/ Digitization has been organized in collaboration with State Archives Uttrakhand at Dehradun from 24 to 28 November 2008.

(iv) **Conducted two days workshop,** organized by **Bihar State Archives** in collaboration with School of Archival Studies, National Archives of India, on Records Management and Conservation at Patna on 15 & 16 December 2008. About 200 employees of the Bihar Government Secretariat and other State Government Departments participated in the workshop.

21.8 During the period under the report 7 Orientation Courses, four at National Archives of India, New Delhi, one at Jaipur, one at Bhubaneswar and one at Puducherry on Records Management for Departmental Records Officers (DROs) were conducted. 60 Departmental Officers attended the courses.

For Orientation, Sanitization of the Officers working in different offices of Government of India, a series of Seminars on Records Management "Records Management: Challenges and Best Practices" were held at Ahmadabad attended by 35 participants, at Gangtok attended by 45 participants and at Nagpur in collaboration with the Indian Bureau of Mines, Nagpur attended by 22 officers.

अध्याय–22

अभिलेख जागरुकता

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(घ) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित कीं और अन्य कार्यकलाप भी किए गए।

22.1 इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 16–18 जनवरी, 2008 को आयोजित *"1857: रिविजिटेड"* विषय पर सम्मेलन में राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध 1857 के समकालीन स्रोतों पर आधारित एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉ. ए.आर. किदवाई, माननीय हरियाणा राज्यपाल द्वारा किया गया।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा 8–9 अगस्त, 2008 को आयोजित *एक लक्ष्य अनेक धाराएं* विषय पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा *भारत में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटिज के 150 वर्ष (1857–2007)* नामक एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसे स्वतंत्रता सेनानियों, विद्वानों, प्रतिनिधिमंडल और संगोष्ठी के भागीदारों द्वारा देखा गया था।

भगत सिंह पर मुकदमा विषय पर प्रदर्शनी लगाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संग्रहालय, नई दिल्ली को परामर्श दिया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री के.जी. बालकृष्णन, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 27 सितम्बर, 2008 को किया गया था। प्रदर्शों के शीर्षक, प्रचार के लिए इश्तहार तथा इस अवसर पर प्रकाशित एक पुस्तिका की संवीक्षा की गई तथा प्रदर्शनी पर दस मिनट मल्टी मीडिया पर एक आलेख का संपादन भी किया गया तथा इसे प्रदर्शित करने से पहले विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

ऐतिहासिक दस्तावेज क्रय समिति :

22.2 ऐतिहासिक दस्तावेज क्रय समिति की दो बैठकें (53वीं और 54वीं) वर्ष 2008 में बुलाई गई थीं; (क) अनेक मदों/ऐतिहासिक सामग्री (पाण्डुलिपि, दस्तावेज, दुर्लभ पुस्तकें, आदि) पर विचार करना और (ख) फारसी पाण्डुलिपियों का अनुवाद/संपादन करने तथा गैर–फारसी/उर्दू दस्तावेजों के संदर्भ माध्यम तैयार करना।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग:

22.3 आयोग द्वारा पारित संकल्पों/सिफारिशों पर स्थिति पेपर के प्रकाशन (53वां–58वां सत्र) खण्ड–।। का कार्य शुरू किया गया। आईएचआरसी के पुनर्गठन प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया था।

राष्ट्रीय अभिलेखाध्यक्ष समिति:

22.4 राष्ट्रीय अभिलेखाध्यक्ष समिति की बैठकों (1954–2007) में प्रस्तुत कागजात के प्रकाशन के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया था।

22.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18–19 मई, 2008 तक *"अभिलेखागार और सामाजिक परिवर्तन"* विषय पर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसे 300 से अधिक लोगों द्वारा देखा गया। इसका उद्घाटन प्रो.के.के. बासा, निदेशक, आईजीआरएमएस, भोपाल द्वारा किया गया था।

CHAPTER-22

ARCHIVAL AWARENESS

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of Public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

22.1 A power point presentation based on Contemporary Sources on 1857 available in the National Archives of India was made in the Conference *1857: Revisited* organized by the Department of History, Kurukshetra University, Kurukshetra from 16-18 January 2008. This conference was inaugurated by the Dr. A.R. Kidwai, Honorable, Governor of Haryana.

The Exhibition entitled commemorating *150 years of Presidency Universities in India (1857-2007)* was mounted by the Department during a National Seminar on India's Freedom Struggle on the theme *One Goal-Many Streams* organized by the Indira Gandhi National Open University, New Delhi from 8-9 August 2008. It was viewed by the freedom fighters, scholars, delegates and participants of the Seminar.

The consultancy was provided to the Supreme Court Museum, New Delhi regarding organization of the exhibition on *The Trial of Bhagat Singh* which was inaugurated by Shri K.G. Balakrishnan, Chief Justice of India on 27th September, 2008. The captions of the exhibits, publicity leaflet and booklet brought out on the occasion were vetted and the script of the ten minutes multimedia on the exhibition was also edited and finalized by the Department before the display.

Historical Documents Purchase Committee:

22.2 Two meetings of the Historical Documents Purchase Committee (53rd & 54th) were convened in 2008 for (a) consideration of a number of items/historical material (manuscripts, documents, rare books, etc.) and (b) for translating/editing Persian manuscripts and for preparation of reference media of non Persian/Urdu Documents.

Indian Historical Records Commission:

22.3 Work on the publication on the Status Paper on the Resolutions/Recommendations passed by the Commission (53rd-58th Sessions), Vol. II was taken up. Proposal for Reconstitution of IHRC was under submission in the Ministry of Culture for approval.

National Committee of Archivists:

22.4 Draft publication on papers presented at meetings of National Committee of Archivists (1954-2007) was approved.

22.5 National Archives of India, Regional Office, Bhopal mounted a Thematic Exhibition on *"Archives and Social Change"* w.e.f. 18th May to 19th May, 2008 on the eve of International Museum Day which was visited by more than 300 persons. It was inaugurated by Prof. K.K. Basa, Director, IGRMS, Bhopal.

बैठकें और सम्मेलनः

22.6 संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, महानिदेशक अभिलेखागार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:–

1. श्री लव वर्मा, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय तथा महानिदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :

   (क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 54वीं आम बैठक 12 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

   (ख) संचार और सूचना विभाग, नई दिल्ली में 28 अप्रैल, 2008 को डिजीटल परिरक्षण पर एक बैठक बुलाई गई थी।

   (ग) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान की प्रबंधन बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में 30 अप्रैल, 2008 को आयोजित की गई थी।

   (घ) उन्हें भारत सरकार द्वारा 20–25 जुलाई, 2008 तक मलेशिया में कुआलालमपुर में आयोजित 'अभिलेखागार' – अभिलेखागार शासन और विकासः भावी समाज की रूपरेखा विषय पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी भेजा गया था।

2. श्री एस.एम.आर. बाकर, महानिदेशक, अभिलेखागर (प्रभारी) ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लियाः

   (क) निदेशक के चेम्बर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सरोजनी नगर, नई दिल्ली में 31 जनवरी, 2008 को जांच समिति/डीपीसी की एक बैठक आयोजित की गई थीः

   (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में 31 अक्तूबर, 2008 को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की सामान्य परिषद की 57वीं बैठक आयोजित की गई थी।

   (ग) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली में 24 दिसम्बर, 2008 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा आयोजित विभागीय प्रतियोगिता में निर्णायक की हैसियत से भाग लिया।

3. डॉ. मीणा गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजा गया थाः

   (क) सीएसएल बिल्डिंग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में 16 जून, 2008 को श्री आर.सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय की अध्यक्षता में भारत–तुर्की सीईपी की एक बैठक आयोजित की गई थी।

   (ख) श्री आर.सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय की अध्यक्षता में शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 18 जून, 2008 को भारत–अफ्रीका मंच शिखर बैठक आयोजित की गई थी।

   (ग) नई दिल्ली में 29 जुलाई, 2008 को आयोजित सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को ''लोक अभिलेख अधिनियम और नियम'' विषय पर एक व्याख्यान दिया गया।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Meetings and Conferences:

22.6 The Jt. Secretary, Ministry of Culture, Director General of Archives and other Senior Officers attended the following meetings during the period under report:-

1. Sh. Lov Verma, Jt. Secretary, Ministry of Culture and Director General of Archives, attended the following meetings:
   - (a) The 54th Ordinary General Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 12th January, 2008 at New Delhi.
   - (b) A meeting on Digital Preservation held on 28th April, 2008 at the Department of Communication and Information, New Delhi.
   - (c) Board of Management Meeting of the National Museum Institute held on 30th April, 2008 in New Delhi.
   - (d) He was also deputed by the Government of India to Malaysia from 20th-25th July, 2008 to attend the 16th International Congress on 'Archives' – on Archives Governance and Development: Mapping Future Society held at Kuala Lumpur.
2. Sh. SMR Baqar, Director General of Archives (I/C) attended the following meetings:
   - (a) A meeting of the Screening Committee/DPC held on 31st January, 2008 in the Chamber of the Director, Delhi Public Library, Sarojini Nagar, New Delhi.
   - (b) The 57th Meeting of the General Council of the Indian Council of Historical Research held on 31st October, 2008 at Indian Council of Historical Research, New Delhi.
   - (c) As a judge in the Departmental Competition organized by Delhi Public Library held on 24th December, 2008 at Delhi Public Library, New Delhi.
3. Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives was deputed to attend the following meetings/conferences:
   - (a) Indo-Turkish CEP meeting under the chairmanship of Sh. R.C. Mishra, Joint Secretary, Ministry of Culture held on 16th June, 2008 at the Conference Hall of CSL Building, New Delhi.
   - (b) Meeting on Indo-Africa Forum Summit held on 18th June, 2008 at Shastri Bhawan, New Delhi under the chairmanship of Sh. R.C. Mishra, Joint Secretary, Ministry of Culture.
   - (c) Delivered a lecture on "Public Records Act and Rule" to the Trainees of Institute of Secretariat Training and Management held on 29th July, 2008 at New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(घ) सीईपी के अंतर्गत डॉ. मीणा गुप्ता, डीडीए को नीदरलैण्ड में अभिलेखागार प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भारत–नीदरलैण्ड सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 5–11 नवम्बर, 2008 तक नीदरलैण्ड भेजा गया।

(ड.) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 22–26 सितम्बर, 2008 को आईसीओएम–सीसी के 15वें त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(च) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 58वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में18 दिसम्बर, 2008 को आयोजित की गई थी।

(छ) वृंदावन में 20 दिसम्बर, 2008 को आयोजित वृंदावन अनुसंधान संस्थान की आम परिषद बैठक आयोजित की गई थी।

4. श्रीमती सुनीता कालरा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को नई दिल्ली में 11 दिसम्बर, 2008 को आयोजित राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे की सलाहकार समिति की बैठक में भेजा गया था।

5. डॉ0 प्रमोद मेहरा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों/सम्मेलनों में भेजा गया था।

(क) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में 16–18 जनवरी, 2008 को आयोजित *''1857 रिविजिटेड''* विषय पर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार में *''1857 के स्रोत''* पर एक संगोष्ठी बुलाई गई थी।

(ख) गुजरात शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, गांधीनगर में 7–8 फरवरी, 2008 को आयोजित *''केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन''* विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

(ग) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में 2–4 फरवरी, 2008 को *''मध्य भारत में 1857 का विद्रोह''* विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

(घ) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 25 मार्च, 2008 को समकालीन इतिहास अभिलेखागार पर सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी।

(ड.) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 24–25 अप्रैल, 2008 को जनगणना 2011 पर एक बैठक बुलाई गई थी।

(च) इग्नू, नई दिल्ली में 9 जून, 2008 को ''भारतीय स्वतंत्रता संग्राम – एक लक्ष्य अनेक धाराएं'' विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठी समिति की एक बैठक बुलाई गई थी।

(छ) एएसआई राष्ट्रीय जांच और मूल्यांकन समिति की एक बैठक नई दिल्ली में 5 सितम्बर, 2008 को आयोजित की गई थी।

(ज) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली में 23–28 अक्तूबर, 2008 को 22वें एशियाई अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी के लिए प्राग से लाई गई टिकट संग्रह की वस्तुओं की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच और मूल्यांकन समिति की एक बैठक बुलाई गई थी।

(झ) भारत में डिजीटल परिरक्षण विषय पर एक कार्यशाला नई दिल्ली में 7 नवंबर, 2008 को आयोजित की गई थी।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(d) Under the CEP Dr. Meena Gautam, DDA was deputed to Netherlands from 5th-11th November, 2008 under Indo-Netherlands Cultural Exchange Programme to study the Archival System in Netherlands.

(e) ICOM-CC 15th Triennial Conference held on 22nd-26th September, 2008 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

(f) The 58th Annual General Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 18th December, 2008 at New Delhi.

(g) The General Council Meeting of the Vrindavan Research Institute held on 20th December, 2008 at Vrindavan.

4. Smt. Sunita Kalra, Assistant Director of Archives was deputed to attend Advisory Committee Meeting of the National Film Archives of Pune held on 11th December, 2008 at New Delhi

5. Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives was deputed the following meetings/conferences:

(a) A seminar on *"The Sources on 1857"* in National Archives of India at the Conference on *"1857 Revisited"* held on 16th-18th January, 2008 at Kurukshetra University, Kurukshetra.

(b) A conference on *"Central and State Statistical Organizations"* held on 7th-8th February, 2008 at Gujarat Council of Educational Research and Training, Gandhinagar.

(c) A national seminar on *"Revolt of 1857 in Central India"* held on 2nd-4th February, 2008 at Rani Durgarvati Vishwavidyalaya, Jabalpur.

(d) An Advisory Committee Meeting on the Archives on Contemporary History held on 25th March, 2008 at Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

(e) A meeting on Census 2011 held on 24th-25th April, 2008 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

(f) A meeting of Academic Committee on National Seminar on *"India's Freedom Struggle One Goal and Many Streams"* held on 9th June, 2008 at IGNOU, New Delhi.

(g) A meeting of the ASI National Screening and Evaluation Committee held on 5th September, 2008 at New Delhi.

(h) A meeting of the National Screening and Evaluation Committee to examine the Philatelic items brought from Praga for the 22nd Asian International Stamp Exhibition held on 23rd-28th October, 2008 at Archaeological Survey of India, New Delhi.

(i) A workshop on Digital Preservation in India held on 7th November, 2008 at New Delhi.

6. श्री राजेश वर्मा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा गया था:

(क) निदेशक (संस्कृति) की अध्यक्षता में केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में 31 जनवरी, 2008 को सात देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में 27 फरवरी, 2008 को दस्तावेज और सूचना क्षेत्रीय समिति, एमएसडी 5 की 11वीं बैठक बुलाई गई थी।

7. डॉ0 सी.एल. प्रजापति, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों/ कार्यशालाओं में भाग लने के लिए तैनात किया गया था:

(क) भारतीय खगोल–भौतिकी संस्थान, बैंगलोर में 21–22 जनवरी, 2008 को ''हमारी वैज्ञानिक विरासत का परिरक्षण'' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। उन्होंने उपर्युक्त कार्यशाला में *''दस्तावेजी विरासत के परिरक्षण और सुधारात्मक संरक्षण''* पर एक व्याख्यान दिया था।

(ख) उन्होंने नई दिल्ली में 24 जनवरी, 2008 को राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रशिक्षणार्थियों को ''कागज, प्राचल और अनुप्रयोग पर चित्रकलाओं के संरक्षण की सामग्री'' विषय पर एक व्याख्यान भी दिया।

(ग) नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली में 12–13 फरवरी, 2008 को ''कागज/अभिलेखागार सामग्री/चित्रकला के संरक्षण ''विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(घ) इन्टैक, नई दिल्ली में 28–29 फरवरी, 2008 को *''कला संरक्षण में प्रगति''* विषय पर एक दो–दिवसीय विशेषज्ञ बैठक आयोजित की गई थी।

आगंतुक:

22.7 राष्ट्रीय अभिलेखागार में वर्ष 2008 के दौरान कई गणमान्य आगंतुकों ने दौरा किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:–

1. श्री अभिजीत सेनगुप्ता, सचिव (संस्कृति) ने 16 जनवरी, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का भ्रमण कराया गया।

2. श्री वाल्दामीर पी. तारासोव, उप निदेशक, फेडरल आर्काइवल एजेंसी ऑफ रशिया ने 13 फरवरी, 2008 को भारतीय अभिलेखागार का दौरा किया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें पूरे विभाग का दौरा कराया गया।

3. श्री बतमुंख गनबलोड, पार्षद, मंगोलिया राजदूतावास, नई दिल्ली ने 27 फरवरी, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्हें पूरे विभाग का दौरा कराया गया।

4. सुश्री प्रिया कपूर, फ्री लांस रेस्टोरर तथा उनके मित्र सुश्री एमेलिक कोवार्ट देसवेरजेनेस, फ्रांस के पेपर रेस्टोरर ने 13 मार्च, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

6. Sh. Rajesh Verma, Assistant Director of Archives was deputed to attend the following meetings:
   (a) A meeting to consider proposals for Cultural Exchange Programme with Seven Countries held on 31st January, 2008 at the Conference Room of Central Secretariat Library, New Delhi under the Chairmanship of Director (Culture).
   (b) The 11th Meeting of the Documentation and Information Sectorial Committee, MSD 5 held on 27th February, 2008 at Bureau of Indian Standard, New Delhi.
7. Dr. C.L. Prajapati, Assistant Director of Archives was deputed to attend the following meetings/workshops:
   (a) A national workshop on *"Preservation of Our Scientific Heritage"* held on 21st-22nd January, 2008 at Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. He delivered a talk on *"Preservation and Curative Conservation of Documentary Heritage"* at the above workshop.
   (b) He also delivered a lecture on the topic *"Materials in Conservation of Paintings on Paper, Parameter and Application"* to the Trainees of National Museum held on 24th January, 2008 at New Delhi.
   (c) A workshop on *"Conservation of Paper/Archival Material/Painting"* held on 12th-13th February, 2008 at Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
   (d) A two day Expert Meet on *"Progress in Art Conservation"* held on 28th-29th February, 2008 at INTACH, New Delhi.

Visitors:

22.7 The National Archives of India saw a stream of distinguished visitors during 2008. These included:

1. Sh. Abhijit Sengupta, Secretary (Culture) visited National Archives of India on 16th January, 2008 and held a meeting with Director General of Archives and Senior Officers of the Department. He was shown round the Department.
2. Mr. Vladimir P. Tarasov, Deputy Director, Federal Archival Agency of Russia visited National Archives of India on 13th February, 2008 and held meeting with Sr. Officers of the Department. He was shown round the Department.
3. Mr. Batmunkh Ganblod, Counsellor, Embassy of Mogolia, New Delhi visited National Archives of India on 27th February, 2008 and held meeting with Sr. Officers of the Department. He was shown round the Department.
4. Ms. Priya Kapoor, Free Lance Restorer along with her friend Ms. Amelic Covart Desvergenes, Paper Restorer from France visited National Archives of India on 13th March, 2008. They were shown round the Department.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5. श्री राजीव शर्मा, आईएएस, निदेशक हरियाणा राज्य अभिलेखागार तथा हरियाणा सरकार के विशेष सचिव ने 8 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें पूरा विभाग दिखाया गया।

6. श्री अब्दुल्ला खालफ अल–बीशी, दस्तावेज विभागाध्यक्ष, कुवैत तथा उनके सहयोगी श्री नाहर–अल–खालदी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गणमान्य अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत 22 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें पूरा विभाग दिखाया गया।

7. श्रीमती समिता गेट, आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय, मध्य प्रदेश ने डॉ0 गीता सब्बरवाल, उप निदेशक, अभिलेखागार, मध्य प्रदेश के साथ 17 जून, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने डीडीए (एमजी) तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं तथा उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

8. श्री धनेश्वर मुले, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय ने 17 जून, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने डीजीए, डीडीए तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की तथा उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

9. न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के 689 छात्रों तथा उनके शिक्षकों के एक समूह ने 1, 2, 5 और 8 जुलाई, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें संग्रहालय दिखाया गया तथा विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

10. रक्षा मंत्रालय के मेजर शिवेन्द्र कुमार ने 9 जुलाई, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

11. श्रीमती कांति सिंह, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री ने 16 जुलाई, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने महानिदेशक, अभिलेखागार तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की, जिन्होंने उनको विभाग की विभिन्न गतिविधियों और वर्तमान कार्यक्रमों जैसे डिजीटलीकरण, माइक्रोफिल्म बनाना, प्रकाशन, अभिलेखों का संरक्षण तथा विभाग की भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। माननीय मंत्री को विभिन्न प्रभागों का दौरा भी कराया गया और उन्होंने देश की बहुमूल्य विरासत का परिरक्षण करने में विभाग के प्रयासों की सराहना की।

12. श्री आर.आर. फुलिया, आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार ने 7 अगस्त, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

13. कर्नल एस. धनराज, निदेशक ऑटोमेशन, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय के साथ श्री फेसटस मोर्गन जेडी पीएसए ने 28 अगस्त, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

14. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली से सहायक प्रत्यक्ष भर्ती फाउंडेशन के 112 प्रशिक्षार्थियों के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 1, 2 और 3 सितम्बर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। डॉ0 मीना गौतम, उप निदेशक, अभिलेखागार ने 1 सितम्बर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार में "लोक अभिलेख अधिनियम तथा नियम और अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों" विषय पर व्याख्यान दिए। श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने "लोक अभिलेख अधिनियम और नियमावली तथा अभिलेख प्रबंधन पद्धति" विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 2 और 3 सितम्बर, 2008 को व्याख्यान दिया। डॉ0 प्रमोद मेहरा, सहायक निदेशक , अभिलेखागार ने 1, 2 और 3 सितम्बर, 2008 को "अभिलेखों की पुनः प्राप्ति – सहायक उपकरणों

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

5. Sh. Rajeev Sharma, IAS, Director, Haryana State Archives and Special Secretary to the Government of Haryana visited National Archives of India on 8th April, 2008. They were shown round the Department.
6. Sh. Abdullah Khalaf Al-Beeshi, Head of Documentation Department, Kuwait alongwith his colleague Sh. Nahar al-Khaldi visited National Archives of India on 22nd April, 2008 under the distinguished guests programme of Archaeological Survey of India. They were shown round the Department.
7. Mrs. Smita Gate, Commissioner, Archaeology, Archives and Museum, Madhya Pradesh along with Dr. Gita Sabherwal, Deputy Director of Archives, M.P. visited National Archives of India on 17th June, 2008. They held meeting with DDA (MG) and other Senior Officers of the Department and shown round the Department.
8. Sh. Dnaneshwar Mulay, Joint Secretary, Cabinet Secretariat visited National Archives of India on 17th June, 2008. He held meeting with DGA, DDAs and other Senior Officers of the Department and shown round the Department.
9. A group of 689 Students of New Era Public School along with their teachers visited National Archives of India on 1st, 2nd, 5th and 8th July, 2008. They were shown round the Museum and apprised with the activities of the Department.
10. Major Shivendar Kumar of Ministry of Defence visited National Archives of India on 9th July, 2008. He was shown round the Department.
11. Mrs. Kanti Singh, Hon'ble Minister of State for Culture paid a visit to the National Archives of India on 16th July, 2008. She held meeting with the Director General of Archives and other Sr. Officers of the Department who apprised her with the various activities and ongoing programme of the Department like Digitization, Microfilming, Publications, Preservation of Records and the future plans of the Department. The Hon'ble Minister was also escorted round the various Divisions and appreciated the efforts of the Department in preserving the valuable heritage of the Country.
12. Sh. R.R. Fuliya, Commissioner and Secretary, Government of Haryana visited National Archives of India on 7th August, 2008. He was shown round the Department.
13. Col. S. Dhanraj, Director Automation Integrated HQ of MOD (Army) along with Mr. Festus Morgan JD PSA visited National Archives of India on 28th August, 2008. They were shown round the Department.
14. A group of 112 Trainees of the Assistants Direct Recruit Foundation from the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi visited National Archives of India on 1st, 2nd and 3rd September, 2008 as part of their course. Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives delivered lectures on "Public Record Act and Rules and Record Management Practices in the National Archives of India" on 1st September, 2008. Sh. Sanjay Garg, Assistant Director of Archives delivered lectured on "Public Record Act and Rules and Records Management Practices in the National Archives of India" on 2nd and 3rd September, 2008. Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives delivered lectures on "Retrieval of Records-Finding Aids" on 1st, 2nd and 3rd September, 2008. Dr. Yashodhra Joshi, Scientific Officer delivered lectures on "Preservation of Records" on 1st, 2nd and 3rd September, 2008 and Sh. N.S. Mani, Microphotographist delivered lectures on "Digitization of Records" on 1st, 2nd and 3rd September, 2008 respectively. The Trainees were also shown round the Department.

का पता लगाना'' विषय पर व्याख्यान दिया। डॉ0 यशोदरा जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी ने 1, 2 और 3 सितम्बर, 2008 को ''अभिलेखों के संरक्षण'' पर व्याख्यान दिया तथा श्री एन.एस. मणि; माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने 1, 2 और 3 सितम्बर, 2008 को ''अभिलेखो का डिजीटलीकरण'' विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षणार्थियों को भी विभाग का दौरा कराया गया।

15. श्रीमती रूबिका चावला, फ्री लांसर ने 20 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने महानिदेशक, अभिलेखगार तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

16. श्री जवाहर सरकार, सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने 26 नवम्बर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने डीजीए तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। उन्हें भारत–ईरान वास्तुकला पर एक पुस्तक भेंट की गई।

17. सुश्री पेन्नी ब्रूक, भारतीय अभिलेख कार्यालयाध्यक्ष तथा सुश्री एंटोनिया मून, वरिष्ठ अभिलेखागार अध्यक्ष, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन ने 14 नवम्बर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने डीजीए तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तथा समान हित वाले मामलों पर चर्चा की।

18. श्री ग्राहम शा, अध्यक्ष, एशिया और प्रशांत संग्रह की अध्यक्षता में ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन से एक प्रतिनिधिमण्डल ने 18 नवम्बर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया, जिसमें ऑलिवर ईरविन, केंद्रीय संपत्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रबंधक, सुश्री पेन्नी ब्रूक, अध्यक्ष, भारतीय अभिलेख कार्यालय तथा सुश्री एनटोनिया मून, वरिष्ठ अभिलेखागार अध्यक्ष, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन तथा जौना न्यूमैन, अध्यक्ष, रणनीतिक भागीदार शामिल थे। उन्होंने विभाग के डीजीए तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समान हित वाले मुद्दों पर बातचीत की।

19. डॉ0 ईजीदीन बिन जेघिबा, अध्यक्ष, अध्ययन और प्रकाशन, जामिया अल मजीद सांस्कृतिक और विरासत केंद्र, दुबई ने 20 नवंबर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग का दौरा कराया गया।

20. सुश्री प्रवीण तल्हा, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली तथा उनके दो सहयोगियों ने 21 नवंबर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने विभाग के डीजीए तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें संग्रहालय का दौरा कराया।

21. श्री तोमाज़ मेर्टा, अवर सचिव, मंत्रालय, पौलेण्ड सरकार ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 2 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने विभाग के डीजीए तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तथा सामान हित वाले मुद्दों पर चर्चा की।

जन संपर्क:

22.8 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गई :

1. महानिदेशक, अभिलेखागार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अभिलेखागार में 3 मार्च, 2008 तथा 29 जुलाई, 2008 को अभिलेखागार मित्र समूह की दो बैठकें आयोजित की गई। सभी भागीदारों को बैठकों का कार्यवृत्त भेजा गया था।

2. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, मलेशिया के अनुरोध पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलाया से संबंधित 13वें फंटियर कोर्स राइफल्स पर प्रकाशन की एक प्रति मलेशिया, कुआलालमपुर के राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजी गई थी।

15. Mrs. Rubika Chaula, Free Lancer visited National Archives of India on 20th October, 2008. She held meeting with Director General of Archives and other Sr. Officers of the Department.

16. Sh. Jawahar Sarcar, Secretary, Ministry of Culture visited National Archives of India on 26th November, 2008. He held meeting with DGA and other Sr. Officers of the Department. A book on Indo-Iran Architecture was presented to him.

17. Ms. Penny Brook, Head of the Indian Office Records and Ms. Antonia Moon, Sr. Archivist, British Library in London visited National Archives of India on 14th November, 2008. They held meeting with DGA and other Sr. Officers of the Department and discussed matters of common interest.

18. A delegation from British Library London headed by Mr. Graham Shaw, Head of Asia and Pacific Collections along with Oliver Urghuart Irvine, Central Property and International Relations Manager, Ms. Penny Brook, head of the Indian Office Records and Ms. Antonia Moon, Sr. Archivist, British Library in London and Joauna Newman, Head of Strategic Partnerships visited National Archives of India on 18th November, 2008. They held meeting with DGA and other Sr. Officers of the Department on the matters of common interest.

19. Dr. Izzidin Bin Zeghiba, Head of the Studies and Publication, Jamia al majid Centre for Cultural and Heritage, Dubai visited National Archives of India on 20th November, 2008. He was shown round the Department.

20. Ms. Parveen Talha, Member of the Union Public Service Commission, New Delhi along with two of her colleagues visited National Archives of India on 21st November, 2008. They held meeting with DGA and other Sr. Officers of the Department and were shown round the Museum.

21. Mr. Tomasz Merta, Under Secretary of State in the Ministry of Govt. of Poland along with other Senior Officers visited National Archives of India on 2nd December, 2008. He held meeting with DGA and other Sr. Officers of the Department and discussed matters of common interest.

Public Relation:

22.8 During the period under report following two meetings were held:

1. Two meetings of the Friends at Archives Group were held on 3rd March, 2008 and 29th July, 2008 at National Archives of India under the Chairmanship of Director General of Archives. Minutes of the meetings were forwarded to all the participants.

2. On the request of the Director General, National Archives of Malaysia, a copy of publication on 13th Frontier Force Rifles during the 2nd World War related to Malaya was forwarded to National Archives of Malaysia, Kuala Lumpur.

दस्तावेजों की शूटिंग/फिल्मांकनः

22.9 इंडिया टुडे के श्री बनदीप सिंह और सुश्री चित्रा सुब्रामण्यम को 23 जुलाई, 2008 को राष्ट्रीय अभिलेखागार के कुछ कार्यकलापों की फिल्म बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं जिसका विशेषांक 15 अगस्त, 2008 को जारी करने का प्रस्ताव था।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमः

22.10 वर्ष 2008 के दौरान संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया और रिपोर्टें संस्कृति मंत्रालय को भेजी गई थीं:

1. भारत–अर्मेनिया सीईपी (2008–2010), भारत–श्रीलंका (2008–2011) और भारत–अफगानिस्तान (2008–2011) को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के संबंध में टिप्पणियां संस्कृति मंत्रालय को भेजी गई थीं।

2. राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित चार प्रकाशनों (1) लोक अभिलेख अधिनियम और नियमावली, (2) भारत में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रबंधन पर कंट्री रिपोर्ट (3) अभिलेखों की मरम्मत एवं संरक्षण तथा समाचार पत्रिका अभिलेख खण्ड–2 को फेडरल आर्काइवल एजेंसी, रूस को भारत–रूस सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, 2007–09 के अंतर्गत भारतीय राजदूतावास, मास्को को भेजा गया था।

3. भारत में मेक्सिकन राजदूतावास के अनुरोध पर मेक्सिकन क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार की भागीदारी के संबंध में मेक्सिको राजदूतावास को राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध भारत–मेक्सिको संबंध पर अभिलेखों की एक सूची भेजी गई थी।

अतिरिक्त सूचनाः

22.11 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, पुड्डुचेरी की कुछ अतिरिक्त सूचना नीचे दी जाती हैः

1. रिपोर्ट की अवधि के दौरान अभिलेखों पर 175 खोज मामले तथा अध्येताओं और अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा 1470 दौरे किए गए थे। इसके अलावा, 31637/–रुपए का राजस्व सृजित हुआ, जिसे सरकारी खाते में जमा कराया गया था।

2. मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन में हैदराबाद क्षेत्र में स्थित, 14 कार्यालयों/संस्थानों में इस अभिलेख केंद्र के एडीए द्वारा 10–14 नवंबर, 2008 के दौरान संबंधित कार्यालयों का निरीक्षण करने और जारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए दौरा किया गया।

22.12 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप शुरू किए गए थेः

1. अनुसंधान कक्षः

(क) वर्ष के दौरान कुल 19 विदेशी और भारतीय अध्येताओं ने नामांकन कराया और अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाया।

(ख) शोध अध्येताओं द्वारा मांगे गए अनेक अभिलेख तथा 119 फाइलें उपलब्ध कराई गई थीं।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Shooting/Filming of Documents:

22.9 Facilities were provided to Sh. Bandeep Singh and Ms. Chitra Subramanyam from India Today in shooting some activities of National Archives of India on 23rd July, 2008 for a special issue proposed to be released on 15th August, 2008.

Cultural Exchange Programme:

22.10 During the year 2008 the following Cultural Exchange Programmes were finalized by the National Archives of India as per directive of the Ministry of Culture and the reports were submitted to the Ministry of Culture:

1. Comments in respect of National Archives of India for inclusion in the Indo-Armenia CEP (2008-2010), Indo-Sri Lanka (2008-2011) and Indo-Afghanistan (2008-2011) were forwarded to the Ministry of Culture.

2. Four publications on (1) Public Records Act and Rules, (2) Country Report on Electronic Records Management in India, (3) Repair and Preservation of Records and (4) Newsletter Abhilekh, Vol.2 brought out by National Archives of India were forwarded to Federal Archival Agency, Russia through Embassy of India, Moscow under Indo-Russia Cultural Exchange Programmme, 2007-09.

3. On the request of the Mexican Ambassador in India, a list of records on Indo-Mexico relation available in National Archives of India was forwarded to the Embassy of Mexico in connection with the participation of National Archives of India in the commemoration of the 100 years of the Mexican Revolution.

Additional Information:

22.11 Some additional information of National Archives of India, Record Centre, Puducherry are given below:

1. 175 Search Cases on Records and as many as 1,470 visits made by the scholars and other users were attended to during the period under report. Besides the revenue generated amounting to Rs. 31,637/- was remitted to the Government account.

2. In Pursuance of orders of the Head Quarters, 14 Offices/Institutions located at Hyderabad region have been visited by ADA of this Record Centre to inspect and get the utilization certificate issued from the concerned offices in question during 10-14 November 2008.

22.12 The following important activities were undertaken in National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar during the period under report:

1. Research Room:

   (a) Total number of 19 foreign as well as Indian scholars enrolled during the year and availed research facilities.

   (b) Number of records requisitioned by research scholars and 119 files were supplied to the scholars.

(ग) भारत और विदेशों से जिन जाने–माने अध्येताओं/इतिहासकारों द्वारा अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाया गया, उनके नाम हैं:

(i) प्रो0 जी.एन. दास, पूर्व अध्यक्ष, उड़ीसा अनुसंधान परियोजना, हेदेलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी।

(ii) प्रो0 अशोक कुमार पटनाइक, प्रोफेसर ओर इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।

(iii) प्रो0 भास्कर चक्रवर्ती, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

(iv) डॉ0 मधुपर्णा रॉयचौधरी, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

(v) डॉ0 एन.के. चतुर्वेदी, इतिहास विभाग, जे.एन.वी. जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान।

(vi) प्रो0 हर्मन कुल्के, एशियाई इतिहास अध्यक्ष, केल विश्वविद्यालय, जर्मनी।

2. पुस्तकालयः

(क) 56 पुस्तकें प्राप्त की गईं।

(ख) *मयूरगंज राज्य राजपत्र,* 1939–48, एक दुर्लभ प्रकाशन, जिसे डॉ0 फनिन्द्र भाउसन नंदा द्वारा दान में दिया गया था।

(ग) समिति द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार में पुस्तक अर्जन समिति की सिफारिश पर 5,517/–रुपए की लागत से 10 पुस्तकें खरीदी गई थीं। शेष पुस्तकों के शीर्षक निम्न प्रकार हैं:–

(i) इंडिया विन्स फ्रीडम

(ii) इंस्क्रिपशन्स ऑफ उडीसा

(iii) कालिंगा अंडर द ईस्टर्न गेंजेस

(iv) द वीविंग आर्ट ऑफ उड़ीसा

(v) थिसारस ऑफ इवेन्ट्स एंड डेट्स ऑफ उड़ीसा

(c) Renowned scholars/historians from India and aboard who availed of research facilities are:

(i) Prof. G.N. Dash, former Chairman, Orissa Research Project, Heidelberg University, Germany.

(ii) Prof. Ashok Kumar Pattnaik, Professor & Head of the P.G. Department of History, Utkal University, Bhubaneswar.

(iii) Prof. Bhaskar Chakrabarty, Department of History, Calcutta University, Calcutta.

(iv) Dr. Madhuparna Roychowdhury, Department of Ancient Indian History and Culture, Kolkata University, Kolkata.

(v) Dr. N.K. Chaturvedi, Department of History, J.N.V. Jodhpur University, Rajasthan.

(vi) Prof. Hermann Kulke, Chair of Asian History, Keil University, Germany.

2. Library:

(a) 56 books were accessioned.

(b) *Mayurbhanj State Gazette,* 1939-48, a rare publication was donated by Dr. Fanindra Bhausan Nanda.

(c) 10 books were purchased at a cost of Rs. 5,517/- on the recommendation of Book Acquisition Committee in National Archives of India by the Committee. Following are the titles of outstanding books:

(i) India Wins Freedom

(ii) Inscriptions of Orissa

(iii) Kalinga under the Eastern Ganges

(iv) The Weaving Art of Orissa

(v) Thesaurus of Events & Dates of Orissa

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक–1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. **मंत्रालय/विभाग/कार्यालय**

कृषि मंत्रालय

1. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय

3. रक्षा मंत्रालय, डी (ओएण्डएम), नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

4. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई

गृह मंत्रालय

5. महानिदेशक का कार्यालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली

श्रम और रोजगार मंत्रालय

6. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली
7. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), कोचीन

खान मंत्रालय

8. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

9. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

10. मुख्य अभियंता और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर
11. पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली

जल संसाधन मंत्रालय

12. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
13. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-I

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993

A. **Ministries/ Departments/ Offices**

Ministry of Agriculture

1. Central Agmark Laboratory, Nagpur.

Ministry of Communication and Information Technology

2. Department of Information Technology, New Delhi.

Ministry of Defence

3. Ministry of Defence, D (O & M), New Delhi.

Ministry of Health and Family Welfare

4. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai.

Ministry of Home Affairs

5. Office of the Directorate General, CRPF, New Delhi.

Ministry of Labour and Employment

6. Directorate General of Employment and Training, New Delhi.
7. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin.

Ministry of Mines

8. Indian Bureau of Mines, Nagpur.

Ministry of Science and Technology

9. Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

10. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.
11. Department of Shipping, New Delhi.

Ministry of Water Resources

12. Ministry of Water Resources, New Delhi.
13. Central Soil and Materials Research Station, Ministry of Water Resources, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ख. अन्य संगठन

14. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

योजना मंत्रालय

15. योजना आयोग (अभिलेख अनुभाग), नई दिल्ली
16. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल
17. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी
18. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पटना
19. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
20. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर
21. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बैंगलोर
22. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद
23. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई
24. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़
25. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई
26. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
27. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता
28. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ

ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / समितियां / कॉर्पोरेशन / सांविधिक निकाय, आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

29. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

30. उन्नत संगणन विकास केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पुणे

रक्षा मंत्रालय

31. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–डी–गामा, गोवा
32. जार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
33. मजगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई
34. भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

35. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

B. Other organization(s)

14. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.

Ministry of Planning

15. Planning Commission (Record Section), New Delhi.
16. Project Evaluation Office, Bhopal.
17. Project Evaluation Office, Guwahati.
18. Project Evaluation Office, Patna.
19. Project Evaluation Office, Thiruvanthapuram.
20. Project Evaluation Office, Bhubaneswar.
21. Project Evaluation Office, Bangalore.
22. Regional Evaluation Office, Hyderabad.
23. Regional Evaluation Office, Chennai.
24. Regional Evaluation Office, N.R., Chandigarh.
25. Regional Evaluation Office, Mumbai.
26. Regional Evaluation Office, Jaipur.
27. Regional Evaluation Office, Kolkata.
28. Regional Evaluation Office, Lucknow.

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

29. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata.

Ministry of Communication & Information Technology

30. Center for Development of Advanced Computing, Department of Information Technology, Pune.

Ministry of Defence

31. Goa Shipyard Limited, Vasco-de-Gama, Goa.
32. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Kolkata.
33. Mazagon Dock Limited, Mumbai.
34. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

35. Chennai Petroleum Corporation Ltd., Chennai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विद्युत मंत्रालय

36. राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

37. विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम

जल संसाधन मंत्रालय

38. वॉटर एण्ड पॉवर कंसलटेंसी सर्विसेज (डब्ल्यूएपीसीओएस) लिमिटेड, गुड़गांव
39. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली
40. बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
41. फरक्का बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल
42. ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
43. वैपकोस लिमिटेड मिनी–रत्न, नई दिल्ली
44. सरकार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बडोदरा
45. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
46. सरदार सरोवर निर्माण समिति, बडोदरा
47. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, फरीदाबाद
48. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Power

36. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana).

Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

37. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

Ministry of Water Resources

38. Water & Power Consultancy Services (WAPCOS) Ltd., Gurgaon.

39. Upper Yamuna River Board, New Delhi.

40. Betwa River Board, Jhansi.

41. Farakka Barrage Project, West Bengal.

42. Brahmaputra Board, Guwahati.

43. WAPCOs Limited Mini-Ratna, New Delhi.

44. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

45. National Water Development Agency, New Delhi.

46. Sardar Sarovar Construction Committee, Vadodara.

47. Central Ground Water Board, Bhujal Bhawan, Faridabad.

48. Central Ground Water Board, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक–2

अर्ध–प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा विनष्टीकरण के संबंध में की गई प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

क्रम सं0	संगठन का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
कृषि मंत्रालय		
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत	1
नगर विमानन और पर्यटन		
2.	प्रधान लेखा कार्यालय (नगर विमानन मंत्रालय), नई दिल्ली	1
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
3.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली	2
4.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
5.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली	1
6.	मुख्य पोस्टमॉस्टर जनरल का कार्यालय (हिमाचल प्रदेश मण्डल) शिमला	1
रक्षा मंत्रालय		
7.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	1
8.	टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, चण्डीगढ़	1
9.	सशस्त्र सेना मुख्यालय / आईएस संगठन, रक्षा मंत्रालय, डी (ओएण्डएम)	1
वित्त मंत्रालय		
10.	सहायक लवण आयुक्त कार्यालय तूतीकोरिन	1
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
11.	अपर निदेशक का कार्यालय, सी.जी.एच.एस., मुम्बई	1
12.	संयुक्त निदेशक का कार्यालय, सी.जी.एच.एस., जबलपुर	1
गृह मंत्रालय		
13.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	2
14.	महानिदेशक का कार्यालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली	1
15.	उत्तरी क्षेत्र परिषद सचिवालय, नई दिल्ली	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-II

LIST OF ORGANIZATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF YEARLY RETURNS ON RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

A. Ministries/ Departments/ Offices

Sr. No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Agriculture	
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt., Surat.	1
	Ministry of Civil Aviation & Tourism	
2.	Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), New Delhi.	1
	Ministry of Commerce and Industry	
3.	Department of Commerce, New Delhi.	2
4.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
	Ministry of Communication & Information Technology	
5.	Ministry of Communication & Information Technology, New Delhi.	1
6.	Office of the Chief Postmaster General (Himachal Pradesh Circle), Shimla.	1
	Ministry of Defence	
7.	Ministry of Defence, New Delhi.	1
8.	Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.	1
9.	Armed Forces HQs/IS Organisations, Ministry of Defence, D (O & M).	1
	Ministry of Finance	
10.	Office of the Assistant Salt Commissioner, Tuticorin.	1
	Ministry of Health and Family Welfare	
11.	Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai.	1
12.	Office of the Joint Director, C.G.H.S., Jabalpur.	1
	Ministry of Home Affairs	
13.	Ministry of Home Affairs, New Delhi.	2
14.	Office of the Directorate General, CRPF, New Delhi.	1
15.	Northern Zonal Council Secretariat, New Delhi.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

श्रम और रोजगार मंत्रालय

16.	अ.जा / अ.ज.जा. कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार	1
17.	महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दाकोपग्रे–तूरा, मेघालय	1

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

18.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग नई दिल्ली	2
19.	पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली	2
20.	पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	2

जल संसाधन मंत्रालय

21.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	1

ख. अन्य संगठन

22.	योजना आयोग, नई दिल्ली	1
23.	प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली	2

ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / समितियां / कॉर्पोरेशन / सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

24.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड, कोलकाता	1

नगर विमानन मंत्रालय

25.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली	1

रक्षा मंत्रालय

26.	भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	1

खान और खनिज मंत्रालय

27.	खनिज अन्वेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर	1

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

28.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरशेन लिमिटेड, चेन्नई	1

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

29.	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई	2

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

30.	जवाहरलाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक केन्द्र अनुसंधान, बंगलौर	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Labour and Employment

16.	Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Hissar.	1
17.	Regional Vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya.	1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

18.	Department of Road, Transport and Highways, New Delhi.	2
19.	Department of Shipping, New Delhi.	2
20.	Ministry of Shipping, New Delhi.	2

Ministry of Water Resources

21.	Ministry of Water Resources, New Delhi.	1

B. Other Organization(s)

22.	Planning Commission, New Delhi.	1
23.	Prime Minister's Office, New Delhi.	2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporation/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

24.	Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata.	1

Ministry of Civil Aviation

25.	Indira Gandhi Rastriya Uran Akademi, Rae Bareli.	1

Ministry of Defence

26.	Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.	1

Ministry of Mines and Minerals

27.	Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.	1

Ministry of Petroleum and Natural Gas

28.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.	1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

29.	Mumbai Port Trust, Mumbai.	2

Ministry of Science & Technology

30.	Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक–3

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां भेजने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्राप्त छमाही विवरणियों की संख्या
	कृषि मंत्रालय	
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत	1
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
2.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली	2
3.	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर	1
4.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
5.	डाक विभाग, कोलकाता	2
6.	डाकघर अधीक्षक का कार्यालय दारंग प्रभाग, तेजपुर	2
7.	पोस्टमॉस्टर जनरल का कार्यालय, डिब्रूगढ़ क्षेत्र, डिब्रूगढ़	2
8.	पोस्ट ऑफिस पर्यवेक्षक का कार्यालय, नागांव प्रभाग, नागांव, असम	2
9.	महा डाकपाल का कार्यालय, कर्नाटक क्षेत्र, बैंगलोर	1
10.	वरिष्ठ अधीक्षक पोस्ट ऑफिस का कार्यालय, कचर प्रभाग, सिलचर	2
11.	पोस्ट आफिस अधीक्षक, गोलपाड़ा प्रभाग धूबरी	2
	रक्षा मंत्रालय	
12.	क्षेत्रीय मिलिट्री एयरवर्दीनेस, सेमिलैक हाल कोरबा, जिला सुलतानपुर (उ.प्र.)	1
13.	रक्षा प्रदर्शनी संगठन, नई दिल्ली	1
14.	रक्षा मंत्रालय, डी (ओ एण्ड एम)	1
15.	रक्षा मत्रालय, सशस्त्र सेना मुख्यालय / आईएस संगठन, नई दिल्ली	1
	पर्यावरण और वन मंत्रालय	
16.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-III

LIST OF ORGANIZATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF YEARLY RETURNS ON DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

A. Ministries/ Departments/ Offices

Sr. No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Agriculture	
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt. Surat.	1
	Ministry of Commerce and Industry	
2.	Department of Commerce, New Delhi.	2
3.	Petroleum and Explosives Safety Organization, Nagpur.	1
4.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
	Ministry of Communication & Information Technology	
5.	Department of Posts, Kolkata.	2
6.	Office of the Superintendent of post offices, Darrang Division, Tezpur.	2
7.	Office of the Postmaster General, Dibrugarh Region, Dibrugarh.	2
8.	Office of the Superintendent of Post Offices, Nagaon Division, Nagaon, Assam.	2
9.	Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore.	1
10.	Office of the Sr. Superintendent of Post Offices, Cachar Division, Silchar.	2
11.	Supdt. of Post Offices, Goalpara Division, Dhubri.	2
	Ministry of Defence	
12.	Regional Centre for Military Airworthiness, Cemilac Hal Korwa, Distt. Sultanpur (U.P.).	1
13.	Defence Exhibition Organisation, New Delhi.	1
14.	Ministry of Defence, D (O & M).	1
15.	Ministry of Defence, Armed Forces HQs./ IS Organisations, New Delhi.	1
	Ministry of Environment and Forests	
16.	Eastern Regional Office, Chandrasekharpur, Bhubaneswar.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	वित्त मंत्रालय	
17.	भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड़, महाराष्ट्र	1
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
18.	अपर निदेशक का कार्यालय, सीजीएचएस, मुम्बई	1
19.	अपर निदेशक का कार्यालय, सीजीएचएस, जबलपुर	1
	गृह मंत्रालय	
20.	गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	2
21.	गृह मंत्रालय (सामान्य अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली	2
22.	गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार, नई दिल्ली	2
23.	महानिदेशालय का कार्यालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली	1
24.	समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार, नई दिल्ली	2
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	
25.	अ.जा./अ.ज.जा. कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार	1
26.	महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दाकोपग्रे–तूरा, मेघालय	1
	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
27.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली	1
28.	पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली	2
29.	पोत परिवहन मंत्रालय (स्थापना अनुभाग), नई दिल्ली	1
30.	पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
31.	मुख्य अभियंता ओर प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	2
	जल संसाधन मंत्रालय	
32.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	1
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
33.	नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद	1
ख.	**अन्य संगठन**	
34.	प्रधान मंत्री कार्यालय (दस्तावेज अनुभाग), नई दिल्ली	2
35.	योजना आयोग, नई दिल्ली	1
ग.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/समिति/कॉर्पोरेशन/सांविधिक निकाय आदि**	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
36.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फॉर्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड, कोलकाता	1
	खान और खनिज मंत्रालय	
37.	खनिज विस्फोट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर	1
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
38.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई	1

Ministry of Finance

17.	India Security Press, Nasik road, Maharashtra.	1

Ministry of Health and Family Welfare

18.	Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai.	1
19.	Office of the Additional Director, C.G.H.S., Jabalpur.	1

Ministry of Home Affairs

20.	Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.	2
21.	Ministry of Home Affairs (Ordinary Record Room), New Delhi.	2
22.	Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination, Police Wireless, New Delhi.	2
23.	Office of the Directorate General, C.R.P.F., New Delhi.	1
24.	Directorate of Coordination, Police Wireless, New Delhi.	2

Ministry of Labour and Employment

25.	Coaching cum Guidance Centre for SC/ ST, Hissar.	1
26.	Regional vocational Training Institute for Women, Dakopgre - Tura, Meghalaya.	1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

27.	Department of Road Transport and Highways, New Delhi.	1
28.	Department of Shipping, New Delhi.	2
29.	Ministry of Shipping (Establishment Section), New Delhi.	1
30.	Ministry of Shipping, New Delhi.	2
31.	Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair.	2

Ministry of Water Resources

32.	Ministry of Water Resources, New Delhi.	1

Department of Atomic Energy

33.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.	1

B. Other Organization(s)

34.	Prime Minister's Office (Documentation Section), New Delhi.	2
35.	Planning Commission, New Delhi.	1

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

36.	Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata.	1

Ministry of Mines and Minerals

37.	Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.	1

Ministry of Petroleum and Natural Gas

38.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	वित्त मंत्रालय	
17.	भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड़, महाराष्ट्र	1
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
18.	अपर निदेशक का कार्यालय, सीजीएचएस, मुम्बई	1
19.	अपर निदेशक का कार्यालय, सीजीएचएस, जबलपुर	1
	गृह मंत्रालय	
20.	गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	2
21.	गृह मंत्रालय (सामान्य अभिलेख कक्ष), नई दिल्ली	2
22.	गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार, नई दिल्ली	2
23.	महानिदेशालय का कार्यालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली	1
24.	समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार, नई दिल्ली	2
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	
25.	अ.जा./अ.ज.जा. कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार	1
26.	महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दाकोपग्रे–तूरा, मेघालय	1
	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
27.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली	1
28.	पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली	2
29.	पोत परिवहन मंत्रालय (स्थापना अनुभाग), नई दिल्ली	1
30.	पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
31.	मुख्य अभियंता ओर प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	2
	जल संसाधन मंत्रालय	
32.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	1
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
33.	नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद	1
ख.	**अन्य संगठन**	
34.	प्रधान मंत्री कार्यालय (दस्तावेज अनुभाग), नई दिल्ली	2
35.	योजना आयोग, नई दिल्ली	1
ग.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/समिति/कॉर्पोरेशन/सांविधिक निकाय आदि**	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
36.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फॉर्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड, कोलकाता	1
	खान और खनिज मंत्रालय	
37.	खनिज विस्फोट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर	1
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
38.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Finance		
17.	India Security Press, Nasik road, Maharashtra.	1
Ministry of Health and Family Welfare		
18.	Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai.	1
19.	Office of the Additional Director, C.G.H.S., Jabalpur.	1
Ministry of Home Affairs		
20.	Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.	2
21.	Ministry of Home Affairs (Ordinary Record Room), New Delhi.	2
22.	Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination, Police Wireless, New Delhi.	2
23.	Office of the Directorate General, C.R.P.F., New Delhi.	1
24.	Directorate of Coordination, Police Wireless, New Delhi.	2
Ministry of Labour and Employment		
25.	Coaching cum Guidance Centre for SC/ ST, Hissar.	1
26.	Regional vocational Training Institute for Women, Dakopgre - Tura, Meghalaya.	1
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways		
27.	Department of Road Transport and Highways, New Delhi.	1
28.	Department of Shipping, New Delhi.	2
29.	Ministry of Shipping (Establishment Section), New Delhi.	1
30.	Ministry of Shipping, New Delhi.	2
31.	Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair.	2
Ministry of Water Resources		
32.	Ministry of Water Resources, New Delhi.	1
Department of Atomic Energy		
33.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.	1
B.	**Other Organization(s)**	
34.	Prime Minister's Office (Documentation Section), New Delhi.	2
35.	Planning Commission, New Delhi.	1
C.	**Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.**	
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
36.	Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata.	1
Ministry of Mines and Minerals		
37.	Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.	1
Ministry of Petroleum and Natural Gas		
38.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	विद्युत मंत्रालय	
39.	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा)	1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
40.	जवाहरलाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलौर	1
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
41.	प्रमुख बंदरगाह प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई	2
42.	न्यू मैगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर	
43.	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई	2
जल संसाधन मंत्रालय		
44.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	1
45.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Power

39. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana). 1

Ministry of Science and Technology

40. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. 1

Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

41. Tariff Authority For Major Ports, Mumbai. 2
42. New Mangalore Port Trust, Mangalore.
43. Mumbai Port trust, Mumbai. 2

Ministry of Water Resources

44. National Water Development Agency, New Delhi. 1
45. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara. 1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक–4

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2008 में आयोजित पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्रम सं0	भागीदार डीआरओ	प्रायोजित प्राधिकारी का पता (वर्णाक्रमानुसार)
1.	डॉ0 कुमार अम्बरीश	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, सीजीओ कॉम्पलैक्स, देहरादून
2.	डॉ0 जी.पी. सिन्हा	भारतीय वनस्पति सवेक्षण, कोलकाता
3.	डॉ0 टी. चक्रवर्ती	भारतीय वनस्पति सवेक्षण, कोलकाता
4	आर.पी. शर्मा	भारतीय वनस्पति सवेक्षण, नोएडा
5.	बाबू राम्मासामी	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, चेन्नई
6.	श्री दीनबंधू सेठी	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भुवनेश्वर
7.	श्री राम चरण सगरिया	केन्द्रीय नशीले पदार्थ ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
8.	श्रीमती चंद्रू अलागू	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, करईकुडी, तमिलनाडु
9.	श्रीमती एस. लीलावती	केन्द्रीय कृषि, इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल
10.	श्री वी.के. देराश्री	केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल
11.	श्री के.सी. नरेन्द्र	सेलुलर एण्ड मॉलिक्यूलर बॉयलोजी, हैदराबाद
12.	मो. ईद्रीस अंसारी	मुख्य पोस्टमॉस्टर जनरल, राजस्थान मंडल, जयपुर
13.	श्री तारा चंद	आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, एच.सी.आर.बी. राज्य मण्डल, जयपुर (राजस्थान)
14.	श्री नरसिंह पति	रक्षा आरएण्डडी संगठन, सैन्य उपयोगिता रासयनिक क्षेत्रीय केन्द्र, (इंजन), रक्षा मंत्रालय, भुवनेश्वर
15.	श्री टी.अली	इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पूर्व), संचार और सूचना मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, कोलकाता
16.	श्री बी.के. राय	पूर्व रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता
17.	श्री दिलीप कुमार मुखर्जी	महाप्रबंधक (पी.), पूर्वी रेलवे (कोलकाता)
18.	श्री चंद्रकलाधर	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड, हैदराबाद
19.	श्री आर. वीरन्ना	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड, हैदराबाद
20.	श्री सी.एस. रवि कुमार	भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलोर
21.	जी. कंचना	भारती लेखा–परीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान लेखन–परीक्षा निदेशक, दक्षिणी रेलवे, चेन्नई
22.	श्री सलीम शेख	भारतीय प्रबंधन संस्थान, पिगडम्बेर राउ
23.	श्री अनिल कौशल	भारतीय प्रबंधन संस्थान, पिगडम्बेर राउ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-IV

NAME OF DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED FIVE DAY ORIENTATION COURSES ON RECORDS MANAGEMENT IN 2008

Sr. No.	Participant DROs	Sponsoring Authority Address (in alphabetical order)
1.	Dr. Kumar Ambrish	Botanical Survey of India, CGO Complex, Dehradun.
2.	Dr. G.P. Sinha	Botanical Survey of India, CGO Complex, Kolkata.
3.	Dr. T. Chakraborty	Botanical Survey of India, CGO Complex, Kolkata.
4.	R.P. Sharma	Botanical Survey of India, Noida.
5.	Babu Rammasami	Central Board of Film Certification, Chennai.
6.	Shri Dinabandhu Sethi	Central Bureau of Investigation, Office of the Supdt. of Police, Bhubaneswar.
7.	Shri Ram Charan Sagaria	Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, Gwalior (M.P.).
8.	Smt. Chandru Alagu	Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi, Tamil Nadu.
9.	Smt. S.Leelawati	Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal.
10.	Shri V.K. Derashri	Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal.
11.	Shri. K. C. Narender	Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad.
12.	Mohd. Idrees Ansari	Chief Postmaster General, Rajasthan Circle, Jaipur.
13.	Shri Tara Chand	Commissioner, Central Excise, H.C.R.B. State Circle, Jaipur (Rajasthan).
14.	Shri Narasingh Pati	Defence R&D Organization, Chemical Regional Centre for Military Worthiness (Engines), Ministry of Defence, Bhubaneswar.
15.	Shri T. Ali	Electronics Regional Test Laboratory (East), Ministry of Communications & Information Technology, Department of Information Technology, Kolkata.
16.	Shri B.K. Roy	Formerly Chemicals & Allied Products Export Promotion Council, Kolkata.
17.	Shri Dilip Kumar Mukherjee	General Manager (p), Eastern Railway, Kolkata.
18.	Mr. Chandrakaladhar	Hindustan Fluorocarbons Ltd., Hyderabad.
19.	Mr. R. Veeranna	Hindustan Fluorocarbons Ltd., Hyderabad.
20.	Shri C.S. Ravi Kumar	Indian Academy of Sciences, Bangalore.
21.	G. Kanchana	Indian Audit & Account Department, Office of the Principal Director of Audit, Southern Railway, Chennai.
22.	Shri Salim Shaikh	Indian Insitute of Management, Pigdamber Rau.
23.	Shri Anil Kaushal	Indian Insitute of Management, Pigdamber Rau.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

24.	श्री पीटर मैथ्यू	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
25.	श्री ए.वाई. जोसफ	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
26.	श्री अतानू मुखर्जी	भारतीय बंदरगाह प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
27.	श्री आर.एन. साठे	जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
28.	श्रीमती पूर्णिमा रामचन्द्रन	जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
29.	श्री ए.के. जैना	पर्यावरण और वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
30.	सुश्री प्रज्ञा प्रियदर्शिनी	पर्यावरण और वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
31.	श्री अरूण कुमार मोहंती	नेशनल एलूमिनियम कंपनी लिमिटेड (एसएण्डपी परिषद) (उड़ीसा)
32.	श्रीमती सोनाली साहा भट्टाचार्य	राष्ट्रीय एटलस और विषय मानचित्रण संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता
33.	पुष्पा दुर्गापाल	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
34.	बाबू वर्गीस	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
35.	छज्जू राम	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
36.	शशि गांधी	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
37.	राज कुमार वढ़ेरा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
38.	लेख राम	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
39.	श्री विश्व मित्तर	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
40	श्रीमती सुमन श्रीवास्तव	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
41.	श्री एस. ईबोन्चौबा सिंहजी	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
42.	सुश्री जयंती माला	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
43.	श्री सुमित ईक्का	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
44.	श्री पी.डी. मिश्रा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
45.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
46.	श्री अमरीक सिंह सग्गू	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
47.	श्री एस.सी. बाजवान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
48.	सुश्री रेनु भद्रसेन	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
49.	श्री सतीश कुमार परिहार	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
50.	डॉ0 विनीत सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
51.	सुश्री कमलेश मजूमदार	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
52.	श्री सूर्य कुमार चौहान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
53.	श्री जी.टी.एस. राजू	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
54.	सुश्री चंचला सिन्हा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
55.	सुश्री जे. मिंज	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
56.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

24.	Shri Peter Mathew	Indian Institute of Forest Management, Ministry of Environments & Forests, Bhopal, Madhya Pradesh.
25.	Shri A Y Joseph	Indian Institute of Forest Management, Bhopal.
26.	Shri Atanu Mukhrjee	Indian Institute of Port Management, Kolkata.
27.	Shri R N Sathe	Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai.
28.	Smt. Purnima Ramchandran	Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai.
29.	Shri A.K. Jena	Ministry of Environment & Forests, Eastern Regional Office, Bhubaneswar.
30.	Ms. Prajna Priyadarshini	Ministry of Environment & Forests, Eastern Regional Office, Bhubaneswar.
31.	Shri Arun Kumar Mohanty	National Aluminium Company Ltd., (S&P Complex), Orissa.
32.	Smt Sonali Saha Bhattacharya	National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Department of Science & Technology, Kolkata.
33.	Pushpa Durgapal	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
34.	Babu Verghese	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
35.	Chajju Ram	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
36.	Shashi Gandhi	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
37.	Raj Kumar Wadhera	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
38.	Lakh Ram	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
39.	Shri Bishwa Mitter	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Shimla.
40.	Smt. Suman Srivastava	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
41.	Shri S. Ibochouba Singhj	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
42.	Ms. Jayanti Malla	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
43.	Shri Sumit Ekka	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
44.	Shri P.D. Mishra	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
45.	Shri Suresh Chandra Pande	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
46.	Shri Amrik Singh Saggu	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
47.	Shri S. C. Bajwan	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
48.	Ms. Renu Bhadrasen	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
49.	Shri Satish Kumar Parihar	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
50.	Dr. Vinita Singh	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
51.	Ms. Kamlesh Majumdar	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
52.	Shri Surya Kumar Chauhan	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
53.	Shri G.T.S. Raju	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
54.	Ms. Chhanchala Sinha	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
55.	Ms. J. Minj	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
56.	Shri Surender Kumar Singh	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

24.	श्री पीटर मैथ्यू	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
25.	श्री ए.वाई. जोसफ	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
26.	श्री अतानू मुखर्जी	भारतीय बंदरगाह प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
27.	श्री आर.एन. साठे	जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
28.	श्रीमती पूर्णिमा रामचन्द्रन	जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
29.	श्री ए.के. जैना	पर्यावरण और वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
30.	सुश्री प्रज्ञा प्रियदर्शिनी	पर्यावरण और वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
31.	श्री अरूण कुमार मोहंती	नेशनल एलूमिनियम कंपनी लिमिटेड (एसएण्डपी परिषद) (उड़ीसा)
32.	श्रीमती सोनाली साहा भट्टाचार्य	राष्ट्रीय एटलस और विषय मानचित्रण संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता
33.	पुष्पा दुर्गापाल	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
34.	बाबू वर्गीस	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
35.	छज्जू राम	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
36.	शशि गांधी	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
37.	राज कुमार वढ़ेरा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
38.	लेख राम	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
39.	श्री विश्व मित्तर	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
40	श्रीमती सुमन श्रीवास्तव	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
41.	श्री एस. ईबोन्चौबा सिंहजी	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
42.	सुश्री जयंती माला	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
43.	श्री सुमित ईक्का	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
44.	श्री पी.डी. मिश्रा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
45.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
46.	श्री अमरीक सिंह सग्गू	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
47.	श्री एस.सी. बाजवान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
48.	सुश्री रेनु भद्रसेन	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
49.	श्री सतीश कुमार परिहार	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
50.	डॉ0 विनीत सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
51.	सुश्री कमलेश मजूमदार	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
52.	श्री सूर्य कुमार चौहान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
53.	श्री जी.टी.एस. राजू	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
54.	सुश्री चंचला सिन्हा	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
55.	सुश्री जे. मिंज	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
56.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

24.	Shri Peter Mathew	Indian Institute of Forest Management, Ministry of Environments & Forests, Bhopal, Madhya Pradesh.
25.	Shri A Y Joseph	Indian Institute of Forest Management, Bhopal.
26.	Shri Atanu Mukhrjee	Indian Institute of Port Management, Kolkata.
27.	Shri R N Sathe	Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai.
28.	Smt. Purnima Ramchandran	Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai.
29.	Shri A.K. Jena	Ministry of Environment & Forests, Eastern Regional Office, Bhubaneswar.
30.	Ms. Prajna Priyadarshini	Ministry of Environment & Forests, Eastern Regional Office, Bhubaneswar.
31.	Shri Arun Kumar Mohanty	National Aluminium Company Ltd., (S&P Complex), Orissa.
32.	Smt Sonali Saha Bhattacharya	National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Department of Science & Technology, Kolkata.
33.	Pushpa Durgapal	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
34.	Babu Verghese	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
35.	Chajju Ram	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
36.	Shashi Gandhi	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
37.	Raj Kumar Wadhera	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
38.	Lakh Ram	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
39.	Shri Bishwa Mitter	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Shimla.
40.	Smt. Suman Srivastava	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
41.	Shri S. Ibochouba Singhj	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
42.	Ms. Jayanti Malla	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
43.	Shri Sumit Ekka	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
44.	Shri P.D. Mishra	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
45.	Shri Suresh Chandra Pande	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
46.	Shri Amrik Singh Saggu	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
47.	Shri S. C. Bajwan	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
48.	Ms. Renu Bhadrasen	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
49.	Shri Satish Kumar Parihar	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
50.	Dr. Vinita Singh	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
51.	Ms. Kamlesh Majumdar	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
52.	Shri Surya Kumar Chauhan	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
53.	Shri G.T.S. Raju	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
54.	Ms. Chhanchala Sinha	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
55.	Ms. J. Minj	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
56.	Shri Surender Kumar Singh	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

57.	श्री जी.एन. खान	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
58.	श्री सैय्यद मोह. फारूख अमीन	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल
59.	आर. मोहाना, मूर्ति	नैवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु
60.	श्रीमती प्रेमवती गोविंदाराजू	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (लि0), तमिलनाडु
61.	बी. कामाक्षी	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (लि0), तमिलनाडु
62.	श्री मुक्तिकांत प्रधान	महालेखाकार का कार्यालय (एएण्डई), भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा विभाग, उड़ीसा
63.	श्री संजय भरत	महालेखाकार का कार्यालय (लेखा और दावा), भोपाल
64.	श्री संजय अग्रवाल	मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भोपाल
65.	श्री पी.वी. सुरेश	मुख्य कार्यशाला का कार्यालय, प्रबंधक, कोच पुनर्वास कार्यशाला, भोपाल
66.	श्री शंकर बोस	आयकर आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर
67.	एम.वी. रमन	आयकर आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर
68.	प्रभाकर साहू	आयकर आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर
69.	श्री डी.पी. सुब्बु स्वामी	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कार्यालय, कन्नावरितोला, गुण्टूर
70.	श्री एस.एल. वासुदेव	सीमा शुल्क कार्यालय, पेनाम्बूर, मैंगलोर
71.	श्री एन. गोपालन	सीमा शुल्क कार्यालय, पेनाम्बूर, मैंगलोर
72.	श्री कैलाश चंद मीना	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय, जयपुर (राजस्थान)
73.	वी. प्रेमकुमार	प्रधान महालेखाकार कार्यालय, चेन्नई
74.	एस. नरसिम्हा	प्रधान महालेखाकार कार्यालय, चेन्नई
75.	श्री जी. नारायण	वरिष्ठ अधीक्षक पोस्ट ऑफिस का कार्यालय, भोपाल प्रभाग, भोपाल
76.	श्री मानस चंद्र मिश्रा	कल्याण और उपकर आयुक्त का कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भुवनेश्वर
77.	श्री विधि चंद	पासपोर्ट कार्यालय, झालना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान)
78.	श्री प्रकाश गोपालराव हारने, अनुभाग अधिकारी	सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
79.	श्री सुनील डुपारे	सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
80.	श्री डी.डी. कुशवाहा	सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भोपाल
81.	श्री आर.के. नंदा	सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भुवनेश्वर
82.	श्री के. रामा राव	भारतीय सर्वेक्षण, उड़ीसा भू–स्थानिक आंकड़ा बिन्दु, भुवनेश्वर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

57.	Shri G.N. Khan	National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad.
58.	Shri Syed Mohd. Farrukh Amin	National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal.
59.	R. Mohana Murthy	Neyveli Lignit Corporation Ltd., Tamil Nadu.
60.	Smt. Premavathi Govindaraju	Nuclear Power Corporation of India Ltd., Tamil Nadu.
61.	V. Kamaskshi	Nuclear Power Corporation of India Ltd., Tamil Nadu.
62.	Shri Muktikanta Pradhan	Office of the Accountant General (A&E), Indian Audit & Accounts Department, Orissa.
63.	Shri Sanjay Bharat	Office of the Accountant General (Accounts and Claim), Bhopal.
64.	Shri Sanjay Agrawal	Office of the Chief Commissioner of Income Tax (CCA), Ministry of Financ, Bhopal.
65.	Shri P.V. Suresh	Office of the Chief Workshop Manager, Coach Rehabilitation Workshop, Bhopal.
66.	Shri Shankar Bose	Office of the Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar.
67.	M.V. Raman	Office of the Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar.
68.	Prabhakar Sahu	Office of the Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar.
69.	Shri. D.P. Subbu Swamy	Office of the Customs & Central Excise, Kannavarithota, Guntur.
70.	Shri S.L. Vasudeva	Office of the Customs, Panambur, Mangalore.
71.	Shri. N. Gopalan	Office of the Customs, Panambur, Mangalore.
72.	Shri Kailash Chand Meena	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Jaipur (Rajasthan).
73.	V. Premkumar	Office of the Principal Accountant General, Chennai.
74.	S. Narasimha	Office of the Principal Accountant General, Chennai.
75.	Shri G. Narayan	Office of the Sr. Supdt. Of Post Offices, Bhopal Division, Bhopal
76.	Shri Manas Chandra Mishra,	Office of the Welfare & Cess Commissioner, Ministry of Labour & Employment, Bhubaneswar.
77.	Shri Bidhi Chand	Passport Office, Jhalana Dungri, Jaipur (Rajasthan).
78.	Shri Prakash Gopalrao Harne, Section Officer	Security Paper Mill, Hoshangabad, Madhya Pradesh.
79.	Shri Sunil Dupare	Security Paper Mill, Hoshangabad, Madhya Pradesh.
80.	Shri D.D. Kushwaha	Subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Bhopal.
81.	Shri R. K. Nanda	Subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Bhubaneswar.
82.	Shri K. Rama Rao	Survey of India, Orissa Geo-Spatial Data Centre, Bhubaneswar.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुलग्नक –5

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू आदि द्वारा नामित मुख्य अभिलेख अधिकारियों की सूची

क्रम सं0	मंत्रालय/विभाग का नाम	मुख्य अभिलेख अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष
1.	मंत्रिमण्डल सचिवालय	श्री राजीव कुमार	संयुक्त सचिव	राष्ट्रपति भवन दूरभाषः 23017075
2.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	श्री डी. पांडियन	मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी, सचिव विभाग	राजाजी सलई, चेन्नई–600001 दूरभाष : 25362201
3.	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, योजना और समन्वय विभाग, रक्षा मंत्रालय	डॉ0 ए.एल. मूर्ति	निदेशक डीईएसआईडीओसी	मेटकॉफ हाउस, दिल्ली–110054 दूरभाषः 011–23812252
4	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	श्रीमती नीलकमल दरबारी	संयुक्त सचिव	कमरा नं0 411, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23384706
5.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	श्री सतीश चन्द्र	संयुक्त सचिव (एएण्डएम)	शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23382552
6.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	श्री नवीन प्रकाश	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण दूरभाषः 011–23382529
7.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय	डा0 एस.के. सरकार	संयुक्त सचिव	नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दूरभाषः 23094010
8.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	डॉ0 विभू रश्मि	वैज्ञानिक 'जी'/ विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110016 दूरभाषः 26529627/ 26590404 फैक्स नं0 26960629

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-V

LIST OF CHIEF RECORDS OFFICERS NOMINATED BY VARIOUS MINISTRIES/ DEPARTMENTS/ PSUs ETC.

Sr. No.	Name of Ministry/ Department	Name of Chief Records Officer	Designation	Address / Telephone
1.	Cabinet Secretariat	Shri Rajive Kumar	Joint Secretary	Rashtrapati Bhavan Tel. No. 23017075
2.	Chennai Port Trust	Shri D. Pandiyan	Chief Labour Welfare Officer, Secretary's Department	Rajaji Salai, Chennai, 600001. Tel. No. 25362201
3.	Defence Research and Development Organization, Deptt. of Planning & Coordination Ministry of Defence	Dr. A.L. Moorthy	Director, DESIDOC	Metcalf House, Delhi110 0054, Tel.No.011-23812252
4.	Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers	Smt. Neelkamal Darbari	Joint Secretary	Room No. 411, 'A' Wing, 4th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23384706
5.	Department of Fertilizers, Ministry of Fertilizers	Shri Satish Chandra	Joint Secretary (A&M)	Shastri Bhawan, New Delhi-110011 Tel. No. 23382552
6.	Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution	Shri Naveen Prakash	Joint Secretary (Admn.)	Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Tel. No.011-23382529
7.	Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Dr. S.K. Sarkar	Joint Secretary	North Block, New Delhi Tel No. 23094010
8.	Department of Scientific & Industrial Research/ Council of Scientific & Industrial Research	Dr. Vibhu Rashmi	Scientist, G/ HoD Department of Scientific and Industrial Research.	Technology Bhavan, New Mehrauli Road. New Delhi-110016 Tel. No. 26529627/ 26590404

9.	अंतरिक्ष विभाग	श्री एस.के. झा	निदेशक, डीओएस	अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड, बैंगलोर – 560094 दूरभाषः 080–23415474
10.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	श्री संजय गुप्ता	उप सचिव (कार्य अध्यक्ष) आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
11.	कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग	श्रीमती उमा गोयल	संयुक्त सचिव (प्रशा.)	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23382219
12.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	श्री एन.के. गुप्ता	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 288, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23062660
13.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	श्री गोयल कृष्ण	संयुक्त सचिव	उद्योग भवन, नई दिल्ली
14.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग	श्री एस.के. सिन्हा	सचिव (डाक सेवा बोर्ड)	डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
15.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	श्री कीर्ति कुमार	उप निदेशक, सामान्य (सीएण्डए)	कमरा सं0 315, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23372446, 23036881
16.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग	श्री एन. रवि शंकर	संयुक्त सचिव	6, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24363124
17.	संस्कृति मंत्रालय	श्री विजय एस. मदान	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (प्रशासन)	कमरा सं0 219, सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

				Fax No. 26960629
9.	Department of Space	Shri S.K. Jha	Director, DOS	Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore-560094 Tel: 080-23415474
10.	Indian Council of Agricultural Research	Shri Sanjay Gupta	Deputy Secretary (Work Study) ICAR.	Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi
11.	Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation	Smt. Uma Goel	Joint Secretary (Admn.)	Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23382219
12.	Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce	Shri N.K. Gupta	Joint Secretary	Room No. 288, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 Tel. No. 23062660
13.	Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion	Shri Gopal Krishna	Joint Secretary	Udyog Bhwan, New Delhi
14.	Ministry of Communication & IT, Department of Posts	Shri S.K. Sinha	Secretary (Postal Service Board)	Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi
15.	Ministry of Communication & IT, Department of Telecommunications	Shri Kirthy Kumar	Dy. Director General (C&A)	Room No. 315, Sanchar Bhawan, 20, Ashok Road, New Delhi-110001 Tel. Nos. 23372446, 23036881
16.	Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information & Technology	Shri N.Ravi Shanker	Joint Secretary	6,CGO Complex, New Delhi-110003 Tel. No. 24363124
17.	Ministry of Culture	Shri Vijay S. Madan	Joint Secretary, Ministry of Culture (Administration)	Room No. 219, C-Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

18.	रक्षा मंत्रालय	श्री आनंद मिश्रा	संयुक्त सचिव (ई/पीजी)	साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली दूरभाषः 23015444 और 23011681
19.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग	श्री एस.एन. मिश्रा	संयुक्त सचिव (ऐरो)	कमरा सं0 133, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली दूरभाष : 23012778
20.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (प्रशासनिक प्रभाग)	श्री एस.पी. त्रिपाठी	निदेशक	विज्ञान भवन सौंध, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110011
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	श्री ए.के. गोयल	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	कमरा सं0 440, पर्यावरण भवन, सीजीओ, कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24361774
22.	विदेश मंत्रालय	श्री प्रताप सिंह	संयुक्त सचिव (डब्ल्यूईएल/एएण्ड आरएम) और सीपीआईओ	कमरा सं0 801, अकबर भवन, नई दिल्ली
23.	वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग	श्री सिद्धार्थ प्रधान	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	कमरा सं0 520, ब्लॉक सं0 14, पांचवा तल, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24368041
24.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	श्रीमती शकुंतला डी. गैमलिन	संयुक्त सचिव	निर्माण भवन, नई दिल्ली
25.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	श्री वर्गीस सैम्युअल	संयुक्त सचिव	रेड क्रास बिल्डिंग, नई दिल्ली–110108 दूरभाषः 23716704
26.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, भारी उद्योग विभाग	श्री अरूण सिंघल	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 174, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23063740

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

18.	Ministry of Defence	Shri Anand Misra	Joint Secretary (E/PG)	South Block, New Delhi Tel. No. 23015444 & 23011681
19.	Ministry of Defence, Department of Defence Production	Shri S.N. Misra	Joint Secretary (Aero)	Room No. 133, South Block, New Delhi Tel. No. 23012778
20.	Ministry of Development of North Eastern Region (Administrative Division)	Shri S.P. Tripathi	Director	Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-110011
21.	Ministry of Environment & Forests	Shri A.K. Goyal	Joint Secretary (Admn.)	Room No. 440 Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003. Tel. No. 24361774
22.	Ministry of External Affairs	Shri Pratap Singh	Joint Secretary (Wel/ A&RM) & CPIO	Room No. 801 Akbar Bhawan, New Delhi
23.	Ministry of Finance, Department of Disinvestment	Shri Sidhartha Pradhan	Joint Secretary (Admn.)	R.No. 520, Block 14, 5th Floor, CGO Complex, New Delhi -110003 Tel. No. 24368041
24.	Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare	Smt. Shakuntala D. Gamlin	Joint Secretary	Nirman Bhawan, New Delhi
25.	Ministry of Health and Family Welfare, Department of Ayurveda, Yoga & Nautropathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (Ayush)	Shri Verghese Samuel	Joint Secretary	Red Cross Building, New Delhi-110108 Tel. No. 23716704
26.	Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Heavy Industry	Shri Arun Singhal	Joint Secretary	Room No. 174, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 Tel. No. 23063740

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

27.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, भारी उद्योग मंत्रालय	श्री के.डी. त्रिपाठी	संयुक्त सचिव	ब्लॉक सं0 14, सीजीओ, कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली दूरभाषः 24368820
28.	गृह मंत्रालय	श्री के.सी. जैन	संयुक्त सचिव (सीएण्डपीजी)	कमरा सं0 9, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23092392
29.	गृह मंत्रालय, अंतर राज्य परिषद सचिवालय	श्री.के.पी. मिश्रा	निदेशक	विज्ञान भवन सौंध, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23022152
30.	गृह मंत्रालय, न्याय विभाग	श्री रमेश अभिषेक	संयुक्त सचिव	26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली–110011
31.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग	डॉ0 अनिता भट्टनागर जैन	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	शास्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 23384359
32.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	श्री वी. ब्रह्म	आर्थिक सलाहकार	कमरा सं0 665 'ए' विंग, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23383374
33.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्री एस.के. देव वर्मन	संयुक्त सचिव	श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 23766936
34.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग	डॉ0 संजय सिंह	संयुक्त सचिव और विधायी परिषद	कमरा सं0 419, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23387095
35.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग	श्री एन.के. नामपूतरी	जेएस एण्ड एलसी	कमरा सं0 411, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23384706
36.	खान मंत्रालय	श्री वी.के. ठकराल	संयुक्त सचिव	नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

27	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	Shri K D Tripathi	Joint Secretary	Block No 14 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi Tel. No. 24368820
28.	Ministry of Home Affairs	Shri K.C. Jain	Joint Secretary (C&PG)	Room No. 9, North Block, New Delhi-110001 Tel. No. 23092392
29.	Ministry of Home Affairs, Inter-State Council Secretariat	Shri K.P. Mishra	Director	Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi-110011 Tel. No. 23022152
30.	Ministry of Home Affairs, Department of Justice	Shri Ramesh Abhishek	Joint Secretary	26, Man Singh Road, New Delhi-110011
31.	Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education	Dr. Anita Bhatnagar Jain	Joint Secretary (Admn.)	Shastri Bhawan, New Delhi Tel. No. 23384359
32.	Ministry of Information and Broadcasting	Shri B. Brahma	Economic Adviser	R.No. 665, A-Wing, 6th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23383374
33.	Ministry of Labour & Employment	Shri S.K.Dev Verman	Joint Secretary	Shram Shakti Bhawan, New Delhi Tel. No. 23766936
34.	Ministry of Law & Justice, Legislative Department	Dr. Sanjay Singh	Joint Secretary & Legislative Counsel	Room No. 419A, 'A' Wing, 4th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23387095
35.	Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs	Shri N. K. Nampoothiry	JS&LC	Room No. 411, A-Wing, 4th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23384706
36.	Ministry of Mines	Shri V.K. Thakral	Joint Secretary	New Delhi

37.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री सुजीत दत्ता	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	11वां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
38.	नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्रीमती गौरी सिंह	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 203, ब्लॉक–14, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24361027
39.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री ए.एस. सहोता	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	127, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23747910
40	संसदीय कार्य मंत्रालय	श्री पी. गोपालकृष्णन	संयुक्त सचिव	92, संसद भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 23034899
41.	विद्युत मंत्रालय	श्री आई.सी.पी. केसरी	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23714367
42.	रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	श्री आर.बी.एस. नेगी	संयुक्त सचिव	रेल भवन, नई दिल्ली–110001
43.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग	डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 199–एच, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23385494
44.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग	श्री ए. भट्टाचार्य	संयुक्त सचिव (आरडब्ल्यूएस)	निर्माण भवन, नई दिल्ली दूरभाषः 24361043
45.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग	श्री बी. प्रधान	संयुक्त सचिव	एनबीओ भवन, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23061463
46.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	श्री एन.एस. सामंत	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 711, ब्लॉक–2, सातवां तल, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली दूरभाषः 24362982

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

37.	Ministry of Minority Affairs	Shri Sujit Dutta	Joint Secretary (Administration)	11th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003.
38.	Ministry of New & Renewable Energy	Smt. Gauri Singh	Joint Secretary	Room No. 203, Block-14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Tel. No. 24361027
39.	Ministry of Panchayati Raj	Shri A.S. Sahota	Joint Secretary (Admn.)	127, Sardar Patel Bhavan, New Delhi-110001 Tel. No. 23747910
40.	Ministry of Parliamentary Affairs	Shri P. Gopalakrishnan	Joint Secretary	92, Parliament House, New Delhi Tel. No. 23034899
41.	Ministry of Power	Shri L.C.P. Keshari	Joint Secretary (Admn.)	Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23714367
42.	Ministry of Railways (Railway Board)	Shri R.B.S. Negi	Joint Secretary	Rail Bhawan, New Delhi-110001
43.	Ministry of Rural Development, Department of Rural Development	Dr. Dharmendra Singh Gangwar	Joint Secretary	Room No.199-H, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 Tel. No. 23385494
44.	Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply	Shri A. Bhattacharyya	Joint Secretary (RWS)	Nirman Bhawan, New Delhi Tel. No. 24361043
45.	Ministry of Rural Development, Department of Land Resources	Shri B. Pradhan	Joint Secretary	NBO Building, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 Tel. No. 23061463
46.	Ministry of Science & Technology, Department of Biotechnology	Shri N.S. Samant	Joint Secretary	Room No. 711, 7th Floor, Block No. 2, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi Tel. No. 24362982

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

47.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	डॉ0 वी. रघुपति	वैज्ञानिक 'जी'	प्रौद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली
48.	पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग	श्री राकेश श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 , तल , परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110011
49.	पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	श्री एस.के. दास	संयुक्त सचिव	परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23719209
50.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	––	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
51.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री अरविन्द कुमार	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	दूसरा तल, सरदार पटेल भवन, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23746405
52.	इस्पात मंत्रालय	डॉ0 दिलीप सिंह	संयुक्त सचिव	उद्योग भवन
53.	वस्त्र मंत्रालय	श्री जैमिनी कुमार वर्मा	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	कमरा सं0 271, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23061826
54.	पर्यटन मंत्रालय	श्री संजय कोठारी	अपर महानिदेशक	कमरा सं0 111, पहला तल, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23715717
55.	शहरी विकास मंत्रालय	श्री अरूण कुमार मेहता	संयुक्त सचिव (शहरी विकास और प्रशासन)	शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23062309

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

47.	Ministry of Science & Technology, Deptt. of Science & Technology	Dr. V. Raghupathy	Scientist 'G'	Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi
48.	Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Shipping	Shri Rakesh Srivastava	Joint Secretary	Room No. , Floor, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110011
49.	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways	Shri S.K. Dash	Joint Secretary	Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001 Tel. No. 23719209
50.	Ministry of Social Justice and Empowerment	-	Joint Secretary (Admn.)	Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
51.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	Shri Arvind Kumar	Joint Secretary Admn.	2nd Floor, Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001 Tel. No. 23746405
52.	Ministry of Steel	Dr. Dalip Singh	Joint Secretary	Udyog Bhawan
53.	Ministry of Textiles	Shri Jamini Kumar Sharma	Joint Secretary (Admn.)	Room No. 271, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 Tel. No. 23061826
54.	Ministry of Tourism	Shri Sanjay Kothari	Additional Director General	Room No.111, First Floor, Transport Bhawan, Parliament Street , New Delhi-110011 Tel. No. 23715717
55.	Ministry of Urban Development	Shri Arun Kumar Mehta	Joint Secretary (UD & Admn.)	Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan New Delhi-110011 Tel. No. 23062309

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

56.	जल संसाधन मंत्रालय (आईडब्ल्यूएसयू)	श्री आर.एम. मिश्रा	संयुक्त सचिव (प्रशा0)	कमरा सं0 403, एसएसबी, बी विंग, भू–तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाषः 23710343
57.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	डॉ0 (श्रीमती) किरण चड्ढा	संयुक्त सचिव	कमरा सं0 615, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23386227
58.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	श्री शैलेश	संयुक्त सचिव (युवा कार्य)	शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
59.	नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडियन लिमिटेड	सुश्री अनिता मितरू	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	एनएसीआईएल, चौथा तल, एयरलाइंस हाउस, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23422177
60.	नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, नगर विमानन मंत्रालय	श्री आर.के. माहेश्वरी	संयुक्त महासचिव (प्रशा0)	सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली–110003 दूरभाषः 24641450
61.	योजना आयोग	श्री रवि मित्तल	सलाहकार	कमरा सं0 236, योजना भवन, पार्लियमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 23096655

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

56.	Ministry of Water Resources (IWSU)	Shri R.M. Mishra	Joint Secretary (Admn.)	Room No.403, SSB, B-wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110011 Tel .No. 23710343
57.	Ministry of Women & Child Development	Dr. (Smt.) Kiran Chadha	Joint Secretary	Room No. 615, 'A' Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110001 Tel. No. 23386227
58.	Ministry of Youth Affairs & Sports	Shri Sailesh	Joint Secretary (Youth Affairs)	Shastri Bhawan, New Delhi-110001
59.	National Aviation Company of Indian Ltd.	Ms. Anita Mitroo	Executive Director (Coordination)	NACIL, 4th Floor, Airlines House, New Delhi- 110001 Tel. No. 23422177
60.	Office of the Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation	Shri R.K. Maheshwari	Joint Director General (Admin)	Opposite Safdarjung Airport, New Delhi- 110003. Tel. No. 24641450.
61.	Planning Commission	Shri Ravi Mittal	Adviser	Room No. 236, Yojana Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001 Tel. No. 23096655

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली-110001

Government of India
National Archives of India
New Delhi-110001